खण्ड-129, अंक-4
सोमवार, 26 माघ, शक संवत् 1875
(15 फरवरी, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 129 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:०:—

सोमवार, १५ फरवरी, १९५४

—:०:—

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:०:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैय्यद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाँडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री

रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह , श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र , श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शाँतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाँडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईदजहाँ मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सवित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाँडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

लाला मथुराप्रसाद, गोरखपुर की रियासत को कोर्ट आफ वार्ड्स से मुक्त करने का प्रश्न

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—तारीख १५ जुलाई, सन् १९४९ की बैठक में प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर सन् १९४८ ई० में कोर्ट आफ वार्ड्स की मीटिंग में स्वर्गीय लाला मथुराप्रसाद गोरखपुर की रियासत को छोड़ने का दुबारा प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर क्या हुआ ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जी हां, नवम्बर सन् १९४८ ई० में कोर्ट आफ वार्ड्स की मीटिंग में इस रियासत को छोड़ने के प्रश्न पर विचार किया गया था, परन्तु रियासत की रक्षिता श्रीमती कुंवर बीबी का शारीरिक स्वास्थ्य इस योग्य नहीं था कि वे रियासत की ठीक व्यवस्था कर सकें, इसलिये रियासत को कोर्ट की अधीनता से मुक्त करना उचित नहीं समझा गया।

*२—श्री भगवानसहाय—तारीख ३१ अगस्त, १९५१ ई० की बैठक में प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, १९५३ में कोर्ट-आफ वार्ड्स ने कुछ रुपया दुबारा स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो कितना और किस लिये ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मई, १९५३ में कोर्ट आफ वार्ड्स ने १०,००० रु० श्रीमती कुंवर बीबी के स्वर्गीय पति के स्मरणार्थ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के पुराने तालाब की मरम्मत तथा उसके किनारे पर उनके पति के नाम की स्मारक शिला लगाने के लिये स्वीकृत किया है।

परगना कुम्हरावां, जिला रायबरेली में अति वृष्टि से हानि

*३—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला रायबरेली की तहसील महराजगंज परगना कुम्हरावां के ग्राम वंकागढ़, चितवनियां, चन्दापुर, पहरावां आदि को वर्षा से काफी क्षति पहुंची है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—केवल ग्राम चितवनियां में इस वर्ष फसल को अति वृष्टि से काफी क्षति पहुंची, शेष गांवों में हानि केवल नाम-मात्र ही की हुयी।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार इन क्षति-ग्रस्त ग्रामों के किसानों के लगान में छूट देने का तथा उनको और किसी प्रकार की सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—चितवनियां ग्राम में १०२ एकड़ जमीन वृष्टि से क्षति-ग्रस्त हुयी उसमें ३८६ रु० ४ आना वहां की मालगुजारी है, जिसमें ३१२ रुपये ६ आने मालगुजारी स्थगित कर दी गयी है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिक वर्षा से किस फसल को हानि हुई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—बरसात में जो फसल हुई उसी को हानि हुई।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थगित के क्या मानी हैं? माफ करने का क्या सरकार विचार नहीं रखती ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---स्थगित इसी विचार से की गयी है कि उसको देख कर माफ करने का इरादा है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि इन ग्रामों के किसानों को लगभग तीन-चार साल से ऐसी हानियां भुगतनी पड़ रही हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जब अधिक वर्षा होती है तो वहां जो मेवा नाला है उस से बाढ़ आ जाया करती है, इसलिये इसको बचाने के लिये महाराजगंज जलोत्सरण योजना बनायी गयी है। उसके तैयार होने पर यह कष्ट दूर हो जायगा और जहां जहां बांध किसानों ने बना लिये थे वह भी हटा दिये गये हैं। यह शिकायत जरूर है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है ।

सन् १३६० फसली में जमीनों की फसलों की परताल

*४---श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १३६० फसली में जमीनों की फसलों की कोई परताल हुयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---१३६० फसली में परताल हुयी परन्तु पटवारियों के जमींदारी उन्मूलन कार्य में लगे रहने के कारण पूरी परताल नहीं हो पाई ।

*५---श्री अनन्तस्वरूप सिंह---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस साल परताल होगी या नहीं? अगर होगी, तो कौन करेगा ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---इस वर्ष लेखपालों द्वारा पूर्ण रूप से सारे राज्य में परताल कराई जा रही है । तथा इसकी जांच कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और हाकिम परगना करेंगे ।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह---पूरी परताल नहीं हो पायी, इससे माननीय मंत्री का क्या तात्पर्य है? आया राज्य के कुछ जिलों की परताल हो चुकी है और कुछ जिलों की नहीं हुयी है या राज्य के किसी ग्राम में परताल पूरी तौर पर नहीं हो पायी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---पूरी परताल नहीं हो पायी इस का अर्थ यह है कि संक्षिप्त परताल हुयी थी ।

जिला फतेहपुर में खागा-किशुनपुर सड़क पर सरकारी बस का बन्द होना

*६---श्री अनन्तस्वरूप सिंह---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में खागा किशुनपुर की सरकारी बस सर्विस कब और क्यों बन्द हुयी ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---१ जुलाई, १९४९ से सड़क खराब होने के कारण बन्द हुयी ।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह---१ जुलाई सन् १९४९ के बाद क्या परिवहन विभाग ने इस बात की जानकारी की कि उक्त सड़क सुधर गयी है और सरकारी बसें पुनः जारी की जा सकती हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---पहली बस बन्द हो गयी थी । अब दूसरी चल रही है। अब रोडवेज की बस चलाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सरकारी बसें सिर्फ अच्छी सड़कों पर चलती हैं और प्राइवेट बसें खराब सड़कों पर चलती हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—रोडवेज की बस तो खराब सड़को पर भी चलती हैं।

जिला बरेली में खरीफ की फसल को बाढ़ से हानि

*७—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है कि जिला बरेली में बाढ़ से फसल खरीफ को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस तहसील में और कितन गांवों में ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां, बाढ़ से बरेली जिले की तहसील सदर बहेड़ी और फरीदपुर के क्रमशः ३५, २५ और ६ गांवों में खरीफ की फसल को बाढ़ से हानि पहुंची।

*८—श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि क्षति ग्रस्त लोगों की उसने क्या सहायता की और क्या वह लगान में छूट देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—केवल तहसील बहेड़ी के ४ गांवों में पानी भर आया था जहां सहायता के रूप में सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को नमक, मिट्टी का तेल आदि मुफ्त वितरित किया गया। एक गांव गरगईय्या तहसील बहेड़ी को छोड़कर बाकी किसी जगह में फसल को ८ आने से अधिक हानि नहीं हुयी। गांव गरगइय्या में ७५२ रुपये की मालगुजारी स्थगित कर दी गयी है और किसी गांव में न तो छूट दी गयी है और न मालगुजारी ही स्थगित की गयी है।

श्री नत्थूसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा गरगईय्या से दो मील के भीतर सरकारी नहर के कट जाने की वजह से सैलाब इस गांव को अधिक नुकसान पहुंचा रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—हो सकता है

श्री शिवनारायण—सरकार ने उत्तर में कहा है कि वहां की मालगुजारी स्थगित कर दी गयी। तो क्या मैं समझूं कि माफ भी कर दी जायगी,

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—नियम यह है कि अगर किसी गांव में खरीफ की फसल खराब होती है और वह उस गांव की खास फसल होती है, तो मालगुजारी माफ कर दी जाती है लेकिन अगर वह वहां की खास फसल नहीं होती है और दोनों फसलें बराबर होती हैं तो ऐसी हालत में अगर खरीफ की फसल को नुकसान होता है तो मालगुजारी स्थगित कर दी जाती है और अगर रबी की फसल अच्छी हुयी तो वह वसूल कर ली जाती है। यही नियम है।

श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि मौजा गरगईय्या में सिर्फ धान की फसल होती है, रबी की नहीं ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, सरकार को मालूम नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस नियम का उन्होंने अभी जिक्र किया कब बनाया गया और कैसे बनाया गया ?

श्री चरण सिंह—बहुत जमाना हुआ तब बनाया गया था और जैसे और सब नियम बनाये जाते हैं, वैसे ही बनाया गया था और मैं इस नियम को बहुत माकूल समझता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---क्या यह लिखित नियम है, यदि है, तो किस नियमावली में है उसको बतलाने की कृपा कीजिये।

श्री चरण सिंह---रेवेन्यू मैनुअल में है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माल मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि फसल में कितने प्रतिशत हानि होने पर छूट दी जाती है ?

श्री चरण सिंह---कम से कम आठ आने।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फसलों की हानि का तखमीना किस बुनियाद पर लगाया जाता है और कौन एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो इसके लिए नियुक्त किये जाते हैं ?

श्री चरण सिंह---तखमीना नुकसान की बुनियाद पर लिया जाता है और मुहकमें माल के अधिकारी इसके इक्सपर्टस समझे जाते हैं और वही लगाते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुहकमें माल के किस अधिकारी की रिपोर्ट पर यह तखमीना लगाया जाता है ?

श्री चरण सिंह---कानूनगो, तहसीलदार और अगर जरूरत पड़ी तो एस० डी० ओ० भी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसानों को जो क्षति होती है उसका पता गांव सभाओं से भी लगाया जाता है या नहीं ?

श्री चरण सिंह---नहीं लगाया जाता है।

हसनपुर, जिला बरेली में अग्नि पीड़ित किसानों को सहायता

*९---श्री नत्थू सिंह---क्या सरकार को यह मालूम है कि मौजा हसनपुर, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में आग लगने से माह जून में किसानों का कुल सामान गल्ला व भूसा आदि सब जल गया ? यदि हां, तो सरकार ने उस गांव के किसानों को क्या सहायता दी या देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मौजा हसनपुर तहसील फरीदपुर जिला बरेली में २८ मई, १९५३ को आग लगने से किसानों के ३६ घर कुल सम्पत्ति सहित जल गये। अग्नि पीड़ित किसानों को निम्नलिखित सुविधायें दी गयीं।

(१) ३२९० रु० की तकावी वितरित की गयी।
(२) ६६ रु० सहायता के रूप में दिये गये।
(३) १४२ रु० आबापाशी माफ की गयी।
(४) मालगुजारी में १०८ रुपये की छूट दी गयी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ६६ रु० ३६ फेमिलीज में किस तरह से तकसीम किये गये ?

श्री चरण सिंह---६६ रु० सारी फेमिलीज को नहीं दिये गये। किसी एक दो को दिये गये होंगे। जब फसल खलिहान में नष्ट हो जाय तब पेचुट्स रिलीफ या लगान म छूट वगैरह की बात होती है। लेकिन अगर फसल घर में पहुंच जाय और घर म आग लग

जाय तब तो सिर्फ कर्ज की बात होती है। वरना अगर इस उसूल को मान लिया जाय कि अगर घर में आग लग जाय तब भी लगान में छूट दी जाय तो बड़ा मुश्किल हो जायगा। परन्तु अगर लेजिस्लेचर ऐसा मंजूर कर दे तो ठीक है इसलिये उनको कर्जा दिया जाता है।

श्री सुन्दरलाल (जिला बरेली)—क्या सरकार बतलायेगी कि इस ग्राम के हरिजन सहायता मिलने से वंचित क्यों रह गये?

श्री चरण सिंह—नोटिस की जरूरत है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फरीदपुर तहसील क जो ग्राम जल गये हैं उनमें कितने की हानि हुयी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—लगभग ३५ हजार रुपये का नुकसान हुआ है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अन्न भूसा और घर जले थे इनमें घर जलने में कितना नुकसान हुआ है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कुल नुकसान ३५ हजार रुपये का बतलाया गया है। यह अन्न भूसा और घर सबमिला करके है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार ने घर बनाने के लिये उनको कुछ सहायता दी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तकावी सहायता के रूप में दी गयी है। वह इसीलिये है कि घर बनायें या जो जरूरत हो उसको पूरा करें।

तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर में वर्षा पीड़ितों को सहायता

*१०—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष अति वृष्टि के कारण अमेठी तहसील में जो अपार क्षति हुयी है उसके लिये पीड़ितों को लगान (राजस्व) में कितनी छूट दी गयी है और अन्य प्रकार से क्या सहायता की गयी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तहसील अमेठी में इस वर्ष अति वृष्टि से ५१ ग्रामों में खरीफ को फसल की क्षति पहुंची, प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मालगुजारी में अनुमानतः ६,०७७ रुपये की छूट दी जायगी। इसके अतिरिक्त ७५० रु० की अहेतुक सहायता और १२,००० रु० की तकावी बीज के लिये दी गयी तथा मलेरिया, हैजा और पशुओं के रोगों की दवाइयां मुफ्त बांटी गयीं।

श्री शिवनारायण—सरकार ने कहा है कि छूट दी जायगी, तो वह छूट कब तक दी जायगी?

श्री चरण सिंह—जब यह निश्चय हो जायगा कि वे छूट पाने के मुस्तहक हैं।

*११—१२—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[८ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३—१४—श्री रामलखन (जिला बनारस)—[८ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये]

नोट—तारांकित प्रश्न १० श्री मदन मोहन उपाध्याय न पूछा।

*१५—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[८ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]

*१६-१७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[१ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]

तहसील रसड़ा, जिला बलिया में अति वृष्टि से क्षति

*१८—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया के अन्तर्गत रसड़ा तहसील में घोर वृष्टि एवं पानी के समुचित निकास के मार्ग न होने के कारण खरीफ की लगभग सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई है ? अगर हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस वर्षा असाधारण वर्षा के कारण रसडा तहसील के जल-निकास मार्ग शीघ्र पानी को बाहर न निकाल सके जिसके फलस्वरूप खरीफ की फसल को काफी हानि पहुंची। आवश्यकतानुसार जिलाधीश द्वारा पानी के निकास का प्रबन्ध किया गया। भविष्य के लिये सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ समिति की सिफारिश के अनुसार कारवाई की जावेगी । एक छोटे से क्षेत्र के लिये अलग योजना बनाना हितकर नहीं प्रतीत होता ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपया करेंगे कि उस क्षेत्र में भी खरीफ की फसल को हानि पहुंची थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—हाँ, नुकसान हुआ था।

श्री व्रज विहारी मिश्र—तो क्या सरकार का लगान में कुछ छूट देने का विचार है ?

श्री चरण सिंह—नियमों के अनुसार जिलाधीश की रिपोर्ट आवेगी तो छूट मिलेगी।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ समिति की रिपोर्ट आ गई है या नहीं ?

श्री चरण सिंह—बाढ़ समिति की रिपोर्ट आये तो बहुत दिन हो गये । गालिबन अगस्त, ५३ में आई थी और उसपर विचार भी हो चुका है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—पूर्वी जिलों में इस रिपोर्ट के अनुसार कब से का शुरू होगा ?

श्री चरण सिंह—सम्भवतः अप्रैल सन् ५४ से जो वर्ष शुरू होगा उसमें।

*१९-२१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—[१५ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद जिले में बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वासन

*२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में जिन स्थानों पर सदैव बाढ़ आ जाती है उनकी आबादी को उस स्थान से हटा कर किसी दूसरे स्थान पर बसाने का विचार वह कर रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं।

नोट—तारांकित प्रश्न १८ श्री व्रजविहारी मिश्र ने और २२ श्री सीताराम शुक्ल ने पूछा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---जिन स्थानों में अकसर बाढ़ आती है वहाँ के निवासियों को आबाद करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री चरण सिंह---जहाँ अक्सर बाढ़ आया करती है और वहाँ लोग पहले से आबाद हैं वे जानबूझकर वहाँ आबाद हैं और दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। अगर पास में कहीं जमीन हो तो गवर्नमेंट को अख्तियार है कि उसे लेकर उन्हें बसावे लेकिन अगर लोग बसना ही नहीं चाहें तो सरकार जबरदस्ती नहीं बसा सकती है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना---इलाहाबाद में जिन क्षेत्रों में अकसर बाढ़ आ जाया करती है उनके संबंध में क्या बाढ़ समिति ने कोई विचार किया ?

श्री चरण सिंह---बाढ़ समिति ने आम प्रश्नों पर विचार किया। किसी खास क्षेत्र का विचार नहीं किया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---इलाहाबाद में ऐसे कितने स्थान है, क्या सरकार ने इसकी कोई रिपोर्ट मंगाई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---२३७ गाँव ऐसे हैं जहाँ साधारण बाढ़ से हानि होती है और ५०२ में अधिक बाढ़ से हानि होती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या उन्होंने कोई प्लैबीसाइड कराया था या कसे पता चला कि लोग नहीं चाहते हैं ?

श्री चरण सिंह---वे वहाँ आबाद हैं इससे ही पता चलता है कि वह वहाँ रहना चाहते हैं। यदि वे कोई दरख्वास्त देते तो मालूम हो जाता कि वे दूसरी जगह बसना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आई।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इसका कोई नोटीफिकेशन या ढिंढोरा पिटवावेंगे कि जो लोग वहाँ से जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं ?

श्री चरण सिंह---ढिंढोरा पिटवा कर सरकार यह मुसीबत नहीं लेना चाहती है क्योंकि कहाँ सबको बसाते फिरेंगे।

जिला रामपुर की तहसील शाहाबाद में रामगंगा की बाढ़ को रोकने के लिये बांध बनवाने की योजना

*२३---**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि रामपुर जिले की तहसील शाहाबाद में रामगंगा में बाड़ आने के कारण प्रतिवर्ष ही अनेक गाँव कट जाते हैं तथा तहसील शाहाबाद के अधिकाँश भाग का संबंध लगभग छः मास तक रामपुर नगर से विच्छेद हो जाता है ?

श्री चरण सिंह---रामपुर जिले की तहसील शाहाबाद में राम गंगा की बाढ़ से कुछ गाँव कट जाते हैं तथा कुछ समय तक के लिये इस तहसील के अधिकाँश भाग का रामपुर नगर से सीधा संबंध विच्छेद हो जाता है। केवल नावों द्वारा ही आवागमन जारी रहता है।

*२४---**श्री कृष्णशरण आर्य** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनता के इस भारी संकट के निवारणार्थ कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री चरण सिंह---तहसील शाहाबाद में राम गंगा की बाढ़ की भयंकरता को रोकने के लिये सिंचाई विभाग इस नदी के तटों पर तटवर्ती बाँधों तथा स्पर्स (spurs) बनाने की एक योजना पर विचार कर रहा ह।

पशु-पालन विभाग में स्टाक मैनों की योग्यता

*२५—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पशु-चिकित्सा विभाग में स्टाक मैनों के लिये क्या योग्यता रक्खी गई है और कब उनका चुनाव हुआ था ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पशु पालन विभाग में स्टाक मैनों के लिये कम से कम हिन्दुस्तानी मिडिल या अंग्रेजी ८ वीं कक्षा पास योग्यता रक्खी गई है। उनका चुनाव ९ और १० मार्च, १९५३ को हुआ था।

२६—श्री बाबूनन्दन—कुल कितने उम्मीदवार लिये गये हैं और उसमें कितने हरिजन लिये गये हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—कुल १२० उम्मीदवार लिये गये हैं उनमें ४ हरिजन भी हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल १२० उम्मीदवारों में केवल ४ ही हरिजन क्यों लिये गये ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—९ उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थीं उनमें से केवल ६ इन्टरव्यू में आये। उन ६ में ४ लिये गये और २ कई कारणों से अयोग्य पाये गये।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी दरख्वास्तें थीं और उनमें कितनी पिछड़ी जाति वालों की थीं ?

श्री चरण सिंह—कुल ९ दरख्वास्तें हरिजनों की थीं। लिहाजा मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह हरिजनों की ज्यादा दरख्वास्तें दिलाया करें।

श्री बाबूनन्दन—मेरा सवाल यह था कि कुल कितनी दरख्वास्तें थीं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—कुल दरख्वास्तें २१८ थीं।

बांदा जिले में करवी तहसील की इमारत की मरम्मत

*२७—श्री जगपति सिंह (जिला बाँदा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाँदा जिले की करवी तहसील की इमारत में जिसकी मरम्मत के लिये गत वर्ष इंजीनियरों ने ४७,००० रु० का तखमीना बताया था इस वर्ष कितना रुपया खर्च करने का निश्चय हुआ है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—करवी तहसील के इमारत की पूरी मरम्मत के लिये ४७,००० रुपये का तखमीना तैयार किया गया था। परन्तु वर्तमान आर्थिक संकट के कारण भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने इस इमारत के केवल उन भागों की मरम्मत के लिये जिनकी दशा बहुत ही खराब थी २३०० रुपये इस साल खर्च करने के लिये जिलाधीश को स्वीकृत दे दी है तथा मरम्मत कार्य आरम्भ हो गया है।

*२८—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार उस इमारती लकड़ी की धन्नियाँ निकाल कर उस पर लोहे के गार्डर डालने की सोच रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जब इस इमारत की पूरी मरम्मत करना संभव होगा उस समय लकड़ी की धन्नियों के स्थान पर लोहे के गार्टर डालने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री जगपति सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि यह ऐतिहासिक इमारत है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है तो क्या इसकी मरम्मत की कोशिश की जायगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह प्राचीनकाल की इमारत है इसको ऐतिहासिक कहा जा सकता है। सरकार नहीं चाहती है कि यह इमारत गिर जाय।

प्रतापगढ़, जौनपुर, सुलतानपुर और इलाहाबाद जिलों की सीमाओं में परिवर्तन की आवश्यकता

*२६—श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर और इलाहाबाद जिलों की सरहदों के संबंध में क्या उसने कुछ परिवर्तन करने का निश्चय किया है ? यदि हाँ, तो कब से ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार ने प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर और इलाहाबाद की सीमाओं में कोई परिवर्तन करने का निश्चय नहीं किया है, केवल जुलाई ११, १९५३ से कुछ अन्तः स्थित गाँवों को (enclaved villages) एक जिले से दूसरे जिले में जहाँ कि वे पहले ही से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रतापगढ़ जले में कुछ गाँव ऐसे हैं कि जिनका रेवेन्यू जूरिस्डिक्शन प्रतापगढ़ जिले में है और पुलिस जूरिस्डिक्शन इलाहाबाद में है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—वहाँ पर कुछ इन्क्लेव्स थे उनको मिला लिया गया है

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि प्रतापगढ़ जिले में निदूरा और लाल गोपालगंज ऐसे गाँव है, जो इस समय प्रतापगढ़ के हिस्से हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू जूरिस्डिक्शन प्रतापगढ़ में है और पुलिस जुरिस्डिक्शन इलाहाबाद में है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ?

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में वृक्षारोपण

१—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जौनपुर में वृक्षारोपण सप्ताह में कितने वृक्ष सरकार की तरफ से किन-किन तहसीलों में लगवाये गये हैं ?

श्री चरण सिंह—वन महोत्सव सप्ताह में, जो जुलाई १ से ७ तक मनाया गया था, सरकार की ओर से जौनपुर जिले की तहसीलों में निम्नलिखित वृक्ष लगाये गये हैं:

जौनपुर	१४
मछलीशहर	१८
केराकट	६
शाहगंज	४
मरियाहूं	८

चूंकि यह सप्ताह केवल वृक्षारोपण उत्सव के रूप में मनाया जाना था अतः इससे अधिक संख्या में वृक्ष नहीं लगाये जा सके। साथ ही वह समय भी वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त न था।

वृक्षारोपण आन्दोलन पूर्णगति से जुलाई के अंतिम सप्ताह से प्रारम्भ हुआ था और सितम्बर के अन्त तक जिले में कुल १८,६११ वृक्ष लगाये गये थे।

नोट—तारांकित प्रश्न २६ श्री रामनरेश शुक्ल ने पूछा।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने की शिकायत

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सेशन के हमारे करीब २८ सवाल ऐसे हैं जिनका सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। उनके स्थगित होने के बाद सूचना भी दे दी थी, लेकिन फिर भी उनका जवाब सरकार की ओर से नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जब असेम्बली प्रोरोग हो जाती है, तो पहले सवाल भी खत्म हो जाते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—इसके लिये सूचना दे दी गयी थी, आपके विभाग से भी सरकार से पूंछ लिया गया था, लेकिन सरकार ने ही कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आ जायं, तब देखकर ही मैं सरकार का जवाब तलब कर सकता हूं। पहले तो यह देखना है कि आपने दुबारा नोटिस दिया या नहीं, फिर विभाग से प्रश्न सरकार के पास भेजे गये या नहीं। मान लीजिये आप ५० प्रश्नों के बारे में कहते हैं और सरकार कहती है उनके जवाब दे दिये गये। तो आप किन्हीं और प्रश्नों के बारे में कहते रहे और वे किन्हीं दूसरे प्रश्नों के बारे में समझते रहें। इसलिये आप मेरे कमरे में आ जायं मैं सब देख लूंगा।

राजा वीरेन्द्रशाह के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार सम्बन्धी विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—सत्रावसान के पहले करफ्यू के समय जो दुर्व्यवहार श्री वीरेन्द्रशाह जी के साथ पुलिस के द्वारा हुआ था, उसके सम्बन्ध में श्री सुरेश प्रकाश जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। उसके बारे में मैंने कहा कि बाद में उस पर अपना फैसला दूंगा लेकिन इतने में सत्रावसान हो गया। इस प्रकार नोटिस भी खत्म हो गया लेकिन मैंने वायदा किया था कि समय की हानि उसके लिये बाधक न होगी। इसलिये सुरेश प्रकाश सिंह जी ने फिर से नोटिस भी दे दिया। इस बीच में जो तहकीकात गृह मंत्री के विभाग से हुई और उसमें जिस पुलिस आफीसर के खिलाफ शिकायत थी उसको श्री वीरेन्द्रशाह जी के सामने उपस्थित किया गया। उन्होंने कहा वह अफसर नहीं हैं, यद्यपि उन्होंने उन्हीं का नाम दिया था। क्योंकि दूसरे भी बहुत से अफसर लोग बाहर से प्रबन्ध के लिये आये थे इसलिये तहकीकात करने पर भी यह ठीक तौर से मालूम न हुआ कि वह कौन अफसर था जिसने दुर्व्यवहार किया। इस पर एस० पी० ने वीरेन्द्रशाह जी से उसके लिये अफसोस भी जाहिर किया अतः वीरेन्द्रशाह जी अब नहीं चाहते कि यह प्रश्न फिर से उठाया जाय। अतः मैंने सदन को यह सूचना दे दी है।

१३ फरवरी, १९५४ की अमृतबाजार पत्रिका में श्री रामनरेश शुक्ल के भाषण को न छापने के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रश्न श्री रामनरेश जी शुक्ल का है। उन्होंने इस बारे में शिकायत की कि १३ तारीख का जो 'अमृत बाजार पत्रिका' का डाक एडीशन है, उसमें जो उन्होंने राज्यपाल के भाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया था और उसपर काफी लम्बा व्याख्यान भी दिया था, अपनी राय भी प्रकट की थी, उसकी यहां कोई चर्चा नहीं है बल्कि संशोधनों से ही उसमें शुरूआत की गई है। मैंने इस सम्बन्ध में यहां के 'अमृत बाजार पत्रिका' के कारेस्पांडेंट श्री कपिल जी वर्मा से बात की

और इस बारे में उन्होंने मुझसे काफी देर तक अपने यहां के तरीके रिपोर्टिंग के बतलाये। यह प्रश्न विशेषाधिकार की दृष्टि से नहीं उठाया गया है और यह विशेषाधिकार का प्रश्न भी नहीं बन सकता जब तक कि एक, दो, तीन मर्तबा किसी माननीय सदस्य के प्रति ऐसी कार्यवाही की जाय कि उसकी स्पीच ही न छापी जाय। अगर कोई पत्र प्रतिनिधि आदतन ऐसा करता है कि न्यूज सप्रेस करता है तो यह गलत है और विशेषाधिकार की अवहेलना उसे कहा जा सकता है। इंगलैण्ड की पार्लियामेंट के सामने भी बार बार इस प्रकार का प्रिविलेज का प्रश्न आया है। इंगलैण्ड की पार्लियामेंट को जो अधिकार प्राप्त हैं वही हमारे यहां भी हैं। "सप्रेसिंग स्पीचेज आफ पार्टिकुलर मेम्बर्स" कनटेम्पट के उदाहरण में "में" की पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर एक मर्तबा भाषण 'सप्रेस' हो जाय तो इस बात को कनटेम्प नहीं माना जाता क्योंकि उसमें जानबूझ कर सप्रेस करने का इरादा होना चाहिये न कि अचानक कभी एक बात हो गयी हो। तो इसलिये जब मैंने श्री कपिल जी वर्मा से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि उन्होंने अपने अखबार की पहली रिपोर्ट दी थी और उसके बाद ही दूसरी रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट वे तार द्वारा दिया करते हैं। चूंकि उक्त एडीसन डाक एडीशन है इस कारण कहीं खबर छूट न जाय इस भय से पहली रिपोर्ट इम्पार्टेंट समझ कर उसी ख्याल से एडीटर ने पहली रिपोर्ट ही केवल छाप दी हो। यदि ऐसी बात है तो इस पर तो मैं नियंत्रण नहीं कर सकता हूं कि पत्रकार अपनी जो खबरें छापें वे किस तरतीब से छापें। उन्होंने मुझे बतलाया कि पहला तार जो उन्होंने दिया वह तो उन्होंने छाप दिया और जो तत्काल उसके बाद ही दिया जिसमें शुक्ल जी की स्पीच थी वह दूसरे रोज वाले एडिशन में छापी गयी। चूंकि पहला तार कुम्भ से सम्बन्धित था इसलिये शायद यह हो सकता है कि लोगों की उस विषय में टीका-टिप्पणी सुनने की ज्यादा दिलचस्पी के ख्याल से एडीटर ने उसे पहले छाप दिया हो। पत्र प्रतिनिधि जो यहां से सन्देश भेजनेवाले हैं उनका कोई जानबूझ कर इसमें दोष नहीं है। उन्होंने स्पष्टीकरण में जो मुझे एक पत्र लिखा है उसका एक अंश इस प्रकार है —

"I wish to emphasize that I had not the remotest intention of suppressing either the speeches of Shri Ram Naresh Shukla or Shri Mahabir Prasad Shukla, more so when they had moved a vote of thanks to the Governor."

यानी वे इस बात के महत्व को समझते हैं कि प्रस्ताव के मूवर और सेकेंडर का नाम खबरों में आना ही चाहिये लेकिन इस बार उसे बाद में छापने में उसके अखबार की छपाई की मेकैनिज्म की जिम्मेदारी है। मैं यहां पर पत्रकारों को यह बतला देना चाहता हूं कि जब वे पहली रिपोर्ट भेजें तो चाहे लोगों की दिलचस्पी हो या कुछ भी हो लेकिन प्रस्तावक का नाम आना ही चाहिये। जब संशोधन पहले आ जाता है और प्रस्तावक का नाम नहीं आता तो यह उचित बात नहीं है। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि पहले पार्लियामेंट में जितनी बहसें हुआ करती थीं उन बहसों को छापने का अधिकार पत्रकारों को नहीं था क्योंकि पार्लियामेंट अपनी बहसों को गुप्त रखना चाहती थी। खैर, धीरे-धीरे यह सोचा गया कि कार्यवाही का प्रकाशन होना चाहिये और पत्रकारों को यह विशेषाधिकार भी मिला कि उनके प्रतिनिधि सदन में बैठें और यहां की रिपोर्टिंग जिम्मेदारी के साथ करें। वह उनका अधिकार तो है लेकिन उसके साथ साथ उनके कुछ फर्ज भी हैं, ड्यूटीज भी हैं और उसमें यह उनका अवश्य ही फर्ज है कि किसी विशेष पार्टी या बात की तरफ उनकी खास रुजहान न हो। बल्कि जैसी कार्यवाही यहां होती है, जहां तक खबरें देने का सवाल है वह उसी तरह से संदेश दें। राय व्यक्त करने में जो राय चाहें व्यक्त कर सकते हैं लेकिन जहां तक वाक्यात का सवाल है उस बारे में जो बात यहां जिस

[श्री अध्यक्ष]

तरह से गुजरी है उसकी रिपोर्ट उसी तरतीब से दिया करें तो अच्छा हो जिससे लोगों को भ्रम न हो कि क्या हुआ और कैसे हुआ। जैसे एक बात १४ तारीख की 'अमृत बाजार पत्रिका' की रिपोर्टिंग में आयी है। उसमें रिपोर्टिंग इस तरह से हुई है:—

"The Lower House particularly was the scene of stormy de bate on this issue marked by the opposition's broadsides on the Government after the Home Minister's stout and vigorous defence of the Government."

इससे यह प्रतीत होता है कि होम मिनिस्टर के बाद कोई और बोला है और स्टाउट आपोजीशन हुआ है। वैसे हुआ यह था कि होम मिनिस्टर के बोलने के बाद विवाद खत्म हो गया था और उसके बाद उनकी बात पर कोई अटैक सदन में नहीं हुआ था, उनके भाषण के पहले हो चुका था। तो उल्टी सीधी खबर ऐसी छप जाती है। इस पर यह शिकायत नहीं है कि यहां के करेस्पांडेंट के कसूर से ऐसा हुआ बल्कि उन्होंने शायद तार ठीक दिया हो और वहां दफ्तर में भी मैकेनिज्म की तरतीब देने की गड़बड़ी हो गई हो। लेकिन जिस तरतीब से पत्र प्रतिनिधि खबर भेजते हैं और अगर उसमें वे चूकते हैं तो उसमें और भी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिये मैं सब पत्रकारों से कह देना चाहता हूं कि तरतीब को कायम रखना और भी उनका फर्ज हो जाता है। इस समय और कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सप्रेस करने की कोई जानबूझ कर कोशिश नहीं की गयी है। मैंने तो इशारा इसलिये कर दिया चूंकि विरोधी दल के नेता की भी कुछ शिकायत है। वे मेरे पास आज आने वाले थे लेकिन उन्होंने सूचना दी है कि वे आज नहीं होंगे कल आवेंगे। इस प्रकार रिपोर्टिंग के बारे में उनकी भी शिकायत है और कई तरफ से ऐसी शिकायतें हैं। इसलिये पत्रकार लोगों के जो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव हैं मैंने उनको आगाह करने की दृष्टि से ऐसा कह दिया है कि रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में इस तरह की भावना सदन में नहीं फैलनी चाहिये कि जो उनके रिपोर्ट भेजने के अधिकार हैं उन अधिकारों का पूरी तरह से सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिये मैंने उनकी नजर में यह बात ला दी।

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १६५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)— अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १६५३, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४६ पर)

*उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूबवेल्स संशोधन विधेयक, १६५३

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)— अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूबवेल्स (संशोधन) विधेयक १६५३, पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

कुछ सदस्य— इसकी कापी हम लोगों को नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—२४ दिसम्बर को आप लोगों को दी जा चुकी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस पर कुछ सदन को बतलाना नहीं चाहते?

---

* १४ दिसम्बर, १६५३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष—(श्री राम मूर्ति से) क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री राममूर्ति—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस संशोधित विधेयक को पास होने की जरूरत इसलिये है कि सन् १९३६ में स्टेट ट्यूबवेल्स ऐक्ट पास हुआ था उसके मुताबिक जब किसी जिले में ट्यूबवेल्स लगते थे तो एक नोटीफिकेशन होता था। उसके तीन महीने के बाद पूरा ऐक्ट वहां पर लागू होता था। करीब-करीब हर जिले में सरकार ट्यूबवेल्स बनवा रही है। अक्सर यह होता है ट्यूबवेल एक महीने के अन्दर बन कर तैयार हो जाता है और बिजली भी लग जाती है लेकिन चूंकि नोटीफिकेशन के तीन महीने के बाद ऐक्ट लागू होता है इसलिये दो महीने तक ट्यूबवेल्स खाली और बेकार रहते हैं। अब चूंकि सारे प्रदेश में ट्यूबवेल्स बन रहे हैं इसलिये उस दिक्कत को दूर करने के लिये हम इस विधेयक को लाये हैं ताकि किसी खास जिले में नोटीफिकेशन करने की जरूरत न पड़े।

दूसरी बात यह है कि सन् १९४० में पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल्स बने लेकिन डिपार्टमेंट की यह गल्ती हुई कि नोटीफिकेशन नहीं किया। जो सन् १९३६ का ऐक्ट है उसकी धारा ६ के मुताबिक नादर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट लागू होता था। उसका एम यह था कि जिन गांवों में पानी दें उसका महसूल वसूल करें। चूंकि उसका नोटीफिकेशन नहीं हुआ और हम महसूल वसूल करते रहे। इसलिये उसको रेगुलेराइज करने के लिये इसे रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दे दिया गया ताकि कोई दिक्कत न पड़े। इसके सिर्फ दो ही मंशे हैं और साथ ही साथ यह एक बहुत ही सीधा सादा ऐक्ट है इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी— माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री की तरफ से जो यू० पी० स्टेट्स ट्यूबवेल (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत हुआ है वह प्रदेश की सिंचाई योजनाओं से संबंधित है। इसका विरोध करना तो कोई साधारण और आसान बात नहीं है लेकिन कुछ शब्द इस मौके से लाभ उठा कर, मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। इसके पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूं मैं सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। देर आयद दुरुस्त आयद। काफी देर होने के बाद भी अगर सन् १९४० से जितनी अनियमितायें बरती गईं उनका सुधार अगर सन् १९५४ में हो जाय तो वह एक शुभ सूचना है सरकार की कुशल कार्यवाही के लिये। ऐसी हालत में मुझे ताज्जुब है कि लगातार १४ सालों तक अनियमितता रही और उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है इसलिये सिंचाई का बड़ा महत्व है लेकिन हमारे प्रदेश में जो ट्यूबवेल्स की योजना चल रही है उसके संबंध में एक बात तो मुझे यह कहनी है कि यह योजना अगर्चे वर्षों से चल रही है लेकिन प्रादेशिक स्तर पर यह योजना हमेशा सरकार को नुकसान दे रही है। मूलतः ऐसी योजनाओं में सरकार को इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिये कि यह कमर्शल बेसिस पर चलाई जायं। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसी भी सूचना मिली है कि व्यक्तिगत लोगों ने एक या दो चार ट्यूबवेल्स अपने बनाये और उससे अनेक आस-पास के किसानों को पानी देकर लाभ उठाया और हमारे प्रदेश का करोड़ों रुपया इस ट्यूबवेल संघटन पर लगाया जा रहा है और आज तक भी हमारी सरकार इस योग्य नहीं हो सकी कि जितना रुपया इसके इस्टैबलिमेंट में लगाया जाता है या सरकारी पदाधिकारियों पर लगाया जाता है वह पूरा हो सके। उसके लाभ और मुनाफे को देख कर हमारी यह योजना हानि की ही योजना रही है। इसलिये मैं इस विषय पर यहां के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

चाहता हूं कि क्या वजह है कि व्यक्तिगत लोग दो चार ट्यूबवेल्स और पम्पिंग सेट्स लगाकर फायदा उठा सकते हैं लेकिन सरकार करोड़ों रुपया लगाती है और उसकी योजना १०, १५ साल के बावजूद भी लाभ के आधार पर नहीं चल रही है ?

कुछ लोगों को यह भी शंका है कि सरकार जो रुपया ट्यूबवेल्स के लगाने में खर्च करती है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और मैं चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी मेरी इस सूचना का खंडन करें। मैंने यह भी सुना है कि हमारी प्रादेशिक सरकार कुछ कम्पनियों से भी काम करवाती हैं जिनको कि केन्द्रीय सरकार एप्रूव (स्वीकृत) कर देती है। नतीजा यह हो रहा है कि जब कि कोआपरेटिव सोसाइटियों से बनादे। एक ट्यूबवेल बनाने की लागत १५ या २० हजार रुपये होती है तो जो सरकार की तरफ से बनाये जाते हैं उनकी लागत ३५ या ४० हजार तक होती है। अध्यक्ष महोदय, यह भी एक कारण हो सकता है कि हमारी योजना अभी तक कामर्शल बेसिस के मुताबिक लाभप्रद नहीं हो सकी। क्या वजह है कि कोआपरेटिव संस्थाएं १५ हजार से २५ हजार रुपये तक ट्यूबवेल्स बना लें, मगर हमारी राज्य सरकार या उसके कांट्रेक्टर्स जब ट्यूबवेल्स बनायें तो ३५ हजार से ६५ हजार तक रुपये लग जायं। अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि एक एक ट्यूबवेल के लिये बिजली लगाने में एनर्जी का औसत खर्चा ४० हजार का है। इस तरह से एक एक ट्यूबवेल पर मैक्सिमम खर्चा एक एक लाख तक पहुंच जाता है। यह साधारणतः, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के मेम्बरों के लिये शायद आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन प्रदेश का जब एक नागरिक सुनता है कि कोआपरेटिव बेसिस पर २० या २५ हजार में ट्यूबवेल बन जाता है और स्टेट की तरफ से जब ट्यूबवेल बनाया जाता है उसपर ट्यूबवेल और एनर्जी की कास्ट मिला कर एक लाख या ६० हजार का खर्चा पहुंच जाता है, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है और वह यह सोचता है यह योजना कैसे लाभप्रद हो सकेगी। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

कभी कभी सिंचाई विभाग की तरफ से यह शिकायत की जाती है कि चूंकि हाइडल डिपार्टमेंट अलग है, इसलिये अक्सर बाज़ ट्यूबवेल्स तैयार रहते हैं, लेकिन बिजली नहीं मिलती है, इसलिये नुकसान होता है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे सामने ऐसे उदाहरण आये हैं कि बिजली मिल गयी है लेकिन दो दो साल से ट्यूबवेल्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं। मेरे फैजाबाद जिले के पश्चिमी भाग में काफी ट्यूबवेल्स हैं। वहां दो साल से एनर्जी पहुंच गयी है और चीजें हो गयी हैं, लेकिन अभी तक बहुत से ट्यूबवेल पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। मैंने सरकार से इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी पूछा है। सरकार की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है। वित्त मंत्री और सिंचाई मंत्री एक दूसरे पर आक्षेप नहीं कर सकते हैं। यदि इस तरह की बातें चलेंगी तो हमारी ट्यूबवेल की योजना सफलीभूत नहीं हो सकती है। जब सरकार इस पर ध्यान देगी कि किसी ट्यूबवेल के कमांड एरिया में पूरा पानी यूटिलाइज हो रहा है या नहीं और सबको पानी पहुंचता है या नहीं तभी यह योजना लाभप्रद होगी। अध्यक्ष महोदय, आप को मालूम है कि सरकार जिस समय सिंचाई का रेट बढ़ाती है .....

श्री अध्यक्ष—जब बजट पर स्पीचेज हों, तब आप इन सब बातों पर बोल सकते हैं। इस वक्त आप इसके उसूलों पर आ जायं। मैंने यह समझा था कि अगर किसी बात का थोड़ा सा जिक्र हो जाय तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो सबके ऊपर नजर डाल रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मेरी दिक्कत यह है कि यह जो विधेयक आया है, यह चूंकि प्रदेश में जितने टयूबवेल हैं सब इस कारण अनियमित रूप से चल रहे हैं और उनको लीगलाइज करने के लिये आया है। यह विधेयक इसलिये यह व्यापक मामला हो जाता है। हम इतनी बड़ी इल्लीगेलिटी को सैंक्शन देने जा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा न कहेंगे तो सरकार का इस विधान-सभा के मेम्बरों का हित नहीं होगा। मैं आप की बात पर ध्यान दे रहा हूं और मैं स्वयं ही चाहता हूं कि कम से कम समय में यह विधेयक स्वीकृत हो जाय। आज सरकार की ओर से जितने कुप्रबन्ध हो रहे हैं उनकी ओर ध्यान न देकर, एक ही रास्ता सरकार अपने सामने पाती है कि सिचाई का रेट बढ़ा दें .....

श्री अध्यक्ष--इसमें रेट का जिक्र नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं टयूबवेल की बात कह रहा हूं--

श्री अध्यक्ष-- बात यह है कि टयूबवेल के सिलसिले में आप टयूबवेल की ईंटें गिनने लगें तो काम नहीं चल सकता है। जो इसके विधेयक के उसूल हैं, उनपर आप बोलें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी-- यह प्रधान दो चार कारण मैंने आपके सामने गिनाये। साथ ही साथ इस विधेयक की धारा ५ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो वह इस प्रकार है :--

"शंकाओं के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम की, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व, वह वर्तमान था, धारा १ की उपधारा (२) और (३) में तथा धारा ३ में किसी बात के होते हुए भी, १६ जून, १९४० से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक तक की अवधि में मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी प्राधिकारी द्वारा दी गयी सभी आज्ञाएं, किये गये कार्य या की गयी कार्यवाहियां, जारी किये गये आदेश या प्रयोग में लाये गये क्षेत्राधिकार, न्याय की दृष्टि से वैसे ही ठीक और वैध समझे जायेंगे, मानों कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसार विधिवत् ऐसी आज्ञाएं दी गयी हों, कार्य किये गये हों, कार्य-वाहियां की गयी हों, आदेश जारी किये गये हों और क्षेत्राधिकार प्रयोग में लाया गया हो।"

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह चाहता था कि माननीय मंत्री जी विस्तारपूर्वक बताते कि कौन-कौन सी त्रुटियां हुईं, कहां-कहां हुईं, किस प्रकार की हुईं, लेकिन सरकार की तरफ से यह नहीं बतलाया गया। इसके पहले कि हम कुछ इस विधेयक के सम्बन्ध में कहें, इन बातों के बताने की बहुत आवश्यकता थी। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी और जहां तक इस ऐक्ट का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, इसका विरोध तो किसी भी हालत में किया ही नहीं जा सकता क्योंकि यह प्रदेश के हित में है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल का स्वागत करने के लिये इस सदन के सामने खड़ा हुआ हूं और एक ऐसे इलाके से आ रहा हूं जहां टयूबवेल्स कभी लगे ही नहीं हैं और न लग सकते हैं क्योंकि पथरीला इलाका है। लेकिन चूंकि टयूबवेल से सिचाई होने का प्रश्न है मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था कि सरकार की ओर से एक नियम है कि फी एकड़ १८६ रुपये तक खर्च किया जा सकता है सिचाई के सिलसिले में लेकिन

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हमारा इलाका ऐसा है कि अगर कभी ट्यूबवेल लगाया भी जाय तो उसमें कुछ खर्च ज्यादा होने का अंदेशा है। हम चाहते हैं कि जो १८६ रुपये फी एकड़ का नियम है उसको जरा बढ़ा दिया जाय और कम से कम पर्वतीय क्षेत्रों और बुन्देलखंड जैसे इलाकों के लिये जहां पानी की बड़ी दिक्कत है, ढाई सौ या तीन सौ रुपये कर दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने कही है वह बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि एलेक्ट्रिसिटी और इरीगेशन एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित हैं। इनके अलावा अलग अलग होने से जो दिक्कतें पड़ती हैं वे हम लोग ही जानते हैं, जो कि इस काम में रात दिन पड़े हुये हैं। इसलिये मैं सरकार से फिर भी प्रार्थना करूंगा कि इस विभाग को जैसे सेंटर में है कि इरीगेशन, हाइडेल वगैरह जिनका एक दूसरे से बिल्कुल संबंध है और जनता की सहूलियत के लिये यह आवश्यकीय है, इन विभागों को एक कर दिया जाय। मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि बजट आ रहा है, उस पर कुछ कहने का मौका मिलेगा ही, लेकिन चूंकि सिंचाई का प्रश्न है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि हम भी सिंचाई के विषय में बहुत गहरे में पहुंचे हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल हाउस के सामने है मैं उसके समर्थन के लिये उपस्थित हुआ हूं। आज हमारी पंचवर्षीय योजना में जितना भी काम हो रहा है उस में यही एक प्रत्यक्ष चीज है जिसे हम दिखला सकते हैं कि यह सरकार कर रही है। पूर्वी जिलों में खास कर और हमारे जिले में सैकड़ों की तादाद में ट्यूबवेल्स लग रहे हैं और पहाड़ों पर जैसा कि मदन मोहन जी ने कहा है १८६ रुपये कम हैं। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह बढ़ा कर ३०० रुपये कर दिया जाय क्योंकि उनके यहां पानी की बहुत कमी है। वह बहुत ऊंचे पर हैं। ट्यूबवेल्स की वजह से गांव-गांव में रास्ते भी बन गये हैं और बहुत उन्नति हो रही है। अगर लोगों को समझाया जाय तो ऐसा नहीं है कि वे न मान जायं। मैं स्वयं अपने क्षेत्र महाराजगंज, कप्तानगंज के पास गया था जहां पर पंडित लोगों ने बड़ा एतराज किया था। मैंने उनको समझाया कि भाई, ये भी चाहते हैं वे भी चाहते हैं, चाहे एक सेर पानी लीजिये चाहे न लीजिये। ये तो आपत्ति काल के लिये बनवाये जा रहे हैं। जिस दिन सूखा पड़ेगा उस दिन यह काम आयेंगे। वे मान गये। तो यह हमारा और आपका दोनों का काम है कि किसानों को समझायें कि सरकार तुम्हारे फायदे के लिये बनवा रही है। इमानदारी की बात यह है कि जो पंचवर्षीय योजना के अन्दर काम रखे गये हैं वह देश के कल्याण के लिए हैं और पानी की सिंचाई का क्या पूछना है? हम तो प्रार्थना किया करते थे कि ऊपर से वर्षा हो, आज तो पाताल से हमें गंगा मिल रही हैं। हम तो इसके लिए माननीय पं० कमलापति त्रिपाठी को धन्यवाद देते हैं। बांध गंगा की ओपनिंग सेरेमनी करने वह हमारे यहां गये थे। वहां किसान ही नहीं, स्त्रियां भी आयी हुई थीं कि आज हमारे लिए गंगा पातालपुरी से आ रही है। उन्होंने उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया और मैं पुनः सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने बड़ी कृपा की कि इस योजना को लागू किया है। जहां पानी के लिए गर्मियों में तरसते थे आज दो-दो, तीन-तीन फसलें काटी जाती हैं ट्यूबवेल्स से, क्योंकि वहां बलुही जमीन है, बिना ट्यूबवेल के काम चलने वाला नहीं है। अतः ट्यूबवेल की स्कीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री जी को इस बिल के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ-साथ यह निवेदन करना

चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में आजमगढ़ जिला भी है और माननीय सिंचाई मंत्री जी और सरकार की ओर से आजमगढ़ जिले में ट्यूबवेल बनाने की बड़ी व्यापक योजना भी है, लेकिन बदकिस्मती से इतनी बड़ी योजना से इस वक्त ७० ट्यूबवेल लग चुके हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में जो आजमगढ़ जिले का सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है रबी की फसल के लिए और सबसे उर्वरा जमीन वहां की मानी जाती है...

श्री अध्यक्ष—आप विधेयक के सिद्धान्तों पर ही भाषण दें। यह तो बजट का डिस्कशन आपने शुरू कर दिया। जो श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने एक दफे किया, वह आपने भी शुरू कर दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—केवल दो मिनट का भाषण होगा ज्यादा नहीं।

ट्यूबवेल के इंजीनियरों का कहना यह है कि ट्यूबवेल रबी की फसल के लिए लगाया जाता है और उससे रबी की फसल को ही विशेष लाभ होता है। हमारे देहात में रबी ही की फसल होती है। श्री झारखंडे राय और श्रीनाथ, एम० एल० ए० के क्षेत्र में ३१ ट्यूबवेल लगाये जा चुके हैं पर हमारे क्षेत्र में एक भी ट्यूबवेल नहीं है। गांव बटवारा कर दिया गया है। बहुत से सम्मानित सदस्य जो कांग्रेसी हैं और यह कहते हैं कि यदि इस क्षेत्र में भी ट्यूबवेल लग जायगा तो रामसुन्दर पांडेय का असर हो जायगा, इस तरह की किंवदन्तियां फैली हुई हैं। अतएव मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर सही माने में यह कहना इंजीनियरों का सत्य है कि ट्यूबवेल रबी की फसल में ज्यादा कारगर होते हैं तो सबसे अच्छे वही देहात हैं, ट्यूबवेल अवश्य लगाए जाने चाहिए। उस क्षेत्र की ओर भी सिंचाई मंत्री का ध्यान होना चाहिये।

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने खुद फर्माया, जितनी बातें इस सम्बन्ध में कही गयीं वह असंगत सी थीं, फिर भी जो हमारे भाई त्रिपाठी जी, उपाध्याय जी और रामसुन्दर जी ने बातें रखीं उनको हमने नोट कर लिया है। जहां तक इसका ताल्लुक है वह तो अपनी जगह पर है। मैंने यह कहा कि डिपार्टमेंट की गल्ती हो गयी, उसको रेगुलाइज करने के लिए यह किया गया है ताकि नोटीफिकेशन हर जिले का न करना पड़े और जो बात भाइयों ने कहीं उनको नोट कर लिया है। आइंदा उसका ख्याल रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूबवेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—५

यू० पी० ऐक्ट १२, १९३६ की धारा १ का संशोधन।

२—यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "subject to the provisions of section 3" निकाल दिये जायं और सदा से निकाले हुए समझे जायं, और

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उसे सदा से रखा हुआ समझा जाय—

"(3) It shall come into force at once."

यू० पी० ऐक्ट १२, १९३६ की धारा ३ का हटाया जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ निकाल दी जाय और उसे सदा से निकाली हुई समझी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९३६ की अनुसूची का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की अनुसूची (Shedule) के वर्तमान पैरा १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उसे सदा से रखा हुआ समझा जाय--

"1. In section 6 of the said Act for the words 'day so named' the words 'commencement of the U. P. State Tube-wells Act, 1936,shall be deemed to be substituted and for the words such application or use of of the said water' the words 'the application or use of undergound water for the purpose of a State Tube-well, shall be deemed to be substituted."

शंकाओं का निवारण और कार्यवाहियों का वैधीकरण।

५--शंकाओं के निवारण के लिए एतदद्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम की, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व, वह वर्तमान था, धारा १ की उपधारा (२) और (३) में तथा धारा ३ में किसी बात के होते हुए भी, १६ जून, १९४० से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक तक की अवधि में मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी प्राधिकारी द्वारा दी गयी सभी आज्ञाएं, किये गये कार्य या की गयी कार्यवाहियां, जारी किये गये आदेश या प्रयोग में लाये गये क्षेत्राधिकार, न्याय की दृष्टि से वैसे ही ठीक और वैध समझे जायेंगे, मानों कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसार विधिवत् ऐसी आज्ञाएं दी गयी हों, कार्य किये गये हों, कार्यवाहियां की गई हों, आदेश जारी किये गये हों और क्षेत्राधिकार प्रयोग में लाया गया हो।

श्री अध्यक्ष--इनके ऊपर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूब-वेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करने का विधेयक

यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करना आवश्यक है :--

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूब-वेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश बिक्री कर संशोधन (विधेयक), १९५३

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)---वित्त मंत्री कौंसिल में हैं। जरा देर में आ जायेंगे। अगर इसमें कोई आपत्ति न हो तो इस समय नं ७ को ले लें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आपने देर कर दी। उस समय आप बोले नहीं और मैंने माननीय राजस्व मंत्री को इजाजत दे दी।

श्री चरण सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड स्टेट (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं समझा नहीं था कि माननीय मुख्य मंत्री क्या कह रहे हैं। मुझे आपत्ति यह है कि शनिवार की शाम को तो हमें यह बतलाया गया कि अगले हफ्ते का क्या कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में ट्यूब-वेल्स और बिक्रीकर पहले थे। तो हम समझते थे कि १५ को यह विधेयक नहीं आ पायेगा। ऐसी हालत में अगर तीसरे नम्बर का विधेयक लिया जाता है तो हम उसपर, पर्याप्त रूप से प्रकाश नहीं डाल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---लेकिन इसके लिये नोटिस तो दे दी गई थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---लेकिन कार्यक्रम जो हमें बताया गया वह शनिवार की शाम को बताया गया और कल तो छुट्टी ही थी। लाइब्रेरी से किताबें नहीं ले सकते थे। ऐसी दशा में हमारे लिये बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसलिये बिक्री कर ही शुरू कर दिया जाय चाहे कोई दूसरे मंत्री इसको पेश कर दें।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---ठीक है, अगर आपको सुविधा न हो तो न लिया जाय। यह बिक्री कर के बाद लिया जाय जिस आर्डर में है। जिसमें सुविधा हो, वही तरीका रखा जाय।

मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई० पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

इस संबंध में पहले काफी बातें सदन के सामने आ चुकी हैं। लिहाजा मुझे कोई विशेष बात इसके संबंध में इस स्टेज पर कहने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---माननीय राजस्व मंत्री, आप अपना विधेयक पेश कर चुके हैं?

श्री चरण सिंह---जी हां, पेश कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष---तो उसके ऊपर आपका भाषण बाद को जारी होगा जब उस विधेयक पर विचार होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक में यद्यपि प्रवर समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये हैं तथापि बहुत सी ऐसी आपत्तिजनक बातें रह गई हैं जिनके कारण इसका विरोध करना आवश्यक है।

---

* १३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

प्रवर समिति ने बहुत से व्यापारियों और इस विभाग से सम्बन्ध रखने वालों के लिये बहुत सी सुविधायें कर दी हैं। अपील या टैक्स रिअलाइजेशन के सम्बन्ध में कुछ अवधि और बढ़ा दी गई है और जो एक महत्वपूर्ण संशोधन प्रवर समिति में हुआ वह यह है कि पहले जो विधेयक उपस्थित हुआ था उसमें यह जिक्र था कि किसी भी· · · · · ·

श्री अध्यक्ष—मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि नियम १०६ यह है :

"There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except that the member making the motion or moving the amendment and the member opposing may be allowed to make brief statements and then the question or questions, as the case may be, shall be put."

तो पहले तो यह मालूम होना चाहिये कि आप अपोज कर रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां, मैं विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—अपोज कर रहे हैं तो बहुत शार्ट में होना चाहिये। एक एक ब्योरे में जाकर आप बहस नहीं कर सकते।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं एक एक धारा पर तो जा नहीं रहा हूं। नियम का खयाल करते हुये ही कह रहा हूं।

दूसरी बात जो सेल्स टैक्स सेलेक्ट कमेटी ने की थी उसमें पहले यह था कि अर्थ दंड के रुपये जितना सेल्स टैक्स बाकी हो उसकी दुगुनी और तिगुनी रकम तक ली जा सकेगी। इसमें यह बांध दिया कि १ हजार तक २५ प्रतिशत और १ हजार के ऊपर ५० प्रतिशत तक रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी आपत्तिजनक बातें रह गई हैं जिनके संबंध में विरोध कर रहा हूं।

पहली बात यह है कि इस विधेयक की माल की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया गया है और गुड़ेस की परिभाषा में ऐसे विषय भी रख दिये गये हैं जो भूमि में लगे हों और किसी वस्तु से जकड़े हों। इस बात से आशंका यह होती है कि इसका प्रभाव किसानों पर भी पड़ सकता है क्योंकि गन्ने की फसल और लम्बे पैमाने पर घास का उत्पादन करने वाले किसान भी इसमें आ जायेंगे। यह परिभाषा सिर्फ मद्रास राज्य में है। उसी आधार पर यहां पर भी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मद्रास में सेल्स टैक्स की आमदनी १७ करोड़ है और इससे आशंका होती है कि इस परिभाषा को व्यापक रूप में बदलकर, सरकार की मंशा कहीं सेल्स टैक्स की रकम बढ़ाने का तो नहीं है।

दूसरी बात यह है कि उन व्यापारियों को सेल्स टैक्स लगना चाहिये जिनका टर्नओवर १५ हजार रुपये है। १२ हजार रुपये पर आम तौर पर सरकार ने लगाया था। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो गयी है व्यापार की, मंदी की वजह से कि इसकी सीमा भी बढ़ानी चाहिये। अभी बम्बई में २५ हजार रुपये तक की वह सीमा बढ़ा दी गई है। जब कि हमारी प्रादेशिक सरकार १२ हजार के बजाय १५ हजार रखना चाहती है और वहीं पर अगर २० हजार तक इस सीमा को कर दें तो अधिक मुनासिब होगा।

अध्यक्ष महोदय, पहले विधेयक के मुताबिक व्यापारियों को रिवीजन और अपील दोनों की इजाजत थी लेकिन ऐसे मामलों में जिनमें अपील हो चुकी हो और रिवीजन हो सकता हो और न किया गया हो उसमें रिवीजन का अधिकार छीन लिया गया है। यह भी आपत्तिजनक बात है।

तीसरी बात यह है कि इस विधेयक में एक नयी बात की गई है कि पहले कोई व्यापारी यदि सेल्स टैक्स नहीं देता था तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके वसूली की जा सकती थी लेकिन इसमें अर्थ दंड की व्यवस्था की गई है। अर्थ दंड की सीमा जितना सेल्स टैक्स बाकी हो अगर दस हजार रुपये तक है तो २५ प्रतिशत और दस हजार के ऊपर है तो ५० प्रतिशत तक उस रकम का अर्थदंड हो सकता है। इस अर्थदंड को लगाने वाले अधिकारी यदि अपील सुनने वाले अधिकारी होते, तो उसमें कोई आपत्ति न होती लेकिन इसका अधिकार विभाग को ही दिया गया है। इस प्रकार पहले जो कार्यवाही होती थी कि रेवेन्यू की तरह से उसका रिअलाइजेशन होता था, अब वह अधिकार सेल्स टैक्स विभाग को दे दिये गये हैं। मैं यह नहीं समझता कि सरकार को कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि सरकार ने पेनालटी की व्यवस्था इसमें कर दी। इस संबंध में मुझे आपत्ति है।

इस विधेयक में यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर किसी व्यापारी के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया गया हो और तीन साल तक अधिकार होगा सेल्स टैक्स विभाग को फिर से कागजात मंगाकर नये सिरे से सेल्स टैक्स लागू किया जाय।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि आप ब्योरे में जा रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अंतिम बात पर आ रहा हूं।

तो यह भी एक ऐसा अधिकार है जो किसी रिलेवेंट अथारिटी को दिया जाता। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट तीन साल बीतने पर दोबारा टैक्स लगा सकता है, उस हालत में यह अधिकार ठीक हो सकता था लेकिन उसी डिपार्टमेंट को यह अधिकार देना कहां तक मुनासिब है। व्यापारियों के लिये लाजमी कर दिया गया है कि जिन चीजों पर सेल्स टैक्स लगे और जिन पर न लगे उनका अलग अलग हिसाब रक्खें, इससे काफी अड़चनें पैदा होंगी। एक व्यापक अधिकार यह दे दिया गया है कि किसी भी समय रात को या दिन को सेल्स टैक्स आफिसर्स किसी व्यापारी के कार्यालय तथा गोदाम में घुस सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स विभाग पहले ही व्यापारियों को दोषी और अपराधी की निगाह से देखता है जबकि होना यह चाहिये था कि यह डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स रियलाइज करने के लिये एक एजेंसी की हैसियत से काम करता। इस अधिकार के मिलने से इस आशंका की पुष्टि और भी अधिक हो जाती है और यह अधिकार ऐसा है जिससे काफी परेशानी व्यापारी वर्ग को हो सकती है। आप जानते हैं कि सरकार की मंशा तो यह हो सकती है कि सेल्स टैक्स सुव्यवस्थित ढंग से वसूल किया जाय और सरकार को उससे उचित आमदनी हो, सेल्स टैक्स की रकम छिपाई न जाय। इसके लिये आवश्यक है कि व्यापारियों के साथ उचित व्यवहार किया जाय और ऐसे व्यापक अधिकार अधिकारियों को न दिये जायं। संक्षेप में यही तीन चार कारण हैं जिनकी वजह से मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री स्वयं इस विधेयक का भार संभाले हुये हैं। वह स्वयं आवश्यक सुधार कर सकते हैं और उसके लिये कैबिनेट की मीटिंग की भी आवश्यकता न होगी। उम्मीद है कि मेरी आशा पूर्ण होगी।

श्री गोविन्दबल्लभ पंत--इस बिल के हर खंड के बारे में प्रवर समिति ने विचार किया, फिर अपनी रिपोर्ट के साथ इसे भेजा है। रामनारायण जी ने यह माना है कि इसमें पहला जैसा बिल था उससे प्रवर समिति ने काफी सुधार किया है और बिल के सिद्धांत को तो सदन पहले ही मान चुका है। अब जब इसमें सुधार हुआ है तब तो कोई कारण उसके ऊपर विचाराधीन न करने का मालूम नहीं होता। जो सुझाव रक्खा गया है वह तो सिर्फ यह है कि जैसा बिल आया है उस पर विचार किया जाय और जब पहले सदन इस सिद्धांत को मान चुका और प्रवर समिति ने उसको खराब नहीं बल्कि बेहतर ही किया, विरोधी दल के उपनेता के मत से भी

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

तब फिर इस सुझाव के न मानने का कोई कारण नहीं रहता। इस सुझाव को तो मानना ही चाहिये। यह पहले से बेहतर तो है ही, फिर तो इस पर विचार हो सकता है। अगर कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जिनको और संशोधित करने की आवश्यकता है तो उनपर गौर किया जायगा।

जहां तक इसके खंडों का सम्बन्ध है उनमें कोई नई बात नहीं की गई। जो कुछ किया गया है वह उनको एक तरतीब में लाने के लिये किया गया है। जो इसके नियम उपनियम रक्खे गये हैं वह इस तरह के हैं जिनसे कि ठीक तरह से सेल्स टैक्स लग सके और वसूल हो सके। सरकार यह कदापि नहीं चाहती कि किसी को भी कोई तकलीफ हो और जिनको टैक्स देना होता है उनके साथ कोई ज्यादती हो। मैं समझता हूं कि जहां तक सैल्स टैक्स का ताल्लुक है इस किस्म की शिकायतें बहुत कम आई हैं कि उसके कर्मचारियों ने किसी के साथ कोई ज्यादती की है। उनका आम तौर पर व्यवहार या सुलूक असंतोषजनक नहीं रहा है और डिपार्टमेंट्स के बारे में हुई हों मगर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में ऐसी शिकायतें नहीं आईं। वह लोग काफी इस बात का खयाल रखते हैं कि किसी के साथ ज्यादती न हो। जो १२ या १५ हजार की बात है वह तो पहले ऐक्ट में भी १२ हजार ही थी, उसमें कोई १५ हजार की बात नहीं थी और उसको इसी हाउस ने तै किया है कि १२ हजार के ऊपर टैक्स लगे। सदन चाहे तो उस सीमा को बढ़ा दे मगर गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि सीमा १२ हजार से नीचे की जाय। जो यह दलील दी गई है कि अब पहले से रुपये का मूल्य कम हो गया है वह तो एक कारण हो सकता है १२,००० को कम करने का न कि बढ़ाने का। हमारे रुपये का मूल्य कम हो गया है तो आज टैक्स में रुपया आता है या नहीं वह बहुत कम हो गया है। उसकी कीमत बहुत कम हो गयी है। अगर पहले एक रुपया आता था, जबकि १२ सेर का गेहूं बिकता था तो दो रुपया टैक्स में आ जाता है जबकि दो सेर रुपये का गेहूं बिकता है। कीमत तो बहुत कम हो गयी है। इसलिये उसके घटने से उसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। परन्तु यह इससे कोई सम्बन्ध रखने वाली बात नहीं है। यह तो जो नियम बनाये गये थे वह संविधान के पहले ही तय कर दिये गये थे। वही नियम अब है उसमें कोई अन्तर नहीं किया गया है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जहां तक इसमें सुझाव किये गये हैं वह समझकर ही किये गये हैं और वे सदन को मंजूर होंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० का धारा २ का शोधन।

२--- संयुक्त प्रान्तीय बिक्रीकर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० (जिसे इसमें आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में---

(१) खंड (ग) में---

(क) शब्द "बेचने" और शब्द "का कारोबार करने" के बीच में आने वाले शब्द "और पूर्ति करने (सप्लाई करने)" निकाल दिये जायं।

(ख) शब्द "माल बेचने" और "हों" के बीच में आने वाले शब्द "या पूर्ति करते (सप्लाई करते)" निकाल दिये जायं।

(ग) स्पष्टीकरण में शब्द "बेचने" और शब्द "का काम करता" के बीच में आने वाले शब्द" या उसकी पूर्ति करने (सप्लाई करने)" निकाल दिये जांय।

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(घ) "माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत उगने वाली फसल, घास, पेड़ और ऐसी वस्तु है जो भूमि से लगी

हुई (attached) अथवा भूमि से स्थायी रूप से लगी हुई (attached) किसी वस्तु से जकड़ी हुई (fastened) हों किन्तु जिसका बिक्री के मुआहिदे (contract of sale) के अन्तर्गत पृथक करना तय हो चुका हो परन्तु इसके अन्तर्गत वाद योग्य दावे (actionable claims) स्टाक, हिस्से या सिक्योरिटियां सम्मिलित नहीं हैं।"

(३) वाक्य-खंड (ङ) निकाल दिया जाय ।

(४) वाक्य-खंड (झ) में--

(क) दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात निम्नांकित् तीसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय--

"तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि उत्तर प्रदेश के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति का एजेंट उत्तर प्रदेश में उसकी ओर से माल बेचे तो उक्त बिक्री से प्राप्त धनराशि एजेंट के विक्रयधन (turnover) में सम्मिलित कर ली जायगी।"

(ख) "स्पष्टीकरण" के उप-वाक्यखंड (३) में शब्द "उस माल को उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे" के स्थान पर "उस माल को बिना लाभ लिये उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे" रखा जाय।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं, कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (क) तथा (ख) में 'बेचने' तथा 'करने' के स्थान पर क्रमशः "बेचते" तथा "करते हों" शब्द रख दिये जाँय।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो मूल ऐक्ट है उसमें करने और बेचने शब्द नहीं हैं बल्कि 'बेचते' और 'करते' हैं। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---यह तो आपका शाब्दिक संशोधन है। इसका बिल के जो नियम हैं और सिद्धान्त हैं उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि आपके यह शब्द उचित मालूम हों तो अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार है वह कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह आपके शब्द उचित नहीं हैं पर फिर भी अगर अध्यक्ष महोदय उचित समझें तो इसको कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---मूल अधिनियम में 'बेचने' और 'करने' शब्द नहीं हैं 'बेचते' और 'करते' हैं। अगर ये शब्द मूल अधिनियम में आये हैं तो मैं उनको संशोधन में दुरुस्त कर दूंगा।

श्री श्रीचन्द---मेरा आशय 'बेचते' और 'करते' से पूरा हो जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रीचन्द---मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (घ) की पहली पंक्ति में शब्द "की" तथा 'चल' के बीच में शब्द "व्यापारिक" रख दिया जाय। इसी उपखंड के भाग (घ) के अन्त में पूर्ण विराम "(।)" के स्थान पर अर्ध विराम (,) रख कर ये शब्द जोड़ दिये जांय---

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी कृषक के एक या अधिक खातों को ३० एकड़ तक की भूमि में उगने वाली फसल घास, पेड़ और वस्तु से सम्बन्ध नहीं है।"

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो कर लगाया गया है वह ऐसी वस्तुओं पर है जिनसे व्यापार किया जाता है परन्तु मैं यह देख रहा हूं कि जो माल की परिभाषा दी गई है उसमें

[श्री श्रीचन्द]

व्यापारिक वस्तुओं की ओर संकेत नहीं किया गया है। यदि उसके पहले व्यापारिक शब्द जोड़ दिया जाय तो उन उपज या वस्तुओं पर यह टैक्स लगाने की हमारी बात पूरी हो जाती है। ३० एकड़ से यदि ऊपर आय है तो उसमें कृषि आय कर भी है परन्तु अधिक संख्या में ऐसा देखने में आता है कि बहुत से कृषक अपनी भूमि को न जोत कर उसमें घास या पेड़ इत्यादि लगा देते हैं। तो यह संदेह है कि ऐसी उपज पर टैक्स लग जायगा। यही मेरा तात्पर्य इस संशोधन से है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय श्रीचन्द्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हम लोगों ने जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम बनाया उसके अन्तर्गत ३० एकड़ तक जमीन के जोतनेवाले काश्तकार को हर तरह का प्रोत्साहन दिया गया है और उसका फायदा उठाने के लिये भी हर तरह से जितनी मदद सरकार को करनी चाहिये थी वह करने की कोशिश करती है और जहां तक यह बिक्री का जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसी से हमारी वह नीति जो काश्तकारों को आगे बढ़ाने की है यह उसके बिलकुल विपरीत जा रहा है क्योंकि ३० एकड़ जमीनवालों के लिये हम यह कोशिश कर रहे हैं कि उनको हर तरह की इमदाद हम दें ताकि वह अधिक से अधिक उस भूमि में उत्पादन कर सकें और जिससे हमारे देश को भी लाभ हो सके। यदि हम ऐसा किसी प्रकार का टैक्स काश्तकार पर लगाते हैं तो जो प्रोत्साहन उनको दिया जा रहा है उसका हम खात्मा कर रहे हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस सन्शोधन को जोड़ने के लिये राय देंगे।

श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे आदरणीय भाई श्री चन्द जी ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं और उसके लिये कारण यह है। माननीय श्री चन्द्रजी को ऐसी शंका मालूम होती है कि "माल" (गुड्स) की परिभाषा बदल देने से जो आदमी जिस काम को करते हैं उस पर टैक्स लग जायगा लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर 'माल' (गुड्स) की परिभाषा बदल दी गई तो उसके मानी यह नहीं हैं कि सबके ऊपर टैक्स लग जायगा। वास्तविक परिस्थिति तो ऐसी है कि जिन चीजों पर हमारे प्रदेश में टैक्स नहीं लगता और प्रदेशों में लगता है, उनकी भाई श्री चन्दजी को यह शंका है कि इसके बदल देने से काश्तकार के सामान पर टैक्स लग जायगा तो मेरा निवेदन यह है कि जिन चीजों पर टैक्स लगने का आपको शुबहा मालूम पड़ता है वे टैक्स से बरी हैं। अतः मैं समझता हूं कि उनका शुबहा निराधार है। यहां तो केवल परिभाषा (डेफिनीशन) बदली जा रही है, यहां इस बात का तो सवाल ही नहीं है कि किन चीजों पर टैक्स लगाया जाय या किन पर न लगाया जाय।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—यह जो परिभाषा ली गयी है वह इंडियन गुड्स रूल्स ऐक्ट से ली गयी है। सारे देश में सेल्स टैक्स लागू है अतः इसकी जरूरत है कि जो कोई परिभाषा हो वह सब जगह ऐसी हो कि सब को कवर कर ले। यह तो हमें अधिकार है कि किसी चीज पर टैक्स लगावें या न लगावें। गुड्स की डैफीनीशन बदल जाने का यह परिणाम नहीं होगा कि किसी चीज पर टैक्स लग जावे या किसी चीज पर न लगे। बीसियों चीजें ऐसी हैं जो इसकी परिभाषा में आती हैं लेकिन उनपर टैक्स नहीं है। इसलिये इससे और टैक्स के लगने या न लगने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो परिभाषा इंडियन सेल्स आफ गुड्स रूल्स ऐक्ट में गुड्स की है वह सबको रखने का प्रयत्न करना चाहिये। अतः उसको रखने में मैं समझता हूं किसी प्रकार का कोई शक न होनी चाहिये।

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मेरा तात्पर्य तो इससे यह था कि हम यहां पर जो कानून बनायें वह इतने ढीले न रह जायं कि मैजिस्ट्रेट या किसी और के ऊपर हम छोड़ दें कि वह मनमानी कर सकें बल्कि मैं ऐसे शब्द चाहता था कि जिससे इस प्रकार का कोई

अवसर न मिले। अगर इस प्रकार के शब्दों से ही मेरी बात पूरी हो जाती है तो मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हुये अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं--

"खंड २ के उपखंड (२) के भाग (घ) की पंक्ति एक के शब्द "और" से लेकर पंक्ति पांच के शब्द "चुका हो" तक का वाक्यांश निकाल दिया जाय।

जिस उपविभाग का मैंने जिक्र किया है वह इस प्रकार है--

"माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत उगने वाली फसल घास, पेड़ और ऐसी वस्तु है जो भूमि से लगी हुई अथवा भूमि से स्थायी रूप से लगी हुई किसी वस्तु से जकड़ी हुई हो किन्तु जिसका बिक्री के मुआहिदे के अन्तर्गत पृथक करना तय हो चुका हो।"

इतना मैं निकाल देना चाहता हूं। करीब-करीब ३० एकड़ भूमि को लेकर माननीय श्री श्रीचन्द जी ने भी एक संशोधन पेश किया था। वे चाहते थे कि एक प्रतिबन्ध लगा कर इस बात को रोक दिया जाय लेकिन मैं चाहता हूं कि ये शब्द ही इसमें न रहें। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि इंडियन सेल्स आफ गुड्स ऐक्ट के अनुरूप इसकी परिभाषा बनाने के लिये ऐसा किया गया है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि केवल मद्रास ही एक ऐसा प्रदेश है जिसने इस प्रकार का संशोधन किया और दूसरा यह प्रदेश है। यह भी ठीक है कि यह सरकार को अधिकार है कि वह किसी चीज पर टैक्स लगाये या न लगाये लेकिन सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया कि घास वगैरह माल की परिभाषा में क्यों रक्खी जा रही है और यह परिभाषा जो घास वगैरह की दी है, अध्यक्ष महोदय, मिसाल के तौर पर गन्ने का नाम उनमें पहले ही आता है और आप जानते हैं और पहले भी सुन चुके हैं कि सरकार की ओर से कहा गया है कि गन्ना किसानों का और चीनी मिलों के बारे में कहा गया है कि यह हमारे प्रदेश की बड़ी भारी इंडस्ट्री है और गन्ने से किसानों को बहुत लाभ होता है। तो थोड़े दिनों के लिये अगर सरकार यह चाहती है कि गन्ने के सेल पर भी टैक्स लगे तो ऐसी सूरत में यह एक ऐसी परिभाषा रहती है तो विधान सभा ने एक दफा भी अपना अधिकार दे दिया तो वह सरकार के ऊपर कभी भी नियंत्रण नहीं रख सकती जिसकी वजह से वह ऐसा न करे। मूल अधिनियम में इस धारा के उस अंश का, जो गुड्स का डिफिनिशन दिया हुआ है, वह इस प्रकार है:--

"(a) 'goods' means all kinds of movable property other than actionable claims stocks shares or securities, and includes electrical energy and every material, article and commodity, whether or not to be used in construction, fitting out, improvement or repair of immovable property."

इसमें बिजली वाला अंश नहीं है। तो बिजली वाले अंश को छोड़ कर ज्यों का त्यों रहता है। तो इतने व्यापक अधिकार लेने में आपत्ति हो सकती है। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार चाहती नहीं है लेकिन एक दफा विधान सभा ने मंजूर कर लिया तो हमारा हाथ तो कट ही जा सकता है। क्योंकि उस समय यह कहा जा सकता है कि आपने सरकार से आश्वासन क्यों नहीं मांगा आपने क्यों नहीं इसका विरोध किया। तो आज ऐसी शंकायें क्यों रखी जायं? अगर सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं है तो हमारी शंका को दूर करने के लिये उसे चाहिये कि जो पहला डेफिनिशन दिया हुआ है। वही रखा जाय और जो नया डेफिनिशन बदला जा रहा है उसको निकाल देना चाहिये।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---श्री रामनारायण त्रिपाठी का सुझाव श्री श्रीचन्द जी के सुझाव के खत्म होने के बाद आया यह कोई जगह रखता है या नहीं, यह तो मैंने आपत्ति नहीं उठायी। पर जो बातें उन्होंने कहीं वह तो उनके सुझाव में बिलकुल ही ऊपर लिखा हुआ है उसके अधीन थीं। वह सुझाव सदन द्वारा मंजूर हुआ और उन्होंने भी उसे वापस ले लिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंडियन सेल टैक्स आफ गुड्स का जो डेफिनिशन दिया हुआ है उसीके मुताबिक यह रखा गया है। इसके रखने का माने यह नहीं है कि जिन चीजों पर इस वक्त टैक्स लगा हुआ है उन पर टैक्स लगाया जाय। इस नीयत से यह परिभाषा नहीं बदली जा रही है बल्कि सिर्फ इसलिए कि कानून व शब्द की जो कायदे के मुताबिक व्यापक परिभाषा है, इंडियन सेल्स टैक्स आफ गुड्स में जो गुड्स की परिभाषा दी हुई है उसीके मुताबिक गुड्स का डेफिनिशन नहीं होने से काफी उलझन और गलतफहमी की गुंजाइश रहती है। सिर्फ उसी को हटाने के लिये ऐसी परिभाषा दी गयी है जैसा कि मैंने आपसे कहा और जिसे श्री रामनारायण त्रिपाठी जी भी मानते हैं कि इसका सम्बन्ध टैक्स लगाने से बिलकुल नहीं है। क्योंकि टैक्स तो बहुत सी चीजों पर लगा हुआ है जो कि गुड्स की परिभाषा के अन्दर आती हैं और हमारे प्रदेश में जितनी चीजें टैक्स से बरी हैं उतनी तो कहीं हैं ही नहीं, किसी भी प्रदेश में नहीं हैं। १८ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से मद्रास को मिलता है, १६, १७, करोड़ रुपया बम्बई को मिलता है और हमारे प्रदेश की आबादी इन जगहों से बहुत ज्यादा है फिर भी सेल्स टैक्स से हमारी कुल आमदनी ५ करोड़ के लगभग है बल्कि उससे भी कम है। इसलिये इस दृष्टि से यह कभी भी नहीं है कि हम कोई सस्ती की चीजें करें या किसानों के ऊपर कोई बोझ डालें। परन्तु परिभाषा ऐसी होनी चाहिये कि शब्द का व्यापक अर्थ हो उसका किसी कानून में कोई दूसरा अर्थ न लगाया जाय और उससे कोई उलझन पैदा हो जाय। सिर्फ इसी दोष को हटाने के लिये यह किया गया है ताकि कोई गलतफहमी न होने पावे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय मुख्य मंत्री की वैधानिक आपत्ति का सवाल है माननीय श्री चन्द का संशोधन अगर मंशा कुछ रखता है लेकिन उसकी सीमा दूसरी है। तो वह उठ नहीं सकता। मुख्य मन्त्री जी की बात मैंने सुनी लेकिन उसके बावजूद भी आशंका वैसी है कि ऐसा क्यों रखा जा रहा है। कोई कानूनी ऐसी दिक्कत नहीं है। पिछले कानून में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन किसी दूसरे ऐक्ट में कुछ परिभाषा है उनके मुताबिक यह कह दिया जाय और उसके मुताबिक हमारे सामने ऐसी बात रख दी जाय तो वह मानने के योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखण्ड (२) के विभाग (घ) की पंक्ति एक के शब्द "और" से लेकर पंक्ति पांच के शब्द "चुका हो" तक का वाक्यांश निकाल दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ३ का संशोधन।	३---मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:---
"अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण किया जा सकना	३---(१) इस अधिनियम के आदेशों के प्रतिबन्ध सहित, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष में पूर्व वर्ष के अपने विक्रय-धन (turnover) पर, जो उस रीति से जैसी निर्धारित की जाय, निश्चित किया जायगा, तीन पाई प्रति रुपये की दर से कर देगा:

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को धारा १८ में की गयी अन्यथा व्यवस्था के न रहते हुये, कर नहीं देना पड़ेगा यदि बदनी (भविष्य के मुआहिदों) (forward contracts) के विक्रय-धन को छोड़ कर जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया गया हो, पूर्व वर्ष का उसका विक्रय-धन १२,००० रुपये से या उस अधिक धनराशि से जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाय, कम हो;

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर किसी माल या माल के वर्गों के सम्बन्ध में विक्रय धन पर कर की दर कम कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसे विक्रय-धन पर कम की हुई दर से कर देय होगा;

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में पहिले प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्धारित धनराशि कम कर दी जाय तो व्यापारी द्वारा पूर्वोक्त प्रकार के देय कर का हिसाब निम्नलिखित ढंग से लगाया जायगा; अर्थात्

(क) कम करने के पूर्व की अवधि के विक्रय-धन पर उस हिसाब से, मानो कि धनराशि कम नहीं की गई है, और

(ख) शेष धनराशि पर उस हिसाब से, मानो कि कम की हुई धनराशि उन सभी दिनांकों पर प्रचलित थी जिनका उस विषय में कोई महत्व हो (on all material dates)।

(२) राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है कि कोई व्यापारी या व्यापारियों का वर्ग पूर्व वर्ष के विक्रय-धन पर कर भुगतान करने के बजाय कर-निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन पर कर भुगतान करे और तत्पश्चात् इस अधिनियम के सभी आदेश ऐसे व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों जहां कहीं भी प्रसंगानुसार अपेक्षित हो, शब्द "पूर्व वर्ष" के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण वर्ष" रख दिया गया है।"

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के पहले प्रतिबन्ध की पंक्ति ४ के शब्द "उसका" तथा शब्द "विक्रय धन" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"ऐसे मालों से सम्बन्धित जिन पर सेल्स टैक्स लगा हो"

अध्यक्ष महोदय, खंड ३ के जिस उपखंड की ओर इशारा है वह इस प्रकार है:--

"किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को, धारा १८ में की गयी अन्यथा व्यवस्था के न रहते हुये, कर नहीं देना पड़ेगा यदि बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के विक्रय धन को छोड़ कर जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया गया हो, पूर्व वर्ष का उसका विक्रय धन १२,००० रुपये से या उस अधिक धनराशि से जो उस सम्बन्ध में निर्धारित की जाय, कम हो।"

अध्यक्ष महोदय, विक्रय धन जो इसमें १२ हजार रुपया लिखा गया है इस विधेयक के अन्दर वह यह है कि इतने से ज्यादा बिक्री उसकी होनी चाहिये वह ऐसे मालों की बिक्री पर होनी चाहिये जिन पर सेल्स टैक्स लागू है। इस बिल के अनुसार सरकार ने ऐसा प्राविजन रखा है कि किसी व्यापारी को हिसाब किताब उस माल को अलग रखना पड़ेगा जिस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता है और उस दूसरे किस्म के मालों पर जिन पर सेल्स टैक्स लगता है उनका हिसाब किताब अलग रखना

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

पड़ेगा। तो यह १२ हजार भी ऐसे मालों के लिये होना चाहिये जिन पर सेल्स टैक्स लगता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिये कि एक व्यापारी है जिसकी बिक्री १२ हजार रुपये है लेकिन ६ हजार का माल उसका ऐसा बिका है जिसपर टैक्स नहीं लगता है और ६ हजार का माल ऐसा बिका है जिसपर टैक्स लगता है लेकिन अगर १२ हजार इस तरह रख दिया जाता है तो वह माल भी जिस पर टैक्स नहीं लगता है टैक्सेबिल हो जाता है। तो मेरे कहने का मंशा यह है कि १२ हजार का जो सीमा है वह टैक्सेबिल मालों की ही होनी चाहिये।

श्री गोविन्दबल्लभ पन्त---इस सेल्स टैक्स के कायम करने में इस बात का लिहाज किया जाता है कि कुल बिक्री किसकी कितनी होती है। उसका खास कारण तो यह है कि बहुत छोटे छोटे लोग जो हैं जिनके वहां की बिक्री बहुत कम होती है उनके मामले में इस तरह वसूल करने में दिक्कत होती है और तादाद भी बहुत बढ़ जाती है। इसलिये उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। जो नियम है वह यही है कि १२ हजार से जिनको आमदनी ज्यादा हो जिनकी सालाना टर्न-ओवर १२ हजार से ज्यादा हो उन पर टैक्स लग सकता है। जैसे मैंने कहा जिस समय १२ हजार की सीमा नियत की गई थी वह तो इसलिये की गई थी कि जो छोटे-छोटे काम करने वाले दूकानदार हैं उनको इस मामले में कोई एहतियात करने की जरूरत न हो। सेल्स टैक्स के लिये बहुत बड़ी तादाद आदमियों की न हो जिनसे सेल्स टैक्स वसूल करना हो मगर कोई कारण नहीं मालूम होता कि जिनका टर्नओवर १२ हजार का हो अगर उसमें कुछ माल ऐसा हो जिसपर सेल्स टैक्स कायम होता है और कुछ ऐसा हो जो कि एग्जेम्प्ट किया गया है तब जिस माल पर सेल्स टैक्स लगना चाहिये उसपर भी न लगे, यह तो कोई वजह नहीं मालूम होती।

सेल्स टैक्स जो लगता है वह तो खरीदार से वसूल किया जाता है। जो आदमी सेल्स टैक्स देता है वह अपनी आमदनी से तो देता नहीं है, वह तो खरीदार से ही वसूल करके देता है। तो जो चीज एग्जेम्प्ट नहीं है जिस पर सेल्स टैक्स---उसकी बिक्री चाहे १२ हजार या उससे ज्यादा की हो---लग सकता है और मैं समझता हूं कि अमूमन सस्ता है उस हालत में कोई वजह नहीं है कि उसको छोड़ा जाय। जो १२ हजार की लिमिट है उससे यह भी जाहिर होता है कि उसका काम अच्छा हो और उसका काम अच्छा होने से उसको कोई दिक्कत रहती नहीं है बल्कि ऐसे नियम बनाने से ज्यादती उन लोगों पर होती है जो कि माल से बरी नहीं हैं, जिनपर सेल्स टैक्स लगता है उन्हीं के यहां अगर कोई काम करे तो अगर उसकी १२ हजार की बिक्री हो तब तो उस पर सेल्स टैक्स लगे और वह १२ हजार पर लगे मगर, अगर ५० हजार की बिक्री हो और अगर उसका ५ हजार का माल ऐसा हो जिस पर सेल्स टैक्स लगता है तो वह ५ हजार का माल भी बरी हो जाय, यह तो इंसाफ के खिलाफ बात मालूम होती है। तो उस माल में उस किस्म के माल की कम बिक्री होने से सेल्स टैक्स लग सके मगर ज्यादा बिक्री होने से न लगे यह बात सही नहीं लगती है और यह नियम कोई ऐसा नहीं है जो कि नया हो बल्कि यह तो पहले से जारी है और वह चलता है। यदि यह संशोधन होने भी दिया जाय तो इसके साथ जब तक और बहुत से संशोधन सारे ऐक्ट में नहीं होते तब तक उसका परिणाम नहीं निकल सकता, यह तो उसका एक टुकड़ा सा हो है। नियम सब जगह यही है कि जो टर्नओवर हो उसमें सब किस्म का माल शुमार किया जाय लेकिन सेल्स टैक्स की अदायगी के लिये वह माल लिया जाय जिसपर कि सेल्स टैक्स लगता है। मैं समझता हूं कि जो तरीका है वही ठीक है और जो सुझाव है उससे ज्यादा गैरइन्साफी होने की बात है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सेल्स टैक्स बिक्री धन (टर्नओवर) की सीमा पर रखा जाय। मंशा सरकार का यह है कि छोटे छोटे व्यापारियों की सुरक्षा हो सके। मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन ही ऐसा है जो सही मानों में छोटे-छोटे व्यापारियों की सुरक्षा करता है। इसलिये जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक उदाहरण देकर बताया कि ५० हजार रुपये की किसी ऐसे व्यापारी की बिक्री हो जिसपर सेल्स टैक्स न लगता हो और अगर ५ हजार ऐसा भी माल बेचता हो जिसपर सेल्स टैक्स लगता हो तो उससे सेल्स टैक्स क्यों न वसूल किया जाय। वैसे किसी को सेल्स टैक्स अपने घर से तो देना नहीं पड़ता है लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वे सेल्स टैक्स ग्राहकों से वसूल न करके अपने पास से दे देते हैं लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनमें इतनी समृद्धि होती नहीं और न उन्हें इतना लाभ ही होता है कि वह ग्राहकों से न लेकर अपने पास से दे दें। नतीजा यह होता है कि छोटे व्यापारी प्रतियोगिता में बड़े-बड़े व्यापारियों का मुकाबला नहीं कर पाते। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैंने ऐसी आशा की थी और यह स्वाभाविक सी बात भी मालूम होती है कि जब सेल्स टैक्स हमें लगाना है और उसके बारे में हम अधिनियम बना रहे हैं, तो जिस पर सेल्स टैक्स लगता है उनका टर्नओवर १२ हजार हो तब उसपर टैक्स लगाया जाय तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिये मैं मजबूर हूं कि अपना संशोधन पेश करूं और मैं तो आशा करता हूं इस मंशा को देखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---और तो कुछ कहना नहीं है। श्री रामनारायण जी समझते हैं कि मैंने जो बात कही, ठीक है, मगर मानते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के पहले प्रतिबन्ध की पंक्ति ४ के शब्द "उसका" तथा शब्द "विक्रय धन" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय---

"ऐसे मालों से सम्बन्धित जिनपर सेल्स टैक्स लगा हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---माननीय श्री श्रीचन्द।

श्री श्रीचन्द---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय मुख्य मंत्री जी के अमूल्य व्याख्यान को सुना और सुनकर मेरा यह विचार हुआ कि मेरा अगला जो संशोधन है उसको मैं प्रस्तुत न करूं। कारण यह है कि मैंने यह चाहा था कि १२ हजार रुपये के स्थान पर ६ हजार रुपये रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---तो आप पेश नहीं करना चाहते?

श्री श्रीचन्द---इसी विचार से मैं इसको प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं---

"खंड ३ के उपखंड (१) के पहले प्रतिबन्ध में अंक '१२,०००' के स्थान पर अंक "२०,०००" रख दिये जायं।"

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अपने पिछले भाषण में इसका जिक्र किया था और मेरे संशोधन का मतलब सिर्फ यही है कि १२ हजार के स्थान पर, अगर दोनों प्रकार

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

के मालों पर टैक्स लगाने की सीमा बांधी जाती है, २० हजार कर दी जाय। मैंने पहले यह बतलाया था कि ऐसे मालों का विक्रय धन शामिल किया जाय जिस पर सेल्स टैक्स आप लेते हैं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की और मेरा वह संशोधन गिर गया। तो अब मैं यह चाहता हूं कि वह सीमा १२ हजार के बजाय २० हजार कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबारों में प्रकाशित हुआ है, आप जानते होंगे कि बम्बई प्रदेश में सीमा २५ हजार कर दी गयी है। बम्बई व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा केन्द्र है और गेट वे आफ इंडिया कहा जाता है। मैं समझता हूं कि वहां की गवर्नमेंट के सामने इसके कारण रहे होंगे। जहां तक मेरी समझ में आता है यह १२ हजार की सीमा रखने से छोटे छोटे व्यापारी बहुत परशान होंगे, आठ, दस, बारह का टर्नओवर सेल्स टैक्स के अधिकारियों के लिये साबित कर देना बहुत आसान है जब कि उनके व्यापक अधिकार हैं और जब वे पुराने तीन तीन साल के कागजात मंगा करके सेल्स टैक्स असेस कर लेते हैं। ऐसी दशा में अगर सीमा बीस हजार रुपये की कर दी जाती है तो छोटे व्यापारियों का बचत हो जायगी। जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि बड़े व्यापारी सरकारी कर्मचारियों से मेल जोल रख कर अगर उनका टर्नओवर ज्यादा भी होता है तो कम दिखाते हैं और कम पर ही टैक्स देते हैं।

दूसरी बात यह है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वे अपने बड़े मुनाफे से आम तौर पर सेल्स टैक्स दे दिया करते हैं और इस प्रकार छोटे व्यापारियों पर उसका ज्यादा भार बढ़ जाता है और उनके यहां ग्राहक नहीं जाते हैं। मान लीजिये बाजार में एक बड़ा व्यापारी है और एक छोटा व्यापारी है। जो सेल्स टैक्स की चीजें हैं कपड़ा वगैरा, उनको लेने के लिये एक ग़रीब किसान बड़े व्यापारी के यहां जाता है क्यों उसको वहां चीजें दो पैसे कम में मिलती हैं। इस प्रकार हर आदमी बड़े व्यापारी के यहां जायगा, क्योंकि वह अपनी बचत देखेगा, उस छोटे व्यापारी की बचत नहीं देखेगा। तो यह सीमा बढ़ा देने से छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। इस तरह मेरी मंशा और माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा एक हो जाती है और मैं समझता हूं कि यह संशोधन सरकार को स्वीकार होगा।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—श्री रामनारायण जी ने अपने भाषण में यह कहा कि चूंकि मैंने उनका जो संशोधन पहले पेश हुआ था वह नहीं माना, इसलिये वह समझते हैं कि यह संशोधन होना चाहिये। पहला संशोधन तो यह था कि १२ हजार की सीमा कायम रहे, पर जोकि माल ऐसा बेचा जाता हो जिसपर टैक्स न लगता हो वह टर्न ओवर में शामिल न किया जाय। तो मुझे कोई कारण नहीं मालूम होता है कि उनकी जो यह धारणा पहले थी कि १२ हजार का माल जोकि टैक्स लगाने वाला लोग बेचते हैं, उस पर टैक्स लिया जाय, अब वह २० क्यों हो जाय, इस कारण से कि जो लोग कुछ ऐसा माल भी बेचते हैं जो कि टैक्स से बरी है और १२ हजार उनकी परिधि है, उसके कारण उनको तो कोई नफा नुकसान नहीं होता जब तक कि वह १२ हजार का ऐसा माल नहीं बेचते जिस पर टैक्स लग जायगा। तो उस कारण से तो मैं समझता हूं कि अब भी अपने संशोधन को छोड़ने की गुंजाइश होती है, क्योंकि यदि मैं उनकी बात मान लेता तो उसके माने यह होते कि १२ हजार का टर्नओवर जिनका ऐसा है कि जो बिक्री कर जिनमें लगता है उस ही माल को बेचते हैं उनके लिये तो १२ हजार कायम रहे और औरों के लिये भी कायम रहे मगर उनका और माल जिसमें टैक्स नहीं है वह शामिल न किया जाय। पर आम तौर से तो टैक्स उसीपर लगता है जो टैक्सेबिल माल बेचता है क्योंकि दुकानें एक ही होती हैं और उनमें लोग इस किस्म का माल बेच सकते हैं जो कि एक ही कैटेगरी के अन्दर आते हैं। इसलिये उनका संशोधन अगर मान भी लिया जाता तब भी आमतौर पर उन लोगों पर असर नहीं पड़ता जोकि जिन मालों में टैक्स लगता है उनका

व्यापार किया करते हैं। इसलिये उस संशोधन के न मानने से इस संशोधन को पेश करने की कोई जरूरत पैदा नहीं होती, न यह ज्यादा मुनासिब या ज्यादा मुंसिफाना हो जाता है।

अब सवाल यह है कि १२ हजार की टैक्सेबिल लिमिट की जाय या न की जाय। जहां तक इस सदन का ताल्लुक है वह जानता है कि हमारा सेल्स टैक्स ऐक्ट में समझता हूं कि हमारे सारे देश भर में सबसे ज्यादा मुलायम और सबसे ज्यादा जो लोग व्यापार करते हैं उनके हित में और जनता के हित में है। नहीं तो, जैसा मैंने पहले कहा, कोई वजह नहीं कि बम्बई में १६ करोड़ की आमदनी सेल्स टैक्स की है, मदरास में करीब १८ करोड़ की है और हमारी ५ करोड़ की हो जबकि हमारे यहां ज्यादा आबादी है और बड़े शहर भी हमारे यहां काफी हैं और छोटे कस्बे तो बड़ी भारी तादाद में हैं और व्यापार, व्यवसाय भी कुछ कम नहीं है और जहां तक कुटीर धंधों का ताल्लुक है वे भी हमारे प्रदेश में काफी होते हैं। परन्तु हमने सब चीजों को बरी कर रखा है क्योंकि कुछ भी बोझ आम तौर पर लोगों पर पड़ जायगा इसलिये उस एग्जेम्पशन को रखते हुये फिर इस टर्नओवर को बढ़ा देना यह तो इस सेल्स टैक्स ऐक्ट को उठा लेने के बराबर बात हो जाती है फिर इसके रखने से कोई खास आमदनी नहीं हो सकती, न कोई खास फायदा हो सकता है। बम्बई की एग्जेम्शन की चीजों को देखा जाय और यहां की चीजों को देखा जाय तो मालूम होगा कि कहीं ज्यादा चीजों को हमने एग्जेम्ट कर रखा है। इसके अलावा बम्बई में ५ हजार की लिमिट भी टर्नओवर की है। हमारे यहां तो किसी के लिये भी १२ हजार से कम की लिमिट नहीं है। इसलिये बम्बई ने दो कैटेगरी में माल को बांटा है। जोकि शायद हमारे यहां से एग्जेम्ट हैं वे उनकी सेकेंड कैटेगरी में बहुत कुछ आती हैं और जिन पर कि उनके यहां टैक्स ५ हजार के टर्नओवर में लगता है हमारे यहां उन पर भी १२ हजार से कम में नहीं लग सकता। और एग्जेम्पशन्स हमारे यहां बहुत ज्यादा हैं। इसलिये सारी चीजों को देखने से पता चलेगा कि हमारा जो कानून है वह किसी तरह से लोगों पर ज्यादा बोझ डालने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस वक्त आमदनी की जरूरत है, जिस तरह से कि हम डेवलपमेंट को चलाना चाहते हैं, उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। हम आज यदि सभी टैक्सों को छोड़ सकते तो सभी छोड़ देते, मगर टैक्स छोड़ कर काम चलता नहीं। काम चलाना तो है ही। ऐसी हालत में इसके टर्नओवर की लिमिट को ऊंचा करना तो इस वक्त संभव नहीं मालूम होता और स्टेट्स से मुकाबिला करने में मालूम होगा कि हमारी जो सारी स्कीम है उसको देखते हुये हमारे यहां ज्यादा एक मुलायम कानून है बमुकाबिले और जगहों के। वरना अगर हम ऐसा करते तो हमारी भी आमदनी १५-१६ करोड़ सेल्स टैक्स से आसानी से हो सकती।

श्री अध्यक्ष—आप इसको प्रेस नहीं करना चाहते ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी, करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के पहले प्रतिबन्ध में अंक "१२,०००" के स्थान पर अंक "२०,०००" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४, ५, ६, ७, ८, ९ तथा १०

४—वर्तमान धारा ३-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—	सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ३-ख का संशोधन।
३-ख—बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के संबंध में, जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया जाता, किसी व्यापारी के विक्रय-धन का हिसाब कर-निर्धारण और कर-भुगतान के प्रयोजनार्थ उसके शेष विक्रय-धन से अलग लगाया जायगा और अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी उस पर	'बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के विक्रय-धन पर कर।

कर लगाया जा सकेगा जो ऐसी दर से, जो दो रुपया प्रति इकाई (यूनिट) से अधिक न हो, जैसा कि निर्धारित किया जाय, देय होगा।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ६ का निकाला जाना।

५—मूल अधिनियम की धारा ६ निकाल दी जायगी।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ७ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ७ में—

(१) वर्तमान उपधारा (१) और पहिले प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(१) प्रत्येक व्यापारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करना है, पूर्व वर्ष या कर-निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन का ऐसा विवरण-पत्र (return) या ऐसे विवरण पत्रों को जो ऐसी अवधि में लागू होता हो या होते हों, ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में प्रमाणित (तसदीक) करके देगा जो निर्धारित की जाय।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को जो केवल ऐसे माल का व्यापार करता है जिसके विक्रय-धन पर कर भुगतान करने का उसका दायित्व न हो, कोई विवरण पत्र देने की आवश्यकता न होगी।"

(२) उपधारा (३) में शब्द "व्यापारी के पूर्व वर्ष की धनराशि" के स्थान पर शब्द "व्यापारी का विक्रय-धन" रखा जाय।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ७-क, ७-ख और ७-ग का बढ़ाया जाना।

७—मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें ७-क, ७-ख और ७-ग बढ़ा दी जांय :—

"७-क—(१) राज्य सरकार किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग को धारा ७ में उल्लिखित विवरण पत्र या विवरण पत्रों के अतिरिक्त कर-निर्धारण वर्ष के ऐसे भाग के विक्रय-धन का विवरण पत्र, ऐसी अवधियों पर और ऐसी रीति से जो निर्धारित की जायं, देने के लिये आदेश दे सकती है और कर निर्धारक अधिकारी उक्त धारा के आदेशों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के आदेशानुसार जहाँ तक वे लागू हो सकते हों, वर्ष के भाग के संबंध में अस्थायी रूप से (provisional) कर निर्धारित कर सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी व्यापारी से कर-निर्धारण वर्ष के भाग के लिये भी विवरण पत्र देने के लिये कहा जाय और कर-निर्धारक अधिकारी ने वर्ष के ऐसे भाग के लिये अस्थायी रूप से कर निर्धारित किया हो, तो इस प्रकार कर निर्धारित किये जाने के कारण पूरे वर्ष का कर-निर्धारण करने तथा पूरे वर्ष का विक्रय धन पुनः निश्चित करने में कर निर्धारक अधिकारी को कोई बाधा न होगी।"

"किसी वर्ष में सभी कर-निर्धारणों में कर की दर या उससे मुक्ति समान होगी।

७-ख—(१) किसी विशेष कर-निर्धारण वर्ष में किसी भी माल या माल के वर्ग के विक्रय-धन के संबंध में कर की दर या उससे मुक्त (exemption) उक्त वर्ष के सभी कर-निर्धारणों में समान होगी चाहे निर्धारित विक्रय-धन पूर्व वर्ष का हो या कर-निर्धारण वर्ष का हो।

(२) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में किसी माल या माल के वर्ग के विक्रय धन के सम्बन्ध में कर की दर बदली जाय या ऐसे वर्ष के दौरान में धारा ४ के अधीन कोई मुक्ति दी जाय और नई दर या मुक्ति के प्रचलित होने के पहिले पूर्व वर्ष के विक्रय-धन पर ऐसे वर्ष के लिए कोई कर-निर्धारित किया जा चुका हो तो नई दर या मुक्ति को ध्यान में रखकर फिर से ऐसा कर-निर्धारण किया जायगा ।"

"मृत व्यक्ति के कर का भुगतान उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा ।

७-ग--(१) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, तो उसका निष्पादक (executor) , प्रशासक (administrator) या अन्य विधिक प्रतिनिधि (legal representative) ऐसे व्यक्ति द्वारा देय-निर्धारित कर या कोई अर्थ-दंड (penalty) जो यदि वह न मरा होता तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय होता, मृत व्यक्ति की सम्पत्ति (Estate) से उस सीमा तक, जहां तक व्यय सम्पत्ति से पूरा हो सकता हो, भुगतान करेगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर धारा ७ के अनुसार जारी किये गये नोटिस, यदि कोई हो, के तामील होने के पूर्व मर जाय, तो उसका निष्पादन प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, पूर्वोक्त नोटिस तामील होने पर उसका पालन करेगा और कर-निर्धारक अधिकारी मृत व्यक्ति के विक्रय-धन पर उसी प्रकार कर-निर्धारण करेगा, मानो ऐसा निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति है जिस पर कर निर्धारित करना है ।

(३) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ के आदेशों के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र प्रस्तुत किये बिना या ऐसा विवरण पत्र प्रस्तुत करके, जिसके संबंध में कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह अशुद्ध या अपूर्ण है, मर जाय, तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यक्ति का विक्रय-धन निश्चित कर सकता है और ऐसे निश्चित किये गये विक्रय-धन के आधार पर उसके द्वारा देय कर निर्धारित कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये नोटिस द्वारा मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि से कोई लेखा, लेख-पत्र (document) या अन्य साक्ष्य, जिसे इस अधिनियम के आदेशों के अधीन मृत व्यक्ति से प्रस्तुत करने के लिये कहता, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दे सकता है ।

(४) उपधारा (१) से (३) तक के आदेश किसी भागीदारी (partnership) फर्म पर, जिसके एक या एक से अधिक भागीदार मर गये हों, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(५) धारा ९, १० और ११ के अधीन अपील, निरीक्षण (revision) और समाधान (reference) से सम्बद्ध आदेश इस धारा के अनुसार किये गये कर-निर्धारण पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो पूर्वोक्त निष्पादक, प्रशासक अथवा विधिक प्रतिनिधि स्वयं ही व्यापारी है ।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ८ का संशोधन ।

८--(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८ को धारा ८ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय और उसमें शब्द "उसी प्रकार वसूल की जायगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो" के स्थान पर शब्द "उपधारा (२) के अनुसार वसूल की जा सकेगी" रखा जायगा ।

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जायगा --

"(२) कोई कर अथवा अन्य शेष धनराशि (due) जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय हो, उसी प्रकार

वसूल की जा सकेगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) (as arrears of land revenue) हो।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ८-क का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ८-क में निम्न लिखित उपधारा (३-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(३-क) उपधारा (३) के अधीन किसी क्रेता (purchaser) से कर वसूल करने के प्रयोजनों के लिये कोई रजिस्टर्ड व्यापारी मूल्य में आठ आना तक रुपये की भिन्न (fraction of a rupee) की गणना नहीं करेगा और आठ आना से अधिक भिन्न की एक रुपया मान कर गणना करेगा।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ९ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ में—

(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"(१) कोई व्यापारी जो धारा १५-क के अधीन अर्थ-दंड लगाने वाली आज्ञा अथवा धारा ७, ७-क, ७-ख, १८ या २१ के अधीन निर्धारित कर के विरुद्ध आपत्ति करता है, आज्ञा की प्रतिलिपि अथवा कर-निर्धारण का नोटिस जैसी भी दशा हो, के तामील होने के दिनाँक से ३० दिन के भीतर ऐसे अधिकारी के सामने अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाय:—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील गृहीत (entertain) न होगी यदि उसके साथ इस बात का संतोषप्रद प्रमाण न होगा कि अपीलकर्त्ता (appellant) न उतने कर का, जिसका दायित्व वह मानता हो, अथवा उसकी ऐसी किस्तों का, जो देय हो गई हों, भुगतान कर दिया है।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग न करेगा और न किसी ऐसे अन्य कार्य का सम्पादन करेगा, जो ऐसे अधिकारी की हैसियत से उसे दिये या सौंपे न गये हों।"

(२) उपधारा (३) में वाक्य-खंड (ख) के अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्ध विराम रखा जाय, जिसके बाद शब्द 'अथवा' होगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित एक नया वाक्य खंड (ग) बढ़ाया जाय :—

"(ग) अर्थदंड लगाने वाली आज्ञा का समर्थन (confirm) कर सकते हैं या उसे निरस्त (cancel) कर सकते हैं या लगाये गये अर्थदंड की धनराशि को कम कर सकते हैं।"

(३) उपधारा (५) के बाद निम्नलिखित उपधारा (६) के रूप में बढा दिया जाय :—

"(६) इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपीलों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ लागू होगी।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४, ५, ६, ७, ८, ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११—मूल अधिनियम की धारा १० में—

सं० प्रा० ऐक्ट १५,१९४८ ई० की धारा १० का संशोधन।

(१) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(३) फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी (Revising Authority) किसी भी समय स्वतः (suo motu) अपने विवेक से (in his discretion) या बिक्री कर कमिश्नर या असंतुष्ट व्यक्ति की प्रार्थना पर इस अधिनियम के अनुसार किसी अपील सुनने वाले अधिकारी या कर-निर्धारक अधिकारी की किसी आज्ञा का लेखा (record) आज्ञा के विधान युक्त या उचित होने के संबंध में अपने को संतुष्ट करने के लिये माँग सकता है तथा उसकी जाँच कर सकता है और ऐसी आज्ञा जिसे वह उचित समझे दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी मामले में कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र गृहीत न किया जायगा यदि ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती हो, किन्तु की न गई हो।" •

(२) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३-क) और (३-ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(३-क) उपधारा (३) के अधीन दी गई आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रार्थी पर तामील की जायगी।"

"(३–ख) उपधारा (३) के अधीन प्रार्थना-पत्र उस आज्ञा के तामील होने के दिनाँक से [६ माह] एक वर्ष के भीतर दिया जायगा, जिसके संबंध में आपत्ति की गई हो, किन्तु फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी (Revising Authority) पर्याप्त कारणों के प्रमाण पर किसी प्रार्थना-पत्र को और अधिक ६ मास की अवधि के भीतर गृहीत (entertain) कर सकता है।"

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं —

"खंड ११ में मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (३) का पहला प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में खंड ११ में जो मूल अधिनियम की धारा १० में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया है उसमें पहला प्रतिबन्ध इस प्रकार है:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी मामले में कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र गृहीत न किया जायगा यदि ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती हो, किन्तु की न गयी हो।"

मैं आपकी आज्ञा से मूल अधिनियम की धारा १०, जिसको प्रस्तावित किया जाने वाला है, उसको पूरा पढ़ दूं।

"(३) फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी किसी भी समय स्वतः अपने विवेक से या बिक्री कर कमिश्नर या असंतुष्ट व्यक्ति की प्रार्थना पर इस अधिनियम के अनुसार किसी अपील सुनने वाले अधिकारी या कर-निर्धारक अधिकारी की किसी आज्ञा का लेखा आज्ञा के विधान युक्त या उचित होने के संबंध में अपने को संतुष्ट करने के लिये मांग सकता है तथा उसकी जांच कर सकता है और ऐसी आज्ञा, जिसे वह उचित समझे, दे सकता है।"

•

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उसी संबंध में यह कहा गया है, लेकिन ऐसा कार्य ऐसे व्यक्ति के संबंध में न किया जायगा जो अपील कर सकता है लेकिन जिसने अपील न की हो। तो मैं समझता हूं कि जब ऊपर वाली धारा इतनी व्यापक है तो अपील न करने वालों को ऐसा दंड क्यों दिया जाय कि अगर उसने अपील करना मुनासिब न समझा हो और ऐसी कोई त्रुटि नहीं हो और बाद में ऐसी डिस्क्रेंसी निकल आये जिससे व्यापक असर होने वाला हो। तो इस प्रतिबन्ध की विशेष आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती और अगर निकाल दिया जाय तो कोई खास फर्क भी इस विधेयक में नहीं पड़ेगा।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—इस में जो कि कायदे और कानून सभी मुहकमे में हैं वह इसमें भी रखे गये हैं कि जहां अपील हो सके तो पहले आदमी अपील करे। जब उसमें नाकामियाब हो तब वह रिवीजन या निगरानी करा सकता है सभी कानूनों का आम तौर पर यही उसूल है और इसी के मातहत कार्यवाही होती है। अपील जहां हो सके, रिवीजन करना वहां मुनासिब नहीं समझा जाता है। अगर अपील में नाकामयाबी हो तो रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। परन्तु इसमें दो बातें हैं। एक तो यह कि अपील न करने पर गवर्नमेंट भी रिवीजन नहीं करा सकती। अगर कोई पार्टी जो अप्लीकेंट हो, जिस पर टैक्स लगा हो वह अगर अपील नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। क्योंकि जबकि सेल्स टैक्स गवर्नमेंट की राय में किसी प्रकार कम रखा जाय तो गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए। अगर नहीं करती तो वह भी रिवीजन में नहीं जा सकता। पहले उसको भी अपील करनी चाहिये। तो गवर्नमेंट को भी पाबन्दी है कि अगर अपिलेट कोर्ट में जाना है तो अपील में भी जाना चाहिये। न जायं और रिवीजन करदें यह मुनासिब नहीं है क्योंकि रिवीजन को अदालत अपीलट कार्ट की जगह ले ले तो इन्तजाम गड़बड़ा जाता है।

दूसरी बात सिर्फ अप्लीकेशन न देने की है, मुझे मोटो भी जब कोई रिवीजन कोर्ट समझेगी कि किसी मामले में बेजा बात हुई है तो वह किसी भी रेकर्ड को मंगा करके खुद फैसला कर सकती है इसलिये रिवीजन कोर्ट के डिस्क्रीशन को कम नहीं किया गया है। रिवीजन कोर्ट अपनी तरफ से जैसा चाहे कर सकती है। मगर अपील का जो हमारा दस्तूर है कोई पार्टी भी अगर अपील न करे तो फिर वह इस पर इनसिस्ट नहीं कर सकता कि रिवीजन में अपील की जगह रिवीजन कोर्ट ले ले। रिवीजन कोर्ट को खुद अख्तियार है कि अपने डिस्क्रीशन में जैसा चाहे करे। यही हमारा तरीका है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री की बातें सुनीं। यह आमतौर पर नहीं हुआ करता। चाहे बहुत से कानूनों में भले ही हो कि जहां अपील हो सकती हो और अपील न की गई हो तो रिवीजन न हो। रिवीजन और अपील में यह फर्क माना जाता है कि रिवीजन में सिर्फ कानूनी प्वाइन्ट्स लिये जाते हैं। फैक्ट्स को चैलेंज नहीं किया जाता है। भारत के संविधान के मुताबिक भी हमें अधिकार है कि कोई भी कानूनी प्वाइन्ट्स अगर दिखलाना चाहता है तो उसको दिखलाकर अपनी बचत कर सके और बड़े से बड़े अपराधी भी बच जाते हैं। इसीलिये अपील और रिवीजन दोनों का प्राविजन किया गया है कोई अगर फैक्ट्स के बारे में न चैलेंज करना चाहे तो कानूनी प्वाइन्ट्स से फायदा उठा ले। इसलिये मैं नहीं समझता कि क्या दिक्कत सरकार के सामने पड़ी कि अगर अपील न हो सके तो रिवीजन भी न हो। ऐसी हालत में यह प्रतिबन्ध निकाल ही दिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (३) का पहला प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

१२—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ११ का संशोधन।

हाई कोर्ट के मामले का विवरण

११—(१) धारा १० की उपधारा (३) के अधीन [दी गई] आज्ञा के तामील होने के दिनांक से [६०] एक सौ बीस दिन के भीतर असन्तुष्ट व्यक्ति लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा जिसके साथ १०० रु० शुल्क (फीस) दिया जायेगा, फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी से प्रार्थना कर सकता है कि वह उक्त आज्ञा से उत्पन्न होने वाले किसी कानूनी प्रश्न को समाधान (reference) के लिये हाई कोर्ट को भेज दे और फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी यदि वह प्रार्थना-पत्र को गृहीत करने से इंकार न कर दे, ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने से एक सौ बीस दिन के भीतर मामले का विवरण तैयार करेगा और समाधान के लिये हाई कोर्ट को भेज देगा।

(२) यदि फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा (१) के अधीन मामले को समाधान के लिये भेजने से इनकार करे तो वह प्रार्थी को नोटिस द्वारा तदनुसार सूचित करेगा और तब प्रार्थी उक्त इनकार की नोटिस पाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपना प्रार्थना-पत्र वापस ले सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो शुल्क (फीस) उसे लौटा दिया जायगा।

(३) उपधारा (१) के आदेश इस परिवर्तन के साथ बिक्री कर कमिश्नर पर भी लागू होंगे कि उसके लिये कोई शुल्क (फीस जमा करना आवश्यक न होगा। [और मानो कि शब्द "साठ दिन" के स्थान पर शब्द "एक सौ बीस दिन" रख दिये गये हों।]

(४) यदि उपधारा (१) या (३) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी इस आधार पर मामले का विवरण देने से इन्कार करे कि उसमें कोई कानूनी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता तो असन्तुष्ट व्यक्ति या बिक्री-कर कमिश्नर यथास्थिति, उस पर उक्त इनकार का नोटिस तामील किये जाने से नब्बे दिन के भीतर हाई कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दे सकता है और हाई कोर्ट, यदि इस बात से संतुष्ट न हो कि फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी का निर्णय सही था, फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी से कह सकता है कि वह मामले का विवरण समाधान के लिये भेज दे और इस आदेश के प्राप्त होने पर फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी मामले का विवरण देगा और उसे समाधान के लिये भेजेगा।

(५) यदि हाई कोर्ट को इस बात का संतोष नहीं होता कि इस धारा के अधीन समाधान के लिये भेजे हुये मामले का विवरण इस बात के लिये पर्याप्त है कि वह उसके आधार पर उठाये गये प्रश्न का निर्णय कर सके, तो वह उस विवरण में ऐसी बातें सम्मिलित करने और उसमें ऐसे परिवर्तन करने के लिये जैसा कि उक्त कोर्ट निदेश दे, उस विषय को फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी के पास वापस भेज सकता है।

(६) किसी ऐसे मामले की सुनवाई करके हाई कोर्ट उसमें उठाये गये कानूनी प्रश्न का निर्णय करेगा और उसके संबंध में अपनी तजवीज देगा, जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायगा जिनके आधार पर उक्त निर्णय किया गया है और उस तजवीज की एक प्रति फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी तथा बिक्री-कर कमिश्नर के पास भेजेगा, जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे और तदुपरान्त फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी उस मामले के उक्त तजवीज के अनुरूप निबटारे के लिये ऐसी आज्ञायें देगा जो आवश्यक हों।

(७) जब कोई मामला इस धारा के अधीन समाधान (reference) के लिये हाई कोर्ट को भेजा गया हो, तो उसका व्यय दिलाना जिसमें उपधारा (१) में निर्दिष्ट शुल्क सम्मिलित है, हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर होगा।

(८) फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी की आज्ञा के अनुसार देय करों की उस धनराशि का, यदि कोई हो, भुगतान जिसके संबंध में उपधारा (१) या (३) के अधीन समाधान के लिये प्रार्थनापत्र भेजा गया हो, उक्त समाधान के विचाराधीन होने तक स्थगित न किया जायगा, किन्तु यदि उक्त समाधान (reference) के परिणामस्वरूप वह धनराशि कम कर दी जाय तो भुगतान किया हुआ अधिक कर ब्याज सहित, जिसकी दर २% से अधिक न होगी, जैसा भी हाई कोर्ट दिलाये लौटा दिया जायगा।

(९) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५, उपधारायें (१) (३) और (४) के अधीन प्रार्थना-पत्रों पर लागू होंगी।"

श्री श्रीचन्द—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १२ के उपखंड ६ की पंक्ति दो व तीन में "निर्णय" के स्थान पर "निश्चय" और दूसरी व चौथी पंक्ति में "तजवीज" के स्थान पर "निर्णय" रख दिये जायं।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इसी के खंड ६ में यह लिखा हुआ है कि "किसी ऐसे मामले की सुनवाई करके हाई कोर्ट उसमें उठाये गये कानूनी प्रश्न का निर्णय करेगी"। पहले निर्णय नहीं कर सकती, पहले निश्चय कर सकती है। अतएव यह "निर्णय" अशुद्ध है "निश्चय" यहां होना चाहिये।

इसके उपरान्त दो स्थानों पर "तजवीज" शब्द आये हैं। उनके स्थान पर "निर्णय" होना चाहिये।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—यह तो वही शाब्दिक सुधार की बात है और अध्यक्ष महोदय ठीक समझें रखना.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि खाली शाब्दिक नहीं है। इसके मतलब में फर्क हो जाता है। "निश्चय" का अर्थ तो यह होता है कि मैंने कोई निश्चय किया अपनी राय के हिसाब से और "निर्णय" का मतलब यह है कि कानूनी राय के हिसाब से फैसला दिया। इसलिये मैं तो स्वयं यह परिवर्तन नहीं कर सकूंगा।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—अगर आप नहीं कर सकते तो मैं कहां कर सकता हूं। तो जैसा है वैसा ही रहने दें और तजवीज लफ्ज जो है वह आम तौर पर लोग उसको समझते हैं कि यह तजवीज हुई। मैं समझता हूं कि जो चालू शब्द हों उनको हटाने की कोई खास कोशिश नहीं होनी चाहिये और उनको चलने देना चाहिये। वह अच्छी बात है।

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु अब इसी प्रकार से अगर रखा जायगा तो इसका मतलब ही गलत हो जायगा और आगे चलकर हमारी कार्यवाही को देखकर भविष्य में आश्चर्य किया जा सकता है। अतएव मैं पुनः प्रार्थना कर देना चाहता हूं कि इन शब्दों पर पुनः विचार कर लिया जाय और मेरे संशोधन को मान लिया जाय।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—अगर शब्दों में सुधार की कोई बात है तो अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं मगर मैं स्वयं पूरी तरह से समझा नहीं कि आपके इस संशोधन से इसका अर्थ कोई अच्छा हो जायगा। आप अध्यक्ष महोदय को अलग समझा दें। उनको अधिकार है कि अगर वह समझें ज्यादा उचित होगा तो कर सकते हैं।

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है कि श्रीमान् जी इसे स्वयं ही ठीक कर दें। मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १२ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा १२ में —

(१) शब्द "तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसको धारा ६ के अधीन लाइसेंस दिया गया हो" के स्थान पर शब्द "जिसमें कोई ऐसा व्यापारी भी सम्मिलित है जो उक्त अधिनियम के किसी आदेश के अधीन शुल्क देने पर कर से मुक्त कर दिया गया हो" रखे जायं।

(२) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के बाद निम्नांकित को द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रत्येक व्यापारी, जिसके द्वारा कर देय हो और जो कर लगने योग्य माल तथा ऐसे माल का व्यापार करता हो जिस पर उसके द्वारा कर देय न हो, दोनों वर्गों के माल का जहां तक संभव हो अलग अलग लेखा रखेगा।"

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (२) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने उपस्थित किया था वह खंड १३ से सम्बन्धित है और खंड १३ के जिस भाग से उसका सम्बन्ध है वह इस प्रकार है—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रत्येक व्यापारी, जिसके द्वारा कर देय हो और जो कर लगने योग्य माल तथा ऐसे माल का व्यापार करता हो जिस पर उसके द्वारा कर देय न हो, दोनों वर्गों के माल का जहाँ तक सम्भव हो अलग अलग लेखा रखेगा।"

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे संशोधन का मतलब यह है कि यह जो दूसरा प्राविजन है इसको निकाल दिया जाय। मेरे संशोधन के रखने के दो कारण हैं। पहला तो यह कि टर्नओवर में डबल हिसाब किताब रखना है एक तो ऐसे माल का जिस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता और दूसरे वह जिस पर सेल्स टैक्स लगता है इसके छाटने में बड़ी अड़चन होगी और हिसाब-किताब करने में काफी परेशानी होगी। आम तौर पर ऐसा करने की व्यापारियों से अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसी सूरत में उनका कार्य और बढ़ जायगा क्योंकि हो सकता है कि मुनीमों के वेतन के रूप में उनको अधिक देना पड़े।

दूसरे यह जो रक्खा है "जहाँ तक संभव हो कि" इससे ऐसा मालूम होता है सरकार भी मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं लेना चाहती। किस के लिये संभव होगा और किस के लिये संभव नहीं होगा, इसे कौन डिसाइड करेगा। मालूम होता है सरकार भी इसे मुनासिब नहीं समझती और सरकार के सामने भी बड़ी कठिनाई आयेगी कि किस मामले में वह संभव समझेगी और किस मामले में सम्भव नहीं समझेगी और इसको तै करने का अधिकार किस को होगा। किसी कानून में इस तरह की अस्पष्ट बातें हों तो उससे बड़ा अनर्थ हो सकता है। अगर दूसरा प्राविजन निकाल दिया जाय तो व्यापारी अलग अलग हिसाब रखने से बच जायंगे और सरकार भी परेशानी से बच जायगी इससे पेचीदगियाँ बढ़ेंगी, ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस धारा को निकाल देना मुनासिब होगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि माननीय त्रिपाठी जी को थोड़ा सा भ्रम हो गया है। "एज फार एज पासिबिल" शब्द इसलिये रक्खे गये हैं कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से सेल्स टैक्स लगाते वक्त यह शिकायत की जाती थी कि जिस माल पर सेल्स टैक्स लगता है और जिस पर नहीं लगता दोनों तरह के टर्नओवर को मिला दिया जाता है, एक हिसाब को दूसरे हिसाब में मिला दिया जाता है। इसीलिये यह रक्खा गया कि अलग अलग हिसाब रक्खा जाय और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के सामने जो बराबर शिकायतें आती हैं वह नहीं आयेगी।

दूसरी बात यह है कि "एज फार एज पोसिबिल" शब्द इसलिये जोड़ा गया है कि कहीं किसी पर पाबन्दी न होते हुए भी किसी को कोई परेशानी न हो। यहाँ से एक हिदायत दी जाती है और यह उचित भी है कि वह हिसाब किताब रखे। अगर वह हिसाब नहीं रखता है तो बाद में फैसले पर उसको कोई मौका नहीं मिलता है कि वह कुछ कह सके। केवल इसीलिये यह शब्द रक्खा गया है। यही इस "एज फार एज पासिबिल" रखने का उद्देश्य है। अगर इसको नहीं रखा जायगा तो इससे असेसी, जिस पर टैक्स लगता है वह भी अप्रसन्न होगा कि ऐसी गुंजायश क्यों नहीं निकाली गयी।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन है रामनारायण त्रिपाठी जी को सन्तुष्ट करने के लिये इस मूल अधिनियम में रखा गया था। और यदि पहले नहीं रखा गया था तो अब आप बड़ी मुश्किल से सन्तुष्ट हो सके। "एज फार एज पासिबिल" शब्द किसी ऐक्ट में रहने से यह गुंजायश रहती है कि जो रूल्स बने हैं उनमें गुंजायश यह है कि जो हिदायत दी जाय उनमें यह रखा जाय। इसके यहाँ पर अब न रहने पर कोई नतीजा नहीं भी निकलता है। इसलिये मैं राम-नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (२) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १३ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय :—

"लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार

१३—(१) कोई ऐसा अधिकारी जिसका पद करनिर्धारक अधिकारी से निम्न न हो और जिसको राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिकार दिया हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यापारी को यह आदेश दे सकता है कि वह उसके सामने ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे उपस्थित करे जिनका संबंध उसके व्यवसाय से हो और उक्त अधिकारी उनका निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है और व्यापारी से उसके व्यवसाय के संबंध में ऐसी जाँच कर सकता है जो आवश्यक हों।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष से ४ वर्ष पूर्व से अधिक की अवधि की बहियाँ, लेख-पत्र या लेखे तलब नहीं किये जायंगे जब तक कि किसी विशेष स्थिति में जिसके लिये कारण अभिलिखित करने होंगे, उक्त अधिकारी उनका तलब किया जाना आवश्यक न समझे।

(२) ऐसी सब बहियाँ, लेख-पत्र और लेखे, जिनको कोई व्यापारी अपने व्यवसाय के संबंध में साधारणतया रखता हो, माल जो उसके पास हों, और उसका कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र (vessel) अथवा गाड़ी सब यथोचित समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिये प्राप्य रहेंगे जिनको राज्य सरकार इस संबंध में अधिकार दे।

(३) उप-धारा (२) के अधीन अधिकार-प्राप्त कोई अधिकारी उक्त उपधारा में उल्लिखित किसी भू-गृहादि (premises), यान-पात्र (vessel) या गाड़ी में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सब यथोचित समयों पर प्रवेश कर सकता है।

(४) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा (custody) या नियंत्रण में ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखा हो जिसके निरीक्षण का अधिकार उप-धारा (२) के अधीन किसी अधिकारी को दिया गया हो, ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे को निरीक्षण के लिये उपस्थित करने से अनुचित रूप से इन्कार करे या जानबूझ कर उपस्थित न करे या यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई ऐसी सूचना दे सकता हो जो इस धारा के अधीन आवश्यक हो, उक्त सूचना देने के लिये कहे जाने पर अनुचित रूप से इनकार करे या जानबूझ कर न दे, या जानबूझकर ऐसी सूचना प्रस्तुत

करे जो किसी महत्वपूर्ण विवरण-पत्र के संबंध में असत्य हो, तो प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर उसे अर्थदंड दिया जा सकेगा जो १,००० रु० से अधिक न हो।

(५) यदि बिक्री-कर कमिश्नर के पास ऐसा विश्वास करने के लिये यथोचित कारण हों कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन किसी बिक्री-कर के भुगतान के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उसके दायित्व की जाँच के प्रयोजनों के लिये आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्रों में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे कारणों सहित लिखित आज्ञा द्वारा किसी कर-निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह उक्त व्यापारी के किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश करे और ऐसे लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अपना अधिकार कर ले जो आवश्यक हों। उक्त लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अधिकार करने वाला अधिकारी उनके लिये तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे ऐसी प्रतिलिपियाँ या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझी जायं, इस प्रकार अधिकार करने के दिनाँक से १५ दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस व्यापारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिये बाध्य होगा जिसकी अभिरक्षा से लेकर उन पर अधिकार किया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त व्यापारी उस लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र के लिये, जो उसे लौटाया जाय, लिखित रसीद दे। कर निर्धारक अधिकारी उक्त व्यापारी को लेखा, खाता (रजिस्टर) या लेख-पत्र लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है और ऐसी दशा में व्यापारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपनी दी हुई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहाँ पर कर-निर्धारक अधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर, या दोनों ही प्रत्येक लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र में लगाये गये हों।"

श्री रामनारायण त्रिपाठी-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं--

"खण्ड १४ में मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "भूगृहादि" (Premises) तथा शब्द "यान-पात्र" के बीच में शब्द "व्यापार कार्यकाल में तथा" रख दिये जायं तथा शब्द "सब यथोचित समयों पर" निकाल दिये जायं।

अब यह इस प्रकर से हो जायगी--(३) उपधारा (२) के अधीन अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी उक्त उपधारा में उल्लिखित किसी भूगृहादि (Premises) में व्यापार कार्यकाल में तथा यानपात्र (vessel) या गाड़ी में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है।

अभी शुरू में मैंने यह बताया था कि सेल्स टैक्स अधिकारी जितना उचित सम्मान व्यापारियों को मिलना चाहिये उतना सम्मान नहीं देते। इसकी आम तौर पर शिकायत है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अधिकारी ऐसे व्यापारियों के साथ जिनसे राज्य को पांच करोड़ रुपये तक आमदनी होती है उनको उचित सम्मान नहीं देते हैं। अगर बहुत से कागज आ गये हैं तो यह आम शिकायत है कि अधिकारी बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसा भी सुनने में आया है कि कहीं कहीं पर इस दुर्व्यवहार के लिए अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है। ऐसी सूरत में उनको व्यापक

अधिकार दे देना कि वह रात में या दिन में जाकर जब चाहें देख सकते हैं यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। अगर किसी अधिकारी को आवश्यकता है तो वह आफिस के समय जाकर ७ बजे से लेकर सायंकाल को ८ बजे तक देखभाल या तलाशी वगैरह कर सकता है। इतना समय काफी होता है इतने समय में काफी कागजात देखे जा सकते हैं। यह विहिकिल की दिक्कत आफिस में नहीं हो सकती है। इसलिये उसको मैंने छोड़ दिया है कि जब चाहे देख सकता है। लेकिन आफिस में या विहिकिल से १ बजे २ बजे रात में जाने का अधिकार होगा तो चाहे उसका मतलब कुछ निकले या नहीं परन्तु आसानी से उस आदमी की जुर्म करने वाले की तरह बदनामी हो सकती है। इससे व्यापारियों में असन्तोष होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है और मुझे आशा है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि श्री रामनारायण जी त्रिपाठी को सन्तुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। इस विषय में काफी वाद-विवाद हो चुका था और मैं उनसे इस बात में सहमत था कि कभी कभी किसी व्यापारी को ऐसे बन्धन में न जकड़ा जाय जिससे उसे परेशानी हो। किन्तु इस विषय में "ऐट आल रीजनेबिल टाइम्स" जानबूझ कर रखा गया है। यदि हम इसे आफिस आवर्स कर दें तो बहुत से ऐसे कारबार हैं जिनके लिये खास तौर से गुंजायश करना जरूरी होगा जो कि न केवल राज्य का रुपया ही खत्म किये जा रहे हैं बल्कि व्यापार को चौपट कर रहे हैं। उनकी चोरी की चीजों को पकड़ना या टैक्स लेना बहुत मुश्किल है। वह व्यापार रात के १२ और ५ बजे के बीच में होते हैं तो उनके लिये आफिस आवर्स वही हुये। तो ऐसे लोगों के लिये कुछ गुंजाइश रखना जरूरी है। इसलिये मैं रामनारायण जी से कहूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था न करें जिससे व्यापार में चोरी करने वालों को लाभ हो।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत--मैं समझता हूं कि जो संशोधन रामनारायण जी चाहते हैं उससे इसकी मूलधारा से असेसीज के लिये कोई सुभीता नहीं बल्कि असुभीता पैदा होगा। ऐसे व्यापार होते हैं जिनमें कि खास व्यापार के समय में जाकर उनको डिसटर्ब करना नहीं है। किसी के वहां १०० आदमी खरीदने बेचने के लिये आये हैं और उस समय जाकर कोई दस्तअन्दाजी करे तो ज्यादा हानिकारक हो सकता है बमुकाबले इसके कि वह आफिस आवर्स के कुछ पीछे चला जाय अगर कुछ ज्यादा सुभीता दोनों को हो सके। रीजनेबिल टाइम के मानी यही हैं कि जिससे कम से कम असुविधा हो। कोई रात को जाय, यह मंशा नहीं है। जो वह चाहते हैं कि कर देने वाले को कोई कठिनाई न हो, उस भावना की मैं क़द्र करता हूं। मैं भी यही चाहता कि उनके साथ ऐसा बरताव न हो जिससे उनको तकलीफ पहुंचे। गवर्नमेंट का काम टैक्स लेने का होता है मगर जिनसे टैक्स लिया जाता है उनको तकलीफ देना या उनके साथ पूरी तरह से उचित व्यवहार न करना हर तरह से अनुचित है। जिनके हाथ में यह काम है अगर वह ऐसा करते हैं तो वह गवर्नमेंट के लिये हानि पैदा करते हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारे वहां आफिस आवर्स हर जगह निश्चित नहीं होते। आप पूछें कि चौक में कौन निश्चित आफिस आवर्स हैं तो यह नहीं कहा जा सकता। हर किस्म के रोजगार के अलग-अलग आफिस आवर्स होते हैं। बाज़ काम ऐसे होते हैं जोकि आप यदि मंडी में जावें तो वहां मुख्तलिफ समयों पर काम होता है, कहीं ८ से ९ तक सबेरे काम करते हैं। बहुत से कारबार के आफिस आवर्स ऐसे नहीं हैं जैसे कि बड़े बड़े कारखानों के दफ्तर हुआ करते हैं, इसलिये आफिस आवर्स कहने से कोई साफ अर्थ नहीं निकल सकता बल्कि एक वेग हो जायगा और इसलिये रीजनेबिल टाइम रखना ज्यादा मुनासिब होगा

[श्री गोविन्दबल्लभ पन्त]

और यह पोजीटिवली और निगेटेबली दोनों तरह से ठीक है। अतः क्योंकि इस संशोधन को करने से असेसीज को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि हानि ही पहुंचेगी, इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ में मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "भूगृहादि" (Premises) तथा शब्द 'यान-पात्र' के बीच में शब्द "व्यापार कार्यकाल में तथा" रख दिये जायं तथा शब्द "सब यथोचित समयों पर" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है--

खंड १४ के उपखंड (४) की पंक्ति ५ में 'करे' और 'या' के बीच में शब्द 'या बनावटी दूसरा लेखा रखे' बढ़ा दिये जायं। और इसी की पंक्ति ६ में "उसे अर्थदंड दिया जा सकेगा" के स्थान पर "उस पर अर्थदंड किया जायगा" रख दिये जायें।

श्रीमान् जी, इस विधेयक के खंड १४ के उपखंड (४) में यह लिखा हुआ है--

"निरीक्षण करने के लिये उपस्थित करने से अनुचित रूप से इन्कार करे या जान बूझ कर उपस्थित न करे.....।"

श्रीमान् जी, प्रायः दूकानदार जो यह काम करते हैं उनके पास दो प्रकार के लेखे रहते हैं, एक तो वास्तविक होता है दूसरा बनावटी होता है। यह कार्य बहुत ही अनुपयुक्त कार्य है इसलिये इसकी रोकथाम और भ्रष्टाचार को कम करने के लिये यह आवश्यक है कि ये शब्द भी जोड़ दिये जायं 'या बनावटी दूसरा लेखा रक्खे' दूसरे शब्द ये हैं कि 'उसे अर्थदंड दिया जा सकेगा, इससे सिद्ध होता है कि उसको आवश्यकतानुसार दंड दिया जायगा इसलिये उसके बजाय अगर यह रख दिया जाय 'उस पर अर्थदंड किया जायगा' तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री बाबूलाल मीत्तल--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय श्रीचन्द जी ने रक्खा है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में तो दो रायें नहीं हो सकतीं कि दूकानदारों को केवल एक ही बही-खाता रखना चाहिये, लेकिन जिस संशोधन के द्वारा वह इस बात को चाह रहे हैं वह चीज सही नहीं है। वे जो बात चाहते हैं वह मौजूदा ऐक्ट में है जिसके लिये मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं? जो विधेयक इस समय हमारे सामने मौजूद है उसके खंड १५ के नीचे जो मूल अधिनियम की धारा १४ दी गयी है उसमें यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि यदि कोई असेसी ऐसी ऐसी बातें करेगा तो उसको इतना इतना दंड दिया जायगा। उसमें बही-खाते न दिखाना तथा जाली बनाना या और कोई गड़बड़ी करना आदि जुर्म करार दिये गये हैं। और पहली जगह उसकी सजा जितनी उसमें रखी गयी है उससे ज्यादा ही दूसरी जगह है। तो जो मंशा श्री श्रीचन्द जी चाहते हैं वह पूरा हो जायगी। और यहां लाने से उल्टे और गड़बड़ी पैदा हो जायगी कि एक गह उसी अपराध के लिये कम दंड है और दूसरी जगह ज्यादा दंड है। जब मुकदमा चलेगा तो यह गड़बड़ी होगी कि इस उपधारा में उनको सजा मिले या दूसरी में। ऐसी परिस्थिति में मुझे आशा है कि भाई श्री श्रीचन्द जी अपने संशोधन को वापस कर लेंगे।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मुझे तो श्री श्रीचन्द जी के संशोधन को मानने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है अगर बाबूलाल जी ने जैसा कि उन्होंने बतलाया कि अगर यह संशोधन यहां न भी रखा जाय तो भी दूसरी जगह यह आ ही जाता है, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसा वे निर्णय करें मैं उसे मानने के लिये तैयार हूं। मेरी सलाह तो यही है कि अगर वे इसको छोड़ दें तो कोई हानि नहीं है।

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि खंड १५ में किसी भी स्थान पर यह स्पष्ट नहीं है जो बोहरे या बनावटी लेखे के सम्बन्ध में हो। मैं तो यह समझता हूं कि यदि इसको मान लिया जाय तो यह ज्यादा स्पष्ट हो जायगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मान लिया जाय, मुझे तो कोई खास आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा नहीं माना जा सकता क्योंकि इसको मान लेने से हर एक के ऊपर १,००० रु० ही जुर्माना होगा। लेकिन जैसा बिल के अन्दर रखा गया है उसके रहने से तो देख कर ५ रु०, १० रु०, १०० रु० तक जुर्माना किया जायगा, एक हजार तक भी हो सकेगा। लेकिन "उस पर अर्थ दंड किया जायगा" रखने से तो सबके ऊपर एक हजार ही जुर्माना करना होगा। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। कि सब के ऊपर उतना ही जुर्माना हो। श्री श्रीचन्द जी इस बात को भी समझ लें कि सम्भव है कि यह अपर हाउस में से फिर वापस आ जाय। इसलिये कि यह संशोधन ठीक नहीं है वहां शायद आपत्ति हो।

श्री श्रीचन्द—मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। "उसे अर्थदंड दिया जा सकेगा" ही रहने दिया जाय। मैं इस दूसरे हिस्से को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन का दूसरा हिस्सा वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (४) की पंक्ति ५ में "करे" और "या" के बीच में शब्द "या बनावटी दूसरा लेखा रखे" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १४ में मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (५) की पंक्ति ७ में शब्द "गोदाम" तथा शब्द "यान-पात्र" के बीच में निम्नलिखित वाक्यांश रख दिया जाय—

"व्यापार कार्यकाल में तथा"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में पहले भी संशोधन आया था और इस सम्बन्ध में मुझे कोई दलीलें नहीं देनी हैं। उस वक्त जो बातें मैंने कहीं थीं वही इस पर भी लागू होती हैं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—उनकी बातें तो लागू हैं ही तो मुझे और दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १४ में मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (५) की पंक्ति ७ में शब्द "गोदाम" तथा शब्द "यान-पात्र" के बीच में निम्नलिखित वाक्यांश रख दिया जाय—

"व्यापार कार्यालय में तथा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द---आपकी आज्ञा से उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (५) की पंक्ति १७ में शब्द "उस पर एक या अधिक" के स्थान पर शब्दों "उन पर संदिग्ध" को रख दिया जाय।

श्रीमान्, इस खंड १३ के उपखंड में १७वीं पंक्ति में शब्द ये लिखे हैं:---"कर निर्धारक अधिकारी उक्त व्यापारी को लेखा, खाता (रजिस्टर) या लेख-पत्र लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर" मेरा संशोधन यह है कि" संदिग्ध स्थानों पर ही हस्ताक्षर करेगा इससे परेशानी कम हो जायेगी।

श्री परिपूर्णानन्द---मान्यवर, मैं इसके विषय में केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं। अभी तक सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा अनुभव कुछ ऐसा बतलाता है कि डुप्लीकेट एकाउन्ट बुक्स होती हैं जिनकी वजह से बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ करता है और जिसकी वजह से इस धारा में यह समावेश करना पड़ा। डुप्लीकेट एकाउन्ट बुक्स लोग रखते हैं और हस्ताक्षर कराके चले जाने के बाद डुप्लीकेट एकाउन्ट बुक्स खत्म हो जाती है और फिर किसी कागज-पत्र का पता नहीं चलता। इसलिये एक से अधिक स्थानों की गुंजायश हो जाय तो फिर गड़बड़ी की गुंजायश नहीं रहती। न कोई हिसाब किताब गायब हो सकेगा और न सेल्स टैक्स मुहकमे पर कोई लांछन आयेगा। माननीय श्रीचन्द जी को कुछ भ्रम हो गया है, इसलिये उन्होंने इस संशोधन को रखा है।

श्री श्रीचन्द---श्रीमन्, यह बहुत साफ है इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां संदेह हो वहीं जाने की आवश्यकता है। मैं तो समझता हूं माननीय परिपूर्णानन्द जी भ्रम में स्वयं जाग रहे हैं। यह स्वयं स्पष्ट है और मेरा विचार यह है कि इसको मान लेना चाहिये।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---श्रीचन्द जी की बात संदिग्ध है। इसे छोड़ देने में कोई हानि नहीं है। वह तो कर ही सकता है उसको कोई मुमानियत तो नहीं है, जहां संदिग्ध वहां भी कर सकता है और जहां न भी वहां भी कर सकता है। शुरू में भी कर सकता है, आखिर में भी कर सकता है और बीच में जहां संदिग्ध हो वहां भी कर सकता है। एक से अधिक स्थानों में रखना ही ठीक है और उसके सीमित करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री श्रीचन्द---मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रीचन्द---मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करने से पहले इसमें का पहला खंड छोड़ देना चाहता हूं। मेरा संशोधन इस प्रकार है---

पंक्ति २० में शब्द "मुहर" तथा "हस्ताक्षर" के बीच में शब्द "या" के स्थान पर शब्द "तथा" रख दिया जाय और इसी पंक्ति में से "या दोनों ही" शब्द निकाल दिये जायें।

श्री उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस लेखे के पश्चात् हिसाब देने के हस्ताक्षर होंगे वहां मोहर का होना भी परमावश्यक है, यानी जहां पर हस्ताक्षर हों वहां पर मोहर भी लगनी चाहिये ताकि पता चले कि किसके हस्ताक्षर हैं और कौन आफिसर है। इसलिये वहां मोहर का होना परमावश्यक है।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---हर एक अधिकारी के पास तो मुहर होती नहीं है इसलिये हस्ताक्षर होना काफी होना चाहिये, मगर एग्जीक्युटिव तरीके पर मैं समझता हूं कि ऐसी

हिदायतें भेजी जा सकती हैं कि जहां कोई इस तरह से हस्ताक्षर करने के लिये उनको अवसर हो तो वह मुहर भी लगा दिया करें, लेकिन क़ानून में उसे लाने की जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य इसे वापस लेते हैं ?

श्री श्रीचन्द--जी हां ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १४ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १५

१५--मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नांकित रखा जाय:-- सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १४ का संशोधन ।

"१४-(१) अपराध तथा दंड--किसी ऐसे व्यक्ति को जो--

(क) जानबूझ कर असत्य विवरण-पत्र प्रस्तुत करे, अथवा ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन अथवा तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक हो, अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन उस पर लगाया गया कर नियत समय के भीतर जानबूझ कर न दे या देने से बचे; अथवा

(ग) किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे धारा १३ के अधीन अधिकार दिया गया हो, किसी भूगृहादि, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश न करने दे अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अधिकारी को उनके कर्तव्य के पालन के संबंध में निरीक्षण करने से रोके या उसमें बाधा डाले; अथवा

(घ) जानबूझ कर इस अधिनियम के या तद्धीन निर्मित नियमों के आदेशों का उल्लंघन करें ; अथवा

(ङ) किसी ऐसे माल की बिक्री पर, जो धारा ४ के या उसके अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति के अधीन बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया हो, बिक्री-कर मांगे या वसूल करे, या इस अधिनियम के आदेशों के अधीन देय दर से अधिक दर से कर मांगे या वसूल करे ।

प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर, किसी अन्य कानून के अधीन, जो उस समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर बिना किसी विपरीत प्रभाव के ऐसा अर्थदंड दिया जा सकेगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, और यदि अपराध बराबर होता रहे तो और भी अधिक अर्थदंड दिया जा सकेगा, जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध बराबर होता रहे, ५० रु० तक हो सकता है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं--

"खण्ड १५ में धारा १४ निकाल दी जाय ।"

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड १५ में प्रस्तावित धारा १४ जिसका मैं विरोध करना चाहता हूं इस प्रकार है—

"१४—(१) अपराध तथा दंड—किसी ऐसे व्यक्ति को जो—

(क) जानबूझ कर असत्य विवरण-पत्र प्रस्तुत करे, अथवा ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन अथवा तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक हो, अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन उस पर लगाया गया कर नियत समय के भीतर जानबूझ कर न दे या देने से बचे, अथवा

(ग) किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे धारा १३ के अधीन अधिकार दिया गया हो, किसी भू-गृहादि, यान पत्र या गाड़ी में प्रवेश न करने दे अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अधिकारी को उसके कर्तव्य के पालन के सम्बन्ध में निरीक्षण करने से रोके या उसमें बाधा डाले, अथवा

(घ) जानबूझ कर इस अधिनियम के या तद्धीन निर्मित नियमों के आदेशों का उल्लंघन करे, अथवा

(ङ) किसी ऐसे माल की बिक्री पर, जो धारा ४ के या उसके अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति के अधीन बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया हो, बिक्री-कर मांगे या वसूल करे, या इस अधिनियम के आदेशों के अधीन देय-दर से अधिक दर से कर माँगे या वसूल करें।

प्रथम बेरो के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर, किसी अन्य कानून के अधीन, जो उस समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर बिना किसी विपरीत प्रभाव के ऐसा अर्थदंड दिया जा सकेगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, और यदि अपराध बराबर होता रहे, तो और भी अधिक अर्थदंड दिया जा सकेगा, जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अपराध बराबर होता रहे, ५० रु० तक हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस धारा के अनुसार इस सदन से एक नये प्रकार का अधिकार मांग रही है। आगे हमारे प्रदेश में इस किस्म की व्यवस्था नहीं थी कि सेल्स टैक्स के अधिकारी को अर्थदंड दिया जायगा और जो कार्यवाही अब तक इस संबंध में हो रही थी उसके सम्बन्ध में हमें जानकारी नहीं है कि सरकार को कौन सी ऐसी दिक्कत पड़ी कि इस किस्म के कठिन से कठिन अर्थदंड देने की व्यवस्था करनी पड़ी, यों सदन को ग़लतफहमी हो सकती है कि मैं ऐसे अपराधियों को बचाना चाहता हूं, लेकिन जहां तक सेल्स टैक्स की वसूली का सवाल है पहले अधिनियम के मुताबिक सेल्स टैक्स की वसूली मालगुजारी की तरह वसूल होती है। मालगुजारी की वसूली में उपाध्यक्ष महोदय, इस किस्म की कार्यवाही यानी कुर्की वगैरह हो सकती है। उसके संबंध में जितनी मौजूदा व्यवस्था थी अपराधियों के लिये वह पर्याप्त है। इसमें एक हजार रुपये तक अर्थदंड है और साथ ही साथ ५० रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है। एक तो सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में सेल्स टैक्स के अधिकारियों के पास व्यापारियों को पेशी पर जाना पड़ता है और साथ ही साथ सरकार यह अधिकार दे रही है कि अगर तीन साल के बाद तक किसी सेल्स टैक्स के अधिकारी को होश आवे तो वह किसी व्यापारी के कागजात मंगा करके सेल्स टैक्स लेना चाहे तो ले सकता है। सेल्स टैक्स के हिसाब किताब की जांच और देख भाल तो वे करते ही हैं और जहां तक रुपये का सवाल है वह भी मालगुजारी की तरह से वसूल हो जाता है। इस तरह एक नयी धारा को व्यवस्था कर के एक नया दंड उसमें लगा देने के सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि सरकार के सामने कौन सी ऐसी परिस्थितियां आयीं, सरकार को क्या

दिक्कतें पड़ीं कि जो मौजूदा व्यवस्था थी उसके अनुसार सरकार को कार्य करने में दिक्कत पड़ी और इसकी क्या आवश्यकता है ?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी ने फिर इसमें एक भ्रम की बात उत्पन्न कर दी। इस पिनाल्टी वाले क्लाज के विषय में कुछ थोड़ी सी अपने प्रदेश में चर्चा हुई थी और उस चर्चा का कारण यह था कि व्यापारियों ने यह समझा था कि शायद कुछ ऐसे नियम सेल्स टैक्स का मुहकमा बनाने जा रहा है जिससे लोगों को बहुत तकलीफ होगी। किन्तु जब कि इस संशोधन को व्यापारी समुदाय ने देखा, तो बहुत से मेमोरेंडम भी आये और जहां तक मेरा ख्याल है वित्त मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय के पास आये होंगे, पर उनमें से किसी ने भी ऐसे किसी क्लाज के विषय में ऐसी आपत्ति नहीं की जैसी कि माननीय त्रिपाठी जी ने यहां सदन के सम्मुख उपस्थित की है। मेरा निवेदन यह है कि उन लोगों को इस बात से आपत्ति नहीं थी कि दंड या अपराध के विषय में हम कोई साफ साफ नियम बना रहे हैं। उनको आपत्ति उस दंड या अपराध के विषय में की गयी गुंजायशों के विषय में थी। मैं माननीय त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वे यदि १५, १६ दोनों खंडों को मिला कर पढ़ेंगे और व्यापारियों की सामूहिक राय जानने की चेष्टा करेंगे तो उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यह नियम बना कर के सरकार ने बड़ा उचित कार्य किया है और सब से बड़ा उचित कार्य यह है कि पिनाल्टी की धारा लगा देने से वास्तव में व्यापारियों को मालूम हो गया कि उनके दंड की सीमा कहां तक निर्धारित है। वर्षों तक मुकदमेबाजी होती रहती थी और प्रोसीडिंग्स चला करती थीं, परन्तु उनको यह पता नहीं चलता था कि उनके ऊपर कौन सा जुर्म आयद होगा। उन सब बातों को इसमें सफाई कर दी गयी है।

एक दूसरी बात इसमें और भी साफ कर दी गयी है। मेरा ख्याल है कि माननीय त्रिपाठी जी इस बात को मानेंगे कि सेल्स टैक्स के जो नियम अभी तक हमारे प्रदेश में लागू थे वे कितने मामलों में और प्रदेशों के नियमों से न केवल भिन्न थे बल्कि दोषपूर्ण भी थे। उदाहरण के लिये वे बंगाल के सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा ५२५ को देख लें, आसाम की धारा १४ को देख लें, मध्य प्रदेश की धारा २ को देख लें, और दिल्ली स्टेट की धारा ५ को देख लें। इन सब धाराओं के देखने के बाद उनको ऐसा प्रतीत होगा कि हमने इन चीजों की जो सफाई कर दी है उससे हमारे प्रदेश की जो धारायें हैं वे शायद और प्रदेशों की धाराओं से कितनी अधिक स्पष्ट हो गयी हैं। पहले जो नियम थे उनके कारण बहुत काफी कानूनी गड़बड़ी पैदा होती थी और आज अगर व्यापारी वर्ग से पूछा जाय तो वह यही कहेगा कि इस सफाई के कारण उसके लिये कोई असुविधा उत्पन्न नहीं हुई है।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--मैं समझता हूं कि रामनारायण जी ने यह जो संशोधन किया है, इसको उन्होंने उनके सामने पूरी बातें न होने से किया है। उन्होंने कहा कि यह बिलकुल नयी बात है और यह एक नया अधिनियम बनाया जा रहा है। उनको इसकी भ्रांति हुई है। यह तो पहले से ही नियम मौजूद है। अगर वह इस संशोधन को गिरवा दें तो इसका परिणाम यह होगा कि मूल ऐक्ट की जो धारा १४ है वह रहेगी और मूल ऐक्ट की धारा में इसके द्वारा जो कुछ संशोधन किया गया है वह तो करदाता के पक्ष में है। मूल ऐक्ट में यह है कि अगर कोई ऐसा काम करे तो उसको दंड मिलेगा, अब उसकी जगह में यह है कि अगर कोई बिलफुली करे तब दंड मिलेगा। मैं समझता हूं कि मूल धारा उनके सामने नहीं पड़ी, सिलेक्ट कमेटी में भी यह बात गयी, मगर कैसे उनके नजर से मूल धारा रह गयी यह मैं नहीं जानता जो मूल धारा १४ है वह इस प्रकार है :—

Any person who—

(*a*) wilfully submits untrue return or fails to submit a return as required by the provisions of this Act or the rules made thereunder, or

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

(*b*) fails to pay the tax due from him within the time allowed, or

(*c*) prevents or obstructs inspection or entry by any officer authorized under section 13, in contravention of the terms thereof, or

(*d*) fraudulently evades the payment of any tax due under this Act, or

(*e*) wilfully acts in contravention of any of the provisions of this Act or the rules framed under this Act,

(*f*) demands or charges from any purchaser sales tax as such on the sale of any goods exempted under section 4 or under any notification issued thereunder or at a rate higher than that payable under the provisions of this Act,

schall, without prejudice to his liability under any other law for the time being in force, on conviction by a Magistrate of the first class, be liable to a fine which may extend to one thousand rupees, and where the breach is a continuing breach, to a further fine which may extend to fifty rupee for every day after the first during which the breach continues.

वह देखेंगे कि जैसा यह पहले ऐक्ट में है उससे मुलायम अब इस संशोधन के द्वारा रखा गया है चूंकि वह पहले था "फैल्स ट्रु पे" अब संशोधन में "विलफुली" कर दिया गया है। उनका संशोधन अगर सदन मान ले तो कर दाताओं के लिये कठिनाई होगी। उन्होंने इस आधार पर ऐसा कहा कि पहले ऐसा कोई नियम था ही नहीं और यह बिल्कुल एक नयी बात की जा रही है। यह बात जो उन्होंने कही वह भ्रान्ति में कही। ऐसा नहीं है अब उनको मालूम हो गया होगा। जो मैंने पढ़ा है। उनके सामने भी मूल ऐक्ट शायद हो। संशोधन में तो विलफुली वगैरह रखा गया है जिसमें उसकी ग़लती कम होगी। तो इसलिये इस संशोधन के करने से जो वह समझ रहे हैं कि वह कर दाताओं का कुछ हित करेंगे, उनका अहित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था कि यह संशोधन तो एक प्रकार से विरोध ही है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि बीच की शृंखला लेने से कुछ खराबी नहीं होगी।

प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६

संo प्राo ऐक्ट १५, १९४८ में एक नई धारा १५–क का बढ़ाया जाना।

१६—मूल अधिनियम की धारा १५ के बाद निम्नांकित एक नयी धारा १५–क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

१५–क—(१) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान में इस बात का संतोष हो जाय कि—

"विवरण न प्रस्तुत करने के लिए दंड।

(क) किसी व्यापारी ने बिना यथोचित कारण के अपने विक्रय-धन का विवरण-पत्र जिसे उसे धारा ७ के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक था, प्रस्तुत नहीं किया है अथवा बिना यथोचित कारण के नियत समय के भीतर तथा निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा

(ख) अपने विक्रय-धन के ब्योरों को छिपाया है, अथवा जान-बूझ कर ऐसे विक्रय-धन के ठीक-ठीक ब्योरे प्रस्तुत नहीं किये हैं, अथवा

(ग) बिना यथोचित कारण के, नियत समय के भीतर, उस पर निर्धारित किये गये कर का भुगतान नहीं किया है ।

तो वह यह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी, दंड के रूप में, वाक्य-खंड (क) और (ग) में अभिलिखित दशाओं में, उसके द्वारा देय कर की धनराशि के अतिरिक्त, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो यदि कर की राशि १०,००० रु० तक हो तो देय कर के २५ प्रतिशत से और यदि कर की राशि १०,००० रु० से अधिक हो तो देय कर के ५०% से अधिक न होगी, और वाक्य खंड (ख) में अभिलिखित दशाओं में, उसके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्त, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो कर की उस धनराशि के डेढ़ गुना से अधिक न होगी, जिसके भुगतान से वह बच जाता यदि वह विक्रय-धन, जिसको ऐसे व्यापारी ने विवरण-पत्र में दिया था, सही विक्रय-धन के रूप में मान लिया गया होता।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त खंड के अधीन कोई अर्थदंड (पेनाल्टी) न लगाया जायगा :

(१) जब तक कि व्यापारी को सूचना न दे दी गयी हो,

(२) खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों की स्थिति में, जब तक कि धारा ७ के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र (रिटर्न्स) प्रस्तुत करने के दिनांक के पश्चात् साठ दिन की अवधि व्यतीत न हो गयी हो ।

(२) कोई भी धनराशि जो उपधारा (१) के आदेशों के अधीन दंड के रूप में लगायी गई हो, उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो, यदि उसका भुगतान, ऐसे समय के भीतर, जो दंड लगाये जाने के दिनांक से १५ दिन से कम न होगा, जैसा कि कर-निर्धारिक अधिकारी अनुज्ञात करे, नहीं किया जाता।

(३) उपधारा (१) के अधीन उस समय तक कोई आज्ञा नहीं दी जायगी जब तक व्यापारी की सुनवाई न कर ली जाय अथवा उसकी सुनवाई के लिये यथोचित अवसर न दिया जाय ।

(४) धारा १४ के अधीन कोई अभियोग (prosecution) उन्हीं बातों के सम्बन्ध में नहीं चलाया जायेगा, जिसके लिये इस धारा के अधीन कोई दंड लगाया जा चुका हो ।

(५) कर-निर्धारिक अधिकारी, बिक्री-कर कमिश्नर अथवा किसी ऐसे अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, जिसे राज्य सरकार ने सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो, इस धारा के अधीन कोई दंड नहीं लगायेगा ।

(६) इस धारा के आदेश, आवश्यक परिवर्तनों के साथ (*mutatis mutandis*) धारा ७–ग में अभिलिखित निष्पादक (executor), प्रबन्धक तथा विधिक प्रतिनिधि पर भी लागू होंगे ।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

सं० प्र० ऐक्ट १५। १९४८ ई० की धारा १८ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा १८ में —

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) उस दशा में जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में ऐसा परिवर्तन हुआ हो अथवा व्यापार बन्द हो गया हो, और व्यापारी पर पूर्व वर्ष के विक्रय-धन के आधार पर ऐसे वर्ष के लिये कर निर्धारित किया गया हो, तो निर्धारित कर अनुपातत: कम कर दिया जायेगा।"

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) (क) प्रत्येक व्यापारी अथवा पुनर्निर्माणित फर्म जिसने किसी कर-निर्धारण वर्ष के बीच व्यापार आरम्भ किया हो, और जिसका अनुमानित मासिक औसत विक्रय-धन वर्ष की शेष अवधि के लिये कम से कम एक हजार रुपया हो, अथवा उससे उतनी बड़ी धनराशि का १/१२ हो, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अधीन निर्धारित की गई हो, उस मास के समाप्त होने से ३० दिन के भीतर जिसमें यह व्यापार आरम्भ किया गया था, इस बात की सूचना कर-निर्धारक अधिकारी को दे देगा और साथ ही अपने विक्रय-धन का एक विवरण-पत्र ऐसे रूप में, ऐसी अवधि पर और ऐसी रीति से प्रमाणित कर के देगा, जो निर्धारित किये जायं।

(ख) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, संतोष हो जाय कि वाक्यखंड (क) के अधीन दिया गया विवरण-पत्र दिये गये विवरण—पत्र सही और पूर्ण हैं और यह कि औसत मासिक विक्रय-धन उस धनराशि से कम नहीं है जो उपर्युक्त वाक्यखंड (क) के अनुसार हिसाब लगा कर आती है, तो वह उक्त व्यापारी पर उस कुल विक्रय-धन के संबंध में, जो विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों में दिखाया गया हो, कर निर्धारित करेगा।

(ग) यदि कोई व्यापारी वाक्यखंड (क) के अधीन उसके लिये नियत अवधि के भीतर कोई विवरण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता अथवा यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण-पत्र अशुद्ध अथवा अपूर्ण प्रतीत हो, कर-निर्धारण अधिकारी ऐसी जांच के पश्चात् जिसको वह आवश्यक समझे, व्यापारी के विक्रय-धन को अपने विवेक बुद्धि के अनुसार निश्चित करेगा, और वह देय कर को, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है, किन्तु यह प्रतिबन्ध सदैव रहेगा और यदि कर—निर्धारण वर्ष के अन्त में, औसत मासिक विक्रय-धन वाक्य—खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि से कम पाया जाय, तो भुगतान

किया गया कर लौटा दिया जायगा, सिवाय उस धनराशि के जिसके जमा करने का दायित्व व्यापारी पर धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन आता हो।"

(३) उपधारा (४) निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड १७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८

१८---मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखि रख दिया जाय:--- सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २१ का संशोधन।

२१---यदि किसी भी कारण से किसी वर्ष में किसी व्यापारी के विक्रय-धन के पूरे अथवा थोड़े भाग पर कर लगने से रह गया हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसे वर्ष के समाप्त होने से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय और व्यापारी को नोटिस देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच कर के, जो आवश्यक हो, ऐसे विक्रय-धन पर देय कर को निर्धारित कर सकता है। "उस विक्रय-धन पर जिस पर वर्ष के भीतर कर निर्धारित न किया गया हो, कर निर्धारित करना।"

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १८ में धारा २१ की पक्ति पांच के शब्द "कर" के बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय तथा उसके बाद निम्नलिखित रख दिया जाय---

"को निर्धारित करने के लिये इस सम्बन्ध में अपील सुनने वाले अधिकारी के पास अपनी रिपोर्ट भेज सकता है।"

जिस धारा में मुझे संशोधन करना है वह इस प्रकार है कि---

"यदि किसी कारण से किसी वर्ष में किसी व्यापारी के विक्रय-धन के पूरे अथवा थोड़े भाग पर कर लगने से रह गया है, तो कर निर्धारक अधिकारी, ऐसे वर्ष के समाप्त होने से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय और व्यापारी को नोटिस देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करके जो आवश्यक हो, ऐसे विक्रय धन पर देय कर को निर्धारित करने के लिये इस सम्बन्ध में अपील सुनने वाले अधिकारी के पास अपनी रिपोर्ट भेज सकता है।"

अध्यक्ष महोदय, इससे मेरी आपत्ति यह है कि इसी सेल्स टैक्स अफसर को जिसने तीन साल पहले किसी व्यापारी के रिटर्न्स पर टैक्स लगाया होगा उसी को सरकार अधिकार दे रही है कि तीन साल के भीतर दुबारा उसके कागजात मंगा कर उस पर सेल्स टैक्स लगा सकता है। एक तो उसी अधिकारी को जिसने सेल्स टैक्स लगाने का फैसला किया हो, हक नहीं होना चाहिये। मेरे संशोधन का मतलब यह है कि अगर आवश्यकता पड़ जाय तो वह ऐसी हालत में रिपोर्ट लगा कर अपील सुनने वाले अधिकारी के पास भेजे। एक तरह से उसके खिलाफ सरकार की अपील होगी। इससे एक रुकावट होगी कि इस विभाग के अधिकारी जब चाहें किसी व्यापारी को तीन वर्ष के अन्दर परेशान नहीं कर सकते हैं और जब उनको दूसरे अधिकारी के पास रिफर करना होगा तो उनको काफी जिम्मेदारी के साथ तथा होशियारी के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी को परेशान करने की नियत से दुबारा कागजात नहीं मंगाये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल साफ है। इसमें यदि ऐसा कर दिया जायगा तो व्यापारी को सुविधा होगी।

श्री बाबूलाल मीतल—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो उपधारा जोड़ी गयी है इसका बहुत साफ उद्देश्य यह है कि अगर किसी वजह से टैक्स लगाने में कोई भूल चूक हो गयी तो सेल्स टैक्स विभाग को यह अधिकार रहेगा कि तीन साल के अन्दर वह उस व्यापारी को नोटिस देगा कि तुम्हारे हिसाब की जब जांच की गयी थी तो यह चीज बाकी रह गयी थी। व्यापारी जायगा और अपनी बात बतलायेगा और फिर जो फैसला होगा वह अधिकारी देगा और इसके बाद जिस तरह से कि असेसमेंट में अधिकार रहता है ब्यापारी को अपील वगैरह करने का वही रहेगा। श्री रामनारायण जी के संशोधन के माने यह हैं कि अगर वह समझें कि टैक्स लगाना उचित है तो वह उसको सूचना अपील सुनने वाले अधिकारी के पास भेज दें। इसके बाद वह कुछ नहीं कहते कि अपील के अधिकारी क्या कहेंगे जब कभी हम कोई कायदा बनाते हैं तो यह करते हैं कि आखिर तक इसका क्या तरीका होना चाहिये। यह स्पष्ट कर दें लेकिन संशोधन से यह स्पष्ट नहीं होता।

दूसरे अगर टैक्स लगाने से रह जाय तो उसको मौका रहेगा कि वह आकर जवाब दे और असेसिंग आफिसर उसकी बात सुनने के बाद जैसा उचित समझेगा कर देगा। इसलिये इसमें कोई बेजा बात नहीं है। अगर किसी अधिकारी ने टैक्स लगाने से कुछ छोड़ दिया है तो यह जरूरी नहीं है कि तीन साल तक वही अधिकारी वहां पर रहेगा या कोई अधिकारी होगा इसको कौन जानता है।

मेरा निवेदन यह है कि जो सुझाव श्री रामनारायण जी ने रखा है वह इसकी मंशा बिल्कुल बेकार कर देगा। अगर वह प्रोसीजर बतलाये जाँय तो वह बहुत लम्बा होगा यह बहुत साफ है। अगर तीन साल में कोई गलती मालूम पड़ती है तो असेसी को नोटिस दिया जायेगा और वह आयगा और अपना जवाब देगा और यही पहला तरीका बरता जायगा। मेरा विश्वास है कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी इस पर विचार करके अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—यह सुझाव भी रामनारायण जी ने, मैं समझता हूं भ्रांति होने से दिया है। यह कोई नया अधनियम नहीं है। यह भी पुराना है, बल्कि पुराने ऐक्ट में इससे सख्त है और उससे इसका कुछ क्षेत्र संकुचित कर दिया है इसलिये यह तो जनता के लिए हितकारक है। पहली २१ धारा इस तरह है—

> "If for any reason the whole or any part of the turnover of business of a dealer has escaped assessment to the tax, or if the licence fee has escaped levy or has been assessed at too low a rate in any year, the assessing authority at any time within a period of three years next succeeding that to which the tax or the licence fee relates assess the tax payable on the turnover which has escaped assessment or levy the correct amount of licence fee, after issuing a notice to the dealer and after making such inquiry as he considers necessary."

इस से उन्हें इस बात में तो शंका रहनी नहीं चाहिये कि यह नयी चीज नहीं है। यह पुरानी है और पुराने ऐक्ट में से एक चीज छोड़ दी गयी कि लाइसेंस फीस भी ३ साल के भीतर कायम हो सकती थी। मगर चूंकि लाइसेंस फी के बारे में नियम बदल गये हैं। इसलिए लाइसेंस फी कायम करने की बात हटा दी गयी। इसके अलावा भी अगर उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो इससे किसी का फायदा नहीं हो सकता। मान लीजिये अधिकारी निर्णय उसके विरुद्ध करता है तब तो वह अपील कर सकता है, मगर हर केस में यह कहना कि खुद निर्णय न कर सके उसके मुआफिक भी और अपील करे, तो यह ठीक नहीं है।

तभी अपील हो सकती है जब विरुद्ध निर्णय करे। हर केस में यह कहना कि रिपोर्ट करे तो यह लाभदायक नहीं है। इससे उसको दो अदालतों का फायदा पहुंचता है। एक तो जो इंक्वायरी कर रहा है वह उसके मुआफिक रिपोर्ट दे दे तो केस खत्म हो जाता है और अगर खिलाफ करता है तो अपील कर सकता है। मगर उनके संशोधन से तो ऐसा हो जाता है कि हर चीज अपील की ही अदालत में जाय और वहीं फैसला हो। न भी कर लगने वाला हो तो भी अपील की अदालत लगा दे। यह तो किसी तरह से हितकर नहीं है और कर-दाता को इस से कोई लाभ नहीं पहुंचता। उन्होंने यह समझा कि यह नियम पुराना नहीं है वरना अगर पुराने नियम से किसी केस में किसी को हानि पहुंचती तो वह जरूरी कहते। इससे भी सिद्ध होता है कि चूंकि उस से किसी को नुक्सान नहीं पहुंचा इसलिये किसी ने उसका विरोध नहीं किया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, शायद माननीय मुख्य मंत्री ने ठीक तरह से सुना नहीं। इसका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया कि यह नियम पहले नहीं था लाइसेंस फी के बारे में। यह मुझे भी मालूम है कि पहले था। सवाल यह है कि मान लीजिये किसी सेल्स टैक्स अधिकारी ने हिसाब मांगा। हिसाब मांगने पर कर-दाता ने अपील की दरख्वास्त कर दी, फैसला हुआ और अधिकारी को अधिकार हो गया कि वह सेल्स-टैक्स बांध दे तीन वर्ष के बाद। ऐसे भी वाकये हो सकते हैं। ऐसे मामलों में क्या होगा इसके लिए यह धारा चुप है। तो सेल्स टैक्स अधिकारी की जिम्मेदारी काफी रहेगी और जब सेल्स टैक्स बंध जाता है तो अपेलेट अथारिटी के पास व्यापारी जाता ही है। और माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उसके पक्ष में नहीं हुआ तो मामला रेफर कर सकता है। तो अगर अपील हो गयी है तभी रेफर करने का सवाल उठता है। और जहां तक माननीय देवकी नन्दन जी ने कहा कि अफसर बदल जायेंगे तो यहां अफसर बदलने का सवाल नहीं है। यह हो सकता है कि अगर कोई सेल्स टैक्स अधिकारी सेल्स टैक्स बांध दे तो ऐसी सूरत में दुबारा उसको जरूरत पड़ती है तो वह भी रिवाइजिंग अथारिटी या अपीलेट अथारिटी को लिखे कि ऐसी परिस्थिति हो गयी। उसमें बड़ी आसानी तो यह होगी कि कोई अधिकारी बेजा किसी को परेशान नहीं कर सकता। उसको भी काफी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा और इस व्यवस्था के रहने से विभाग के जो अफसर हैं वह काफी सतर्कता बरतेंगे कि जल्दी में किसी के कागजात वगैरह न मंगाकर काफी सावधानी के बाद ही एक मर्तबा सेल्स टैक्स बांधा जाय जिससे कि फिर दुबारा बांधने की आवश्यकता न पड़े।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--मुझे तो कुछ कहना नहीं है इसके अलावा कि मैंने यह समझा था कि रामनारायण जी का शायद यह कहना है कि पहले यह नहीं था। अगर उनको मालूम था कि पहले से ऐसा था तो जब कम से कम उनके सुनने में कोई मामला आज तक नहीं आया कि किसी केस में कोई आवश्यकता पड़ती, जब इतने दिनों से आवश्यकता नहीं हुयी तो आगे के लिये भी हम उम्मीद करें कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ में धारा २१ की पंक्ति पांच के शब्द 'कर' के बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय तथा उसके बाद निम्नलिखित रख दिया जाय--

"को निर्धारित करने के लिए इस सम्बन्ध में अपील सुनने वाले अधिकारी के पास अपनी रिपोर्ट भेज सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

सं० प्र० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २४ का संशोधन।

१९—(१) मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (२) में वाक्य खंड (ङ) के बाद शब्द "तथा" निकाल दिया जाय और वाक्यखंड (च) के बाद निम्नलिखित नये वाक्यखंड (छ) और (ज) जोड़ दिये जायं :—

"(छ) धारा ८—क की उपधारा (४) के अधीन जमा की गयी धनराशियों की वापसी (refunds), ऐसी वापसियों (refunds) के लिये प्रक्रिया तथा वह अवधि जिसके भीतर वे की जा सकती हैं, और

(ज) ऐसे विषय जिनको निर्धारित करना है अथवा जिनको निर्धारित किया जा सकता है।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश बिक्री—कर (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर निश्चित करे।

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) में "द्वैकर" के स्थान पर "द्वारा" रख दिया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मुझे यह संशोधन मंजूर है। इससे कुछ भाषा सुधरती है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) में "द्वैकर" के स्थान पर "द्वारा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि इस विधेयक में जहाँ कहीं भी शब्द "मुहायदा" "दौरान" और "बाद" आये हैं इनके स्थान पर क्रमशः शब्द "संविदा" "बीच" तथा "पश्चात्" रख दिये जायं।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, ये जो शब्द आये हैं इससे पहले और भी जितने विधेयक यहां आये हैं उनमें विधान परिषद् ने यह संशोधन किया और फिर विधान सभा में आये। अतः मैंने ये शब्द रक्खे हैं जिससे समय नष्ट न हो। यह शाब्दिक संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का विरोध करता हूं और विरोध इसलिए करता हूं कि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ सदस्य यह बात आवश्यक समझते हैं कि कानून के शब्द ऐसे कठिन बना दिये जायं जो साधारण लोगों की समझ में न आयें। सरकार के कार्यों में और विधेयकों में जो शब्द रखे जा रहे हैं या कार्य रूप में जो भाषा प्रचलित है उसका समझना सेक्रेटरी और मिनिस्ट्रों

के लिए और हम लोगों के लिए भी कभी कभी कठिन हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी का रेफ्रेंस न हो तो वह हिन्दी समझ में ही नहीं आ सकती। जहां तक महात्मा गांधी की इच्छा का सवाल था उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा रखी थी और उन्होंने कहा था कि कानून भी ऐसी भाषा में बनने चाहिए जो लोगों की समझ में आसानी से आ सकें। तो ऐसे स्थान पर जो शब्द मुहावरे का है उसके स्थान पर संस्कृत के कठिन कठिन शब्द रखे जायं जो कि देहात के रहने वालों की समझ में न आयें यह कोई मुनासिब बात नहीं है। इसलिये जो शब्द "मुहायदा" "दौरान" और "बाद" आये हैं वह रहने दिये जायं। कानून और दूसरी सरकारी लिखापढ़ी में यह प्रयत्न किया जाय कि जिसको महात्मा गांधी हिन्दुस्तानी कहते थे और देश और प्रदेश के बड़े बड़े लोग इसके सम्बन्ध में आंदोलन चला रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि कठिन से कठिन हिन्दी आम कामों में इस्तेमाल न की जाय, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि श्री श्रीचन्द जी इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करता हूं क्योंकि हमारे सदन की भाषा और सरकारी भाषा हिन्दी है और जो कि न कोई विदेशी भाषा है, हमारी अपनी भाषा है तो हम यह चाहते हैं कि हमारे कामों में हिन्दी के शुद्ध शब्द रखे जायं। त्रिपाठी जी ने जो मिसाल दी है तो मुहायदा शब्द तो अरबी फारसी का लफ्ज है और जिनके ऊपर हमारे त्रिपाठी जी जोर दे रहे हैं। मैं तो विशेषकर उनसे यह आशा करता था कि वें शुद्ध हिन्दी में कानून बनाये जाने का समर्थन करेंगे जिससे हिन्दी जगत में हमारा नाम ऊंचा हो, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा हो और हमारी हिन्दी सही माने में प्रयोग होने लगे न कि खिचड़ी की तरह। कानून गांव वाले लोग नहीं पढ़ते। कानून तो वकील पढ़ते हैं। बड़े बड़े पंडित पढ़ते हैं। गाँव वाले किसान तो वकील साहबान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर, हमारा मुकदमा कर दीजिये। वकील अगर शुद्ध हिन्दी और सही हिन्दी नहीं जानेंगे तो हिन्दी की उन्नति कैसे होगी। मैं श्री श्रीचन्द जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री त्रिपाठी जी ने जो कहा है उसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं यह समझता हूं कि इस वक्त भाषा की जटिल समस्या को यहां उठाने की कोई जरुरत नहीं मगर मैं इस बात को समझता हूं कि हमारी भाषा सरल होनी चाहिए और जहां तक मुमकिन हो हमें ऐसे शब्दों को काम में लाना चाहिए जिनको अधिक से अधिक लोग समझ सकें और भाषा का आखिर मतलब ही यही है। यह कहना कि हमारी कोई भाषा साहित्य से अलग है, लोग जैसा चाहें वैसा करें, मगर हिन्दी को भी हमें समझना चाहिये कि हिन्दी एक विशाल और बहुत विस्तृत क्षेत्र को रखती है। उसके अन्दर जितनी भी हमारे इस प्रदेश में शैलियाँ हैं, अपने विचारों को प्रकट करने की वह सब आती हैं। हिन्दी के अन्दर उर्दू भी शामिल है, हिन्दुस्तानी भी शामिल है। हिन्दी भाषा वह भाषा है जो हमारे प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली जाती है। उसके रूप जगह जगह पर अलग अलग हैं। कहीं ब्रजभाषा है तो कहीं खड़ी बोली है, कहीं काशी की भाषा है तो कहीं लखनऊ की लफ्फाजी है। लिहाजा हमें भाषा के मामले में संकुचित नहीं होना चाहिए। जो चीजें आम जनता के लिए हैं हमें उन्हें ऐसा बनाना चाहिये जो आम लोग आसानी से समझ सकें। मैं समझता हूं कि कानून में जहां तक हो सरल भाषा प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। यह जरूर है कि बहुत वक्त दिक्कत हो जाती है कि जो शब्द नहीं हैं उनको बनाना पड़ता है। और जो नये शब्द बनाने पड़ते हैं वह संस्कृत के ही आधार पर बन सकते हैं। हमारे विधान में भी यह बात है और इसी तरह से लंका इंडोनेशिया और स्याम में जहां कोई नया शब्द आता है तो संस्कृत के आधार पर बनाया जाता है। वह दूसरी बात है। परन्तु मैं समझता हूं कि हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि जो बात हम कहें उसे सब समझ सकें और भाषा के प्रचार करने में कहीं संकीर्णता न आये जिससे लोग झिझकने लगें कि यहां ऐसी चीज हो रही है जिससे हमें अलग रहना है। मैं समझता

[श्री गोबिन्दवल्लभ पन्त]

हूं कि इन बातों का इस संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बातें इस संशोधन में हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। "संविदा" किस अर्थ में आता है इसे लोग कम समझते हैं। "मुहाइदा" इसे सब लोग समझते हैं। इसी तरह से "दौरान" और "बाद" को भी सब समझते हैं। "बीच" और "पश्चात्" की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। जो बिल आता है उसमें भाषा के आधार पर परिवर्तन करना और इधर उधर करना मैं इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करता। वह समय लेता है। लिहाजा श्रीचन्द जी अपना संशोधन वापस ले लें। जहां तक भाषा का प्रश्न है अगर कोई ऐसी बात है जिसको इस बिल में ठीक करना है, जिसको सही करना है उसके लिए अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उसको कर सकते हैं। उसमें हमारे कोई खास संशोधन करने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीचन्द—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जिस समय कोई विधान बनता है उसके लिये कुछ न कुछ शब्द छांटने ही पड़ते हैं। मैंने जो "संविदा" शब्द रक्खा है यह मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। यह शब्द कांस्टिट्यूशन आफ इंडिया के अन्दर जो शब्दावली है, जिसको समिति ने बनाया है, उसमें यह भी एक शब्द है। इसी ख्याल से मैंने इस शब्द को यहां रखने के लिये संशोधन पेश किया था। वैसे मैं इससे सहमत हूं कि हमें शब्दों के जाल में ज्यादा न जाना चाहिये और मुख्य मंत्री जी ने जो फरमाया है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

संo प्राo ऐक्ट १५, १९४८ ई०।

कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट सन् १९४८ ई० में और संशोधन करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि इसमें आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में और संशोधन किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ जैसा कि इस सदन में संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ जैसा कि इस सदन में संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स संशोधन (विधेयक), १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने का प्रस्ताव पेश कर चुका हूं, अब उस सिलसिले में मुझे कोई तकरीर नहीं करनी है क्योंकि यह बहुत सरल विधेयक है। इसमें प्रवर समिति में सर्वसम्मति से संशोधन हुये हैं और आज भी किसी संशोधन का मोशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २—२६

२—यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में—

(१) खंड (ई) निकाल दिया जाय,

(२) खंड (एच) से (एम) तक निकाल दिये जायं, और

(३) खंड (एम) के बाद निम्नलिखित नये खंड (एन) और (ओ) के रूप में जोड़ दिये जायं :

(n) a reference to "proprietary rights in land" shall include a reference to compensation and rehabilitation grant payable under and in accordance with the U. P. Zamindari Abolition and and Reforms Act, 1950 ; — यू० पी० ऐक्ट १, १९५१।

(o) the expressions "compensation" and "rehabilitation grant" shall mean the compensation or, as the case may be, the rehabilitation grant payable under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and includes in the case of compensation, interim compensation payable under section 29 of the said Act. — यू० पी० ऐक्ट १, १९५१।

३—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (२) में शब्द "in full under section 23 or section 24 or granted a mortgage under section 25 or passed orders under section 27 or 28" के स्थान पर शब्द "under Chapter V" रख दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ७ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ९–ए की—

(१) उपधारा (४) के शब्द 'fail' और 'cancel', के बीच शब्द 'or that it is no longer necessary in consequence of the acqusition of estates under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 to continue the appointment of a receiver' रख दिये जायं, और — यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९–ए का संशोधन।

(२) उपधारा (५) निकाल दी जाय।

५—मूल अधिनियम की धारा ९–सी निकाल दी जाय। — यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९–सी का निकाला जाना।

---

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९-डी का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की धारा ९-डी में शब्द, अंक और कोष्ठक " (2), (4) and (5) " के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, "(2) and (4)" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ११ का संशोधन ।

७—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द :

"Such property is transferred to any person under the provisions of sections 24, 25, 28 or 31 or a bond is issued by the Collector to a creditor under section 30 or 31"के स्थान पर शब्द "the debt has been liquidated under Chapter V" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १४ का संशोधन ।

८—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(7) If the Special Judge finds that—

(*a*) no amount is due, he may pass a decree for costs in favour of the landlord ;

(*b*) an amount is due to the claimant, he shall—

(i) pass a simple money decree, having regard also to the provisions of section 3 of the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1950 for such amount together with any costs which he may allow in respect of the proceedings in his court and of proceedings in any court stayed under the provisions of this Act together with *pendentelite* and future interest at a rate not higher than 4½ percent per annum ; and

(ii) also certify the amount, if any, of such decree which, in accordance with the provisions of section 8 of U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952 is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the land lord :

Provided that no *pendentelite* interest shall be allowed in the case of any debt where the creditor' was in possession of any portion of the debtor's property in lieu of interest payable on such debt for the period he was so in possession.

(8) Every decree passed under sub-section (7) shall be deemed to be decree of a court of competent jurisdiction but shall not be executable within U. P. except under the provisions of this Act."

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १५ का संशोधन ।

९—मूल अधिनियम की धारा १५ में शब्द और अंक "Section 14" के बाद शब्द "or section 4 of the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952" जोड़ दिये जायं ।

१०—मूल अधिनियम की धारा १६ में प्रकार (३) के बाद निम्नलिखित नया प्रकार (३-ए) के रूप में रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १६ का संशोधन।

"Class (3-A). Secured debts which are not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the land lord."

११—मूल अधिनियम की धारा १८ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १८ का संशोधन।

"Provided that secured debts which, in accordance with the provisions of section 8 of the U. P. Zamindars Debt Reduction Act, 1952 are not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord shall *be recoverable from the compensation and rehabilitation grant aforesaid as though the security had not been extinguished.*

१२—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १९ का संशोधन।

"(2) The Special Judge shall inform the Collector—

(*a*) of the amount of the secured debt which is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord in respect of the mortagaged estate ; and

(*b*) of the nature and extent of the property mentioned in the notice under section 11 which he has found to be liable to attachment or sale in satisfaction of the debts of the applicant."

१३—मूल अधिनियम की धारा १९ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १९-ए के रूप में जोड़ दी जाय—

यू०पी० ऐक्ट २५, १९३४ में नयी धारा १९-ए का जोड़ा जाना।

Amendment of decrees transmitted to the Collector

19-A. Where a decree has been passed by the Special Judge before the commencement of the U. P. Encumbered Estates (Amendment) Act, 1953, and the decree *not having been already fully satisfied* is in respect of a secured debt to which the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952, applies, the special Judge shall, upon reduction of the amount of the debt in accordance with the the provisions of the said Act,—

(*a*) inform the Collector of the reduction so made ; and

(*b*) certify the amount if any, of the decree aforesaid which is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord in respect of the mortgaged estate ; and the decree transmitted to the Collector under section 19 shall be deemed to have been amended accordingly."

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ में नयी धाराएं २३-ए और २३-बी का जोड़ा जाना।

१४--मूल अधिनियम की धारा २३ के बाद निम्नलिखित नयी धाराएं २३-ए और २३-बी के रूप में जोड़ दी जायं--

"Compensation and rehabilitation grant to be placed at the disposal of the Collector.

23-A. The Collector shall require the Compensation Officer and Rehabilitation Grants Officer, as may be necessary to place at his disposal in pursuance of section 70 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the amount of compensation money and rehabilitation grant payable to the landlord in respect of of his proprietary rights in land reported to be liable to attachment or sale under the provisions of sub-section (2) of section 19."

U. P. Act 1 of 1951.

"Liquidation of secured debt recoverable from compensation and rehabilitation grant.

23-B. (1) Without prejudice to the provisions of section 8 of the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952, the amount or the bonds on account of compensation or rehabilitation grant received by the Collector in pursuance of the requisition under section 23-A shall be expanded or utilised by the Collector in liquidation of the amount of the scured debt which having regard to the provisions of the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952 was secured on the proprietary rights in land in respect of which such money has been received.

(2) If any balance out of the compensation or rehabilitation grant received by the Collector in pursuance of the requisition under section 23-A remains in the hand of the Collector after utilising the same in accordance with the provisions of sub-section (1), such balance shall be utilised by the Collector in discharging the debts, other than the debts, referred to in the said sub-section in order of priority."

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा २४ का संशोधन।

१५--मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Realisation of debitor's Property and application of proceeds for liquidation of debts

(1) The Collector shall then realise the value of such of the debtor's property, other than proprietary right in land, but including proprietary rights in land in areas which on the 7th day of July, 1949, were included in a Municipality or a Notified area under the provisions of the U. P. Municipalities Act, 1916 or a cantonment under the provisions of the Cantonment Act, 1924 or a Town Area under the provisions of U. P. Town Areas Act, 1914, as shall have been reported by the Special Judge under the provisions of sub-section (2) of section 19 to be liable to attachment or sale;

Provided that the Collector before passing orders under this section of the sale of any property shall hear any objection which the debtor may have to make to the sale of that property :

Provided also that, notwithstanding anything in any other section, of this Act, the Collector may, if he considers fit, sell, along with any building disposed of under this section the proprietary rights of the applicant of any land occupied by such building or appurtenant thereto.

Provided further that the Collector shall leave the debtor at least one residential house and necessary furniture thereof if—

(a) the debtor owns such house and furniture and desires to retain it, and

(b) such house and furniture is free from any mortgage or charge.

१६—मूल अधिनियम की धारायें २५, २६, २७, २८, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ और ४२ निकाल दी जायं। — यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा २५ से ३४ तक और धारा ३६ से ४२ तक का निकाला जाना।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (१) में: — यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ४४ का संशोधन।

(१) खंड (ए) में शब्द और अंक "Section 23 or 24" के स्थान पर शब्द और अंक "section 23,23-B or section 24" रख दिये जायं, और

(२) खंड (बी) और (सी) निकाल दिये जायं।

१८—मूल अधिनियम की धारा ४८ में : — यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ४८ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "or has granted the mortgage under section 25 or has ordered the payment of instalments under section 27 or 28 or has transferred the whole of the landlord's proprietary rights in unprotected land under section 28" के स्थान पर शब्द और अंक 'section 23-B or 24' रख दिये जायं, और

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय।

१९—मूल अधिनियम की धारायें ५५ और ५६ निकाल दी जायं। — यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धाराएं ५५ और ५६ का निकाला जाना।

२०—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय। — यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की अनुसूची (schedule) का निकाला जाना।

यू० पी० एक्ट २५, १९३४ में एक नई धारा ६० का जोड़ा जाना।

२१—मूल अधिनियम की धारा ५९ के बाद निम्नलिखित नई धारा ६० के रूप में जोड़ दी जाय:

Exercise of powers of the Collector by the Special Judge

60. The powers exercisable by the Collector under Chapter V may, if the State Government so directs, be exercised by the Special Judge either generally or in any area, as may be specified.

अपवाद (Savings)

२२—जब मूल अधिनियम का कोई भी उपबन्ध इस अधिनियम द्वारा निरस्त, परिवर्तित अथवा संशोधित हो चुका हो तो जब तक भिन्न प्रयोजन न प्रतीत हो ऐसा निरसन, परिवर्तन अथवा संशोधन—

(क) किसी ऐसी बात को पुनः प्रचलित न करेगा जो ऐसे निरसन, परिवर्तन अथवा संशोधन के कार्यान्वित होने के समय प्रचलित या विद्यमान न हो,

(ख) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित अथवा संशोधित उपबन्ध के पूर्व प्रवर्तन (previous operation)पर अथवा तद्न्तर्गत यथाविधि किये अथवा हुये काम पर प्रभाव न डालेगा,

(ग) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित, अथवा संशोधित उपबन्ध के अधीन उपार्जित , उत्पन्न या भारित किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, अधिभार या दायित्व को प्रभावित न करेगा, अथवा

(घ) उपर्युक्त ऐसे किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, अधिभार, दायित्व के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी उपचार (remedy) अथवा आरम्भ की गई जांच अथवा विधिक कार्यवाहियों पर प्रभाव न डालेगा;

और ऐसे किसी उपचार का अनुपालन हो सकेगा और ऐसी किसी जांच अथवा विधिक कार्यवाहियों का संचालन और समापन इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो सकेगा।

शंकाओं का निवारण।

२३—सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध का निरसन अथवा संशोधन निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेगा—

(क) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २५, जो आगे चल कर निकाल दी गई है, के अन्तर्गत अनुदत्त किसी बन्धक का अविरत प्रवर्तन (co ued operations) य द बन्धक की हुई सम्पत्ति पर न्धकी (mortgagee) को क़ब्ज़ा दे दिया गया हो ;

(ख) मूल अधिनियम की धारा २७ अथवा २८, जो आगे चल कर निकाल दी गई है, के अनुसार आज्ञप्त ऐसी किस्त के भुगतान का दायित्व जो ऋणी द्वारा देय हो अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसी किस्तों अथवा उनके अंश को, उक्त अधिनियम की धारा २९, के अधीन मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के अधिकार,

(ग) मूल अधिनियम की धारा ३० अथवा ३१, जो आगे चल कर निकाल दी गई है, के अधीन दी गई बन्धों (bonds) को जारी करने के लिये आज्ञा का प्रवर्तन अथवा तदन्तर्गत जारी किये गये किन्हीं भी बन्धों की अविरत वैधता (continued validity),

(घ) मूल अधिनियम की धारायें ३१, ३३ और ३४, जो आगे चल कर निकाल दी गयी हैं, के अधीन भूमि में स्वामित्व के अधिकारों के संक्रमण अथवा विक्रय, और

(घ घ) धारा ३१, ३३ और ३४ के अधीन भूमि में स्वामित्व अधिकारों के संक्रमण अथवा विक्रय के लिये दी गयी किसी आज्ञा का प्रवर्तन यदि उसके अनुसार यथास्थिति सन्क्रामण गृहीता (transferee) या क्रेता (purchaser) को स्वामित्व के अधिकारों पर भी क़ब्ज़ा दे दिया गया हो।

(ङ) अवध सेटिल्ड इस्टेट ऐक्ट, १९१७ अथवा यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० में किसी भी बात के होते हुये भी मूल अधिनियम की धारा ४ के अधीन प्रार्थना-पत्र के दिनांक के बाद ऋणी की मृत्यु होने पर मूल अधिनियम की धारा ४० के अधीन उत्पन्न प्रभार (charge)।

यू० पी० ऐक्ट ७, १९५० की अनुसूची का संशोधन।

२४--१९५० का उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश सम्बन्धी अधिनियम की अनुसूची का पैरा २ (यूनाइटेड प्राविन्सेज इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ से सम्बद्ध) निकाल दिया जाय और उक्त अधिनियम की धारा १० के अधीन यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के चैप्टर ५ के अधीन होने वाली कार्यवाहियों (proceedings) को स्थगित करने के लिये जारी की गई आज्ञायें निरस्त हो जायंगी।

अनुकूलन के हेतु न्यायालय और अन्य किसी प्राधिकारी के अधिकार।

२५--विचाराधीन किसी कार्यवाही या जांच के प्रति या इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन उपार्जित, उत्पन्न या भारित किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के प्रवर्तन के प्रति, इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की प्रवृत्ति को सुकर बनाने के लिये कोई न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों का, ऐसे परिवर्तनों अथवा परिष्कारों सहित ऐसा अर्थ लगा सकता है, जिससे तात्पर्य पर व्याघात न हो और जो न्यायालय अथवा प्राधिकारी के, जैसी भी दशा हो, समक्ष विषय को अनुकलित करने के लिये आवश्यक अथवा उपयुक्त हो।

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

२६--राज्य सरकार, कठिनाइयों और विशेषकर उस किसी कठिनाई को दूर करने के, जो मूल अधिनियम के, उपबन्धों के इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम के उपबन्धों में संक्रामित होने के सम्बन्ध में हों, प्रयोजन से आज्ञा द्वारा:

(क) आदेश दे सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि पर्यन्त उन अनुकूलनों के अधीन जो परिष्कार, संयोजन अथवा वियोजन (addition and omission) के रूप में किये जायं, जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझे, प्रभावशील होगा, और

(ख) उपर्युक्त प्रकार की किसी भी कठिनता को, जो विनिर्दिष्ट की जाय, दूर करने के प्रयोजन से अन्य ऐसे ही अस्थायी उपबन्ध बना सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ से २६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खन्ड १

उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ को संशोधित करने का

१९३४ की यू० पी० ऐक्ट संख्या २५।

विधेयक

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ का संशोधन किया जाय,

१९३४ की यू० पी० ऐक्ट संख्या २५।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा आरम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, शीर्षक और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

जो कानून आजकल प्रचलित है उसके मातहत अगर किसी व्यक्ति का मवेशी दूसरे के खेत में घुस जाय और उसकी फसल का नुकसान हो जाय, तो यह एक जुर्म है और उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। उसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत महसूस हुई। हमारे देश में भी और और प्रदेश में भी अन्न की बहुत जरूरत है और उसकी पैदावार को बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिये किसान भी कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी तरह तरह की योजनायें बना रही है लेकिन जो मवेशी दूसरे के खेत में घुस जाता है तो उन पर जो जुर्माना अभी तक होता रहा है वह नाकाफी साबित हुआ है। एक तो रुपये की भी क़ीमत नहीं रही। और जुर्माना अगर होता है तो वह डिटरेन्ट नहीं है। कुछ ऐसी रिपोर्ट हैं कि बड़े-बड़े शहरों और कस्बों के पास कुछ लोग अपने पशुओं को जानबूझ कर छोड़ देते हैं जिससे बड़े शहरों के आसपास जो किसान खेती करते हैं उनको बहुत ज्यादा नुक्सान होता है। मवेशियों में भी कुछ ऐसा अभ्यास हो गया है कि वे किसान की पकड़ाई में नहीं आते हैं। क़स्बों और शहरों के आसपास के खेतों में बहुत हानि होती है। इस दृष्टि से यह एक छोटा सा विधेयक आया है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२---कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

१८७१ का ऐक्ट १ की धारा २६ का संशोधन।

26. Any owner or keeper of cattle, who, through neglect or otherwise, damages or causes or permits to be damaged any land, or any crop or produce of land by allowing such cattle to trespass thereon, shall on conviction before a Magistrate, be liable to a fine not less than Rs. 10 but not exceeding Rs. 250 or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both."

"Penalty for damage caused to land by cattle.

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ़्फ़रनगर)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित नयी धारा २७ की पंक्ति १ में शब्द "owner" के बाद शब्द "or" निकाल दिया जाए और शब्द "keeper" और शब्द "of" के बीच में शब्द "or attendant" रख दिये जायं।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक़ है इसके अल्फाज इस तरह से होंगे---

Any owner, keeper or attendant of cattle who through neglect or otherwise.

---

*११ फरवरी, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सैयद अली जहीर]

धारा के अलफ़ाज़ किस तरह से होंगे, यह अख्तियार अध्यक्ष महोदय को है इसमें यह होगा कि or का लब्ज यहां से गिरा दिया जाय और keeper के बाद आ जाय। उसके बाद attendant हो जाय। or attendant होना चाहिये keeper और of के बीच में । गवर्नमेंट उनके मंशा को मंजूर करती है और यह तरमीम स्वीकार है । मैं यह लिख कर भेज रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ की प्रस्तावित नयी धारा २६ की पंक्ति १ में से शब्द "or" निकाल दिया जाय और शब्द "keeper" तथा शब्द "of" के बीच में शब्द "or attendant" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में १८७१ के ऐक्ट १ की धाराएं २६ और २८ का संशोधन

३—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में यह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम द्वारा संशोधन मूल अधिनियम की धारा २६ तथा मूल अधिनियम की धारा २८, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है और अधिक संशोधित तथा परिष्कृत रहेंगी और उक्त प्रख्यापन के दिनांक से मूल अधिनियम तद्नुसार संशोधित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१—इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"Penalty for damage caused to land by cattle.

26. Any owner or keeper of cattle, who through neglect or otherwise, damages or causes or permits to be damaged any land or any crop or produce of land by allowing such cattle to trespass thereon, shall, on conviction before a Magistrate, be liable—

(*a*) for the first offence to a fine not less than Rs.10 but not exceeding Rs.250 or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both,

(*b*) for the second or subsequent offence to an imprisonment for a term not exceeding three months and fine not exceeding Rs.500"

२—मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"Application of fines recovered under sections 25, 26 or 27.

28. All fines recovered under section 25, clause (*a*) of section 26 or section 27 may be appropriated in whole or in part as compensation for loss or damage proved to the satisfaction of the convicting Magistrate."

श्री श्रीचन्द—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि अनुसूची के खंड १ में प्रस्तावित नयी धारा २६ की पंक्ति १ में शब्द "owner" के बाद शब्द "or" निकाल दिया जाय और शब्द "keeper" और शब्द "of" के बीच में शब्द "or attendant" रख दिये जायं।

बाक़ी संशोधन मैं रखना नहीं चाहता।

श्री सैयदअली जहीर—यह संशोधन मुझे मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची के खंड १ में प्रस्तावित धारा २६ की पंक्ति १ में शब्द "owner" के बाद शब्द "or" निकाल दिया जाय और शब्द "keeper" और शब्द "of" के बीच में शब्द "or attendant" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची इस विधेयक का अंश बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

कैंटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४

कुछ प्रयोजनों के निमित्त कैंटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ में, जहां तक कि उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन करने का ऐक्ट १ ।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त कैंटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन करना आवश्यक है। अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है। १८७१ का ऐक्ट १ ।

१—(१) यह अधिनियम कैंटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कैंटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कैंटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगामी कार्यक्रम की सूचना

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—अब कल और परसों तो सप्लीमेंटरी एस्टीमट्स होंगे। १८ तारीख को तो स्वायल कंजरवेशन बिल होगा ही और १८, १९ का क्या कार्यक्रम है वह फिर मैं कल को बाद में बतला दूंगा।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ४२ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१५ फरवरी, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

संसद भवन

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६० पर)

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १६५३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

समिति की बैठक ११ और १२ जनवरी, १६५४ को हुई और उसने खंडशः विधेयक पर विचार किया। समिति द्वारा किये गये संशोधन विधेयक में प्रदर्शित हैं। निम्नलिखित को छोड़ कर समिति द्वारा किये हुये परिवर्तन साधारण हैं और उनकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है—

१—धारा ३ (२) (ङ)—विधेयक में राज्य सरकार द्वारा मंडल के लिये नामांकित सदस्यों की संख्या तीन तक सीमित कर दी गयी है। मंडल परामर्श देनेवाली संस्था के रूप में काम करेगा और हमारी राय है कि सरकार को पांच सदस्य तक नामांकित करने का विकल्प देना लाभप्रद होगा।

२—धारा ५-क—हमारे विचार में जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और अधिकार स्पष्ट रूप से लिख दिये जाने चाहिये। अतएव हमने इस लक्ष्य से एक नयी धारा रख दी है।

३—धारा १३—हमारे विचार में जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को दोनों पक्षों की सुनवाई करनी चाहिये और उसे सुनवाई करने से तभी विमुख होना चाहिये जब वह इसे अनावश्यक समझे। हमारी यह भी राय है कि भूमि संरक्षण अधिकारी को ही आपत्तियों का निर्णय करना चाहिये और विक्षुब्ध पक्ष को कलेक्टर के पास अपील करने का अधिकार होना चाहिये।

४—अनुसूची—हमने विशेष दृष्टिकोण से आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुये अनुसूची को पुनरीक्षित किया है।

प्रस्तावित संशोधनों में ऐसे महत्व के परिवर्तन नहीं हैं, जिससे विधेयक के पुनः प्रकाशन की सिफारिश की जाय।

१—श्री चरण सिंह (चेयरमैन)
२—श्री रामनारायण त्रिपाठी*
३—श्री शिवकुमार शर्मा
४—श्री रामहेत सिंह
५—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल
६—श्री बाबूनन्दन
७—श्री रामेश्वरप्रसाद
८—श्री सत्य नारायण
९—श्री चतुर्भुज शर्मा
१०—श्री बिश्रामराय*
११—श्री जगनप्रसाद रावत
१२—श्री जगन्नाथ प्रसाद

---

* असहमति टिप्पणी, जो सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गयी है, आगे पृष्ठ ७६ में छापी गयी है।

असहमति टिप्पणी

प्रदेश की प्रमुख समस्याओं में भूमि संरक्षण का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अतः हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। वास्तव में इस विधेयक को बहुत पहले आना चाहिये था।

इस विधेयक की आवश्यकता के बावजूद भी इसमें कुछ त्रुटियां हैं यदि त्रुटियां दूर नहीं की गयीं तो विधेयक अपने उद्देश्य में असफल रहेगा।

त्रुटियां इस प्रकार हैं--

विधेयक की धारा ९ की उपधारा (२) के उपभाग (ख) की अनुसूची में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनका सम्पादन लाभार्थी के लिये असम्भव है।

ऐसी योजनाओं के व्यय का भार तो सरकार को अपने जिम्मे लेना चाहिये। परन्तु इसके अभाव में लाभार्थियों पर योजना सम्बन्धी व्यय की सीमा तो अवश्य बांधनी चाहिये थी जैसा कि जोतों की चकबंदी विधेयक, १९५३ में किया गया है।

भूमि संरक्षण योजना में ऐसे भी कार्य होंगे जिनके कारण कुछ व्यक्तियों को अपनी भमि और बाग से बंचित हो जाना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा उचित मुआविजे की व्यवस्था होनी चाहिये थी जो इस विधेयक में नहीं है।

जिला भूमि संरक्षण अधिकारी तथा उनके सहायकों के हाथ में बहुत बड़े अधिकार दे दिये गये हैं। इन अधिकारों के दुरुपयोग से विधेयक अपने उद्देश्य में असफल हो जायगा। इन अधिकारों के नियंत्रण की भी व्यवस्था इस विधेयक में होनी चाहिये।

रामनारायण त्रिपाठी,
सदस्य, विधान सभा।
विश्राम राय,
सदस्य, विधान सभा।

उत्तर प्रदेश भूमि–संरक्षण विधेयक, १९५३

जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ । समिति द्वारा जोड़े गये अंश रेखांकित हैं तथा निकाले गये अंश कोष्टबद्ध "[ ]" हैं ।

उत्तर प्रदेश के भूमि सम्बन्धी साधनों के संरक्षण तथा सुधार की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के भूमि सम्बन्धी साधनों के संरक्षण तथा सुधार की व्यवस्था की जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-संरक्षण अधिनियम, [१९५३] १९५४ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे और राज्य के विभिन्न भागों अथवा जिलों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

परिभाषायें ।

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर—

(१) 'लाभार्थी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे या जिसकी भूमि को योजना के निष्पन्न होने के परिणामस्वरूप लाभ होगा, और इसके अन्तर्गत गांव समाज भी है,

(२) 'मंडल' का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित भूमि-संरक्षण मंडल से है,

(३) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के अधिकारों और कर्त्तव्यों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त अथवा पदयुक्त करे,

(४) 'जिला समिति' का तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित जिला भूमि-संरक्षण समिति से है,

(५) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(६) 'जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त अथवा पदयुक्त अधिकारी से है,

(७) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(८) 'निर्माण (work)' का तात्पर्य योजना के अधीन बनाये या खड़ा किये गये, निष्पादित या किये गए (constructed, erected, performed or carried out) किसी सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण से है और इसके अन्तर्गत योजना के अधीन व्यवस्थित अथवा लगाये गये [वनीकृत क्षेत्र (afforested area) तथा] पशुचर (pasture) अथवा वन भी हैं।

अध्याय २

प्रशासकीय संगठन

उत्तर प्रदेश भूमि-संरक्षण मंडल।

३—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के लिये भूमि-संरक्षण मंडल की स्थापना करेगी।

(२) मंडल में निम्नलिखित होंगे:—

(क) कृषि मंत्री, जो पदेन सभापति होंगे,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो मंत्री अथवा सभा सचिव,

(ग) विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित तीन व्यक्ति [सदस्य],

(घ) विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित दो व्यक्ति, और [सदस्य],

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामांकित पांच तक व्यक्ति [तीन सदस्य]।

(३) राज्य सरकार के कृषि विभाग का सचिव अथवा अन्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार नामांकित करे, बोर्ड का पदेन सचिव (Secretary) होगा।

(४) उपधारा (२) के खंड (ग), (ख) से (ङ) तक में अभिदिष्ट सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का हागा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सदस्य यथास्थिति उपमंत्री, विधान सभा का सदस्य अथवा विधान परिषद् का सदस्य न रहे तो वह इस बात के होते हुये भी कि उपर्युक्त कार्यकाल समाप्त न हुआ हो, सदस्य न रह सकेगा।

[और] प्रतिबन्ध यह भी है कि उस सदस्य का कार्यकाल जो आकस्मिक रिक्ति (casual vacancy) की पूर्ति के लिये निर्वाचित अथवा नामांकित हुआ हो उसके पूर्वगामी व्यक्ति के कार्यकाल का अवशिष्ट भाग होगा।

मंडल के कार्य।

४—मंडल के कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) राज्य अथवा उसके किसी भाग के निमित्त भूमि-संरक्षण [की] योजना [अथवा कार्यक्रम] पर विचार करना और स्वीकृति देना,

(ख) [अधिनियम के अधीन] भूमि-संरक्षण के लिये इस प्रकार स्वीकृत योजना के निष्पादनार्थ उपाय और साधन निकालना,

(ग) अन्य ऐसे कार्यों का पालन जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत नियमों में निर्दिष्ट किये जायं ।

जिला समिति । ५—(१) धारा १ की उपधारा (३) के अधीन विज्ञापित क्षेत्र में समाविष्ट प्रत्येक जिलों में एक जिला भूमि-संरक्षण समिति स्थापितकी जायगी ।

इसमें निम्नलिखित होंगे ।

(क) कलेक्टर,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामांकित सिंचाई विभाग का एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, [नहरों के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर],

(ग) उस क्षेत्र के [जिला] विकास कार्य के आफिसर या आफिसर्स इंचार्ज,

(घ) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर ,

(ङ) डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर,

(च) जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी ।

(२) कलेक्टर [अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामांकित उसका प्रतिनिधि] समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा ।

(३) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी पदेन समिति का सचिव होगा।

(४) जिला अथवा भूमि-संरक्षण समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे—

(क) जिला उसके किसी भाग के लिए भूमि-संरक्षण योजना तैयार करना,

[(ख) जिला अथवा उसके किसी निमित्त भूमि-संरक्षण योजना के निष्पादनार्थ उपाय और साधन निकालना,]

(ख) [(ग)] योजना के निष्पादन का पर्यवेक्षण (Supervision) करना,

(ग) [(घ)] जिले में भूमि-संरक्षण के अन्य ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत नियमों में निर्दिष्ट किये जायं, और

(घ) समय-समय पर मंडल द्वारा दिये अनुदेशों को कार्यान्वित करना ।

५-(क) (१) जिला भूमि-संरक्षण का यह कर्त्तव्य होगा कि धारा ४ के अधीन स्वीकृत योजना को निष्पादित करे और अन्य उन कर्त्तव्यों का सम्पादन करे जो नियत किये जायं ।

(२) जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी, उसके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकर्ता (agents) और कार्यकर्ता योजना तैयार करने के सम्बन्ध में किसी प्रयोजन से किसी भूमि पर प्रवेश कर सकते हैं, उसे नाप सकते हैं तथा तत्सम्बन्धी कोई कार्य कर सकते हैं।

अध्याय ३

भूमि-संरक्षण योजना की तैयारी

भूमि-संरक्षण के उद्देश्य।

६—किसी भी क्षेत्र में भूमि संरक्षण का कार्य निम्नलिखित दृष्टिकोणों से किया जायगा:—

(क) भूमि के कटाव रोकने के लिये,

(ख) [प्रधानतः] जलवेष्टित क्षेत्रों का जल निष्कासन सुधारना, [में भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिये]

(ग) भूमि को ऊसर होने से बचाने और ऊसर भूमि के उद्धार के लिये, और

(घ) बाढ़ रोकने के लिए ।

जिला में भूमि संरक्षण कार्य करने के निमित्त जिला समिति की सिफारिशें।

७—जिला समिति मंडल के पास जिले के उस क्षेत्र के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकती है, जिसमें भूमि-संरक्षण का कार्य किया जायगा । [जब कभी जिला समिति आवश्यक समझे तो वह मंडल से सिफारिश कर सकती है कि जिला अथवा उसके किसी निर्दिष्ट भाग में भूमि-संरक्षण कार्य किया जाय ।]

मंडल का परामर्श ।

८—जब मंडल को जिला समिति की सिफारिश पर अथवा अन्यथा यह संतोष हो कि जिला या उसके किसी भाग में भूमि-संरक्षण करना आवश्यक है, तो वह राज्य सरकार को निम्नलिखित के विषय में परामर्श और आख्या (report) दे सकता है—

(क) जिला अथवा उसके भाग में किया जाने वाला भूमि-संरक्षण, और

(ख) मंडल द्वारा राज्य सरकार को भेजी गयी आख्या में वर्णित प्रयोजनों के दृष्टिकोण से जिला समिति द्वारा योजना तैयार करवाना ।

तथ्यों के संकलन और योजना के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश ।

९—[(१)] राज्य सरकार, यदि वह आख्या स्वीकार कर ले तो—

(क) जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह जिला समिति द्वारा जिला अथवा उसके किसी निर्दिष्ट भाग के लिए भूमि संरक्षण योजना की तैयारी के लिए भूमापन (Survey) करे, तथ्य (Data) एकत्रित करे और प्रस्ताव करे (Proposals) तैयार करे ,

(ख) जिला समिति को आदेश दे सकती है कि खंड (क) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंडल द्वारा राज्य सरकार को धारा ८ के अधीन भेजी गयी आख्या में वर्णित प्रयोजनों के निमित्त, वह योजना तैयार करे ।

[(२) भूमि-संरक्षण योजना (जिसे आगे चलकर योजना कहा गया है) नियत आकार में तैयार की जायगी जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे—

(क) योजना के अन्तर्गत क्षेत्र की आयति और ब्योरे,

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्था के ब्योरे,

(ग) योजना के निष्पादन का कार्यक्रम ।

(घ) योजना के निष्पादन के उपाय और साधन,

(ङ) योजना के सम्बन्ध में लाभार्थी को दिये जाने वाले अधिकार तथा उसके सम्पादन, पूर्ति और रखरखाव से, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा देय प्रभार भी, यदि कोई हो, होगा, सम्बद्ध दायित्व ।]

जिला योजना का निर्माण ।

१०—(१) धारा ९ के अधीन मांग (requisition) की प्राप्ति पर जिला समिति जिले अथवा उसके किसी भाग के निमित्त, जैसी भी दशा हो, मंडल की आख्या में वर्णित आदेशों के अनुसार एक भूमि-संरक्षण योजना (जिसे आगे चलकर योजना कहा गया है) [योजना] बनायेगी ।

(२) योजना नियत आकार में तैयार की जायगी जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:—

(क) योजना के अन्तर्गत क्षेत्र की आयति और ब्योरे,

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्था के ब्योरे,

(ग) योजना के निष्पादन का कार्यक्रम,

(घ) योजना के निष्पादन के उपाय और साधन, और

(ङ) योजना के सम्बन्ध में, लाभार्थी को, यदि कोई हो, दिये जाने वाले अधिकार, तथा योजना के सम्पादन और पूर्ति और तदन्तर्गत निर्माण कार्यों के रखरखाव के सम्बन्ध में उनपर लगाये गये दायित्व, यदि कोई हों, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा देय प्रभार भी, यदि कोई हो, हैं

योजना मंडल के पास प्रस्तुत की जायगी ।

११—(१) धारा १० के अधीन निर्मित योजना कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार के पास भेजी जायगी जो उसे विचार के लिये मंडल के समक्ष रखेगी ।

(२) मंडल के समक्ष योजना प्रस्तुत किये जाने के बाद वह उस पर यथाशीघ्र विचार करेगा और उसे या तो सपरिष्कार अथवा बिना परिष्कार किये, स्वीकार कर लेगा अथवा अस्वीकार कर देगा ।

(३) मंडल द्वारा योजना अस्वीकार हो जाने पर राज्य सरकार जिला समिति को तदनुसार सूचित करेगी और जिला समिति उस पर आगे कार्यवाही न करेगी ।

आख्या का आपत्तियों के लिये प्रकाशन ।

१२—(१) यदि योजना मंडल द्वारा धारा ११ के अधीन स्वीकृत हो जाय तो वह राज्य सरकार के पास भेज दी जायगी और जो उसे कलेक्टर के पास जिले में नियत रीति से प्रकाशनार्थ भेज देगी ।

(२) कोई भी व्यक्ति, जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रकाशन से छः सप्ताह [३० दिन] के भीतर जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी के पास नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

आपत्तियों का निस्तारण।

१३—(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, जब तक कि वह उन कारणों से जिन्हें अभिलिखित करेगा ऐसा करना अनावश्यक न समझता हो, धारा १२ के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों की सुनवाई करेगा, और उन्हें नियत रीति से निस्तारित करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी की आज्ञा से विक्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से ३० दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है जिसका कि अपील में निर्णय अंतिम होगा। उस आज्ञा की प्रतिलिपि प्राप्त होने में व्यतीत अवधि उपर्युक्त ३० दिन की अवधि में सम्मिलित नहीं की जायगी।

(३) यदि धारा १२ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति न प्रस्तुत की जाय अथवा ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत की जायं और उपधारा (१) और (२) के अधीन निस्तारित कर दी गई हों तो कलेक्टर ऐसे परिष्कार और परिवर्तन करने के बाद जो तदनुसार आवश्यक हों, योजना को उस पर प्रस्तुत और निस्तारित आपत्तियों की आख्या सहित राज्य सरकार के पास भेज देगा।

[१३—(१) जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी, धारा १२ के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों पर यदि आवश्यक हो, तो पक्षों की सुनवाई करके उन आपत्तियों पर अपनी आख्या कलेक्टर के पास प्रस्तुत करेगा जो उन्हें नियत रीति से निस्तारित करेगा।

(२) यदि धारा १२ में नियत अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो अथवा यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो और वह अन्ततः निस्तारित हो गयी हो तो कलेक्टर ऐसे परिष्कारों अथवा परिवर्तनों सहित जो उपधारा (१) के अधीन आज्ञाओं के, यदि कोई हों, अनुसार आवश्यक हों, योजना को, प्रस्तुत तथा निस्तारित आपत्तियों पर आख्या सहित, राज्य सरकार को भेज देगा।]

योजना की पुष्टि।

१४—धारा १३ के अधीन योजना और आख्या के प्राप्त होने पर राज्य सरकार मंडल के परामर्श से सपरिष्कार अथवा बिना परिष्कार किये योजना की पुष्ट (confirm) कर सकती है और उसे सरकारी गजट में और सम्बद्ध जिले में प्रकाशित करा सकती है।

ऐसे प्रकाशन के पश्चात् योजना अंतिम हो जायगी।

अध्याय ४

योजना का निष्पादन

योजना प्रचलित होने का दिनांक।

१५—योजना ऐसे दिनांक को प्रचलित होगी जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे।

योजना के अन्तर्गत व्यापारों को कार्यान्वित करने का अधिकार।

१६—धारा १४ के अधीन सरकारी गजट में योजना के प्रकाशन से ३० दिन के पश्चात् जिला भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत श्रमिकों के लिये यह वैध होगा कि वह—

(क) ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि में जिस पर योजना प्रवृत्त हो, प्रवेश करें, उसकी माप करें और उसका समतल लें (टेक लेवल),

(ख) ऐसी भूमि को खोदें या उसके अन्तस्तल (सब–स्वायल) वेधन (बोर) करें,

(ग) निर्माण खड़ा करें, बन्ध निर्मित करें और ऐसे सब कार्य करें जो योजना के निष्पादन के तथा तदन्तर्गत निर्माण कार्यों के रखरखाव के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों।

कार्य-सम्पादन के आदेश।

१७—(१) जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी नोटिस देकर किसी लाभार्थी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी निर्माण कार्य को उसमें बतायी गयी रीति से और अवधि के भीतर अपनी लागत से बनवाये।

(२) यदि ऐसा लाभार्थी उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसार आदिष्ट कार्य नहीं करता है अथवा उसे करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है अथवा जिला संरक्षण अधिकारी ऐसा समझता है कि लाभार्थी ऐसा नहीं करना चाहता है तो जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी वह कार्य स्वयं करवा देगा और उसकी लागत को सम्बद्ध लाभार्थी से नियत रीति से वसूल कर लेगा।

योजना को कार्यान्वित करने में बल प्रयोग इत्यादि का जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी को अधिकार।

१८—जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है अथवा करा सकता है, ऐसा बल प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो उसके विचार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार योजना के निष्पादन के लिये आवश्यक हों।

स्वामी तथा अन्य व्यक्ति ऐसे व्यापार में विघ्न न डालेंगे।

१९—कोई व्यक्ति योजना क्षेत्र की भूमि पर या उसमें अथवा उसके पास कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उस क्षेत्र में योजना के निष्पादन में विघ्न या बाधा डाले।

उद्धार किया व्यय।

२०—(१) किसी क्षेत्र में योजना के निष्पादन में राज्य सरकार द्वारा किया हुआ व्यय सम्बद्ध लाभार्थी से वसूल किया जायगा।

(२) प्रत्येक लाभार्थी द्वारा दी जाने वाली धनराशि नियत रीति से अवधारित और वसूल की जायगी तथा वह सम्बद्ध भूमि पर प्रभार (charge) होगी।

(३) इस प्रकार अवधारित धनराशि पर किसी वाद अथवा विधिक व्यवहार में कोई आक्षेप न हो सकेगा।

(४) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी यह भी अवधारित करेगा कि उपधारा (२) के अधीन सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा देय धनराशि एकमुश्त अथवा किस्तों में दी जायगी और यदि वह किस्तों का आदेश दे तो वह ऐसी किस्तों की धनराशि और संख्या तथा प्रत्येक किस्त दिये जाने का दिनांक निश्चित करेगा।

(५) यदि कोई व्यक्ति धनराशि नहीं देता है अथवा देने से इन्कार करता है तो वह उसी प्रकार वसूल की जायगी मानो कि मालगुजारी का बक़ाया हो।

योजना की प्रगति की आख्या।

२१—(१) जिला भूमि-संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह समय-समय पर ऐसे आकार में और ऐसे अन्तरालों (intervals) पर, जो नियत किये जायं, योजना के निष्पादन की प्रगति की आख्या जिला समिति को प्रस्तुत करे।

(२) प्रगति की आख्या की एक प्रति राज्य सरकार के पास भी भेजी जायगी।

योजना की पूर्ति तथा निष्पादन के विषय में राज्य सरकार को आख्या ।

२२—(१) कलेक्टर योजना निष्पन्न होने के बाद यथाशीघ्र इस आशय की आख्या जिला समिति मण्डल तथा राज्य सरकार के पास भेजेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन आख्या नियत आकार में तैयार की जायगी और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी—

(क) उपधारा (३) में अभिदिष्ट निर्माण कार्यों का विवरण,

(ख) उपधारा (४) में अभिदिष्ट अधिकारों और दायित्वों का विवरण, और

(ग) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

(३) निर्माण कार्यों का विवरण नियत आकार में होगा और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी—

(क) योजना के अधीन किये गये निर्माण कार्यों का विवरण,

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य विभिन्न विषयों के लिये किये गये उपबन्धों का विवरण,

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(४) अधिकारों और दायित्वों का विवरण नियत आकार में तैयार किया जायगा और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी—

(क) लाभार्थियों के अधिकार और दायित्व,

(ख) योजना के निष्पादन के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिये जाने वाले प्रभार, यदि कोई हों, और

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

अधिकार और दायित्व के विवरण में इन्दराज।

२३—(१) अधिकार और दायित्व के विवरण में इन्दराज यथावश्यक यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन निर्मित अधिकार [ग्राम] अभिलेख ([village] record of rights,) में ऐसी रीति से किये जायेंगे जो नियत की जाय और तत्पश्चात् वे उक्त [ग्राम] अभिलेख के अंग होंगे।

(२) ग्राम अभिलेख में इस प्रकार किये गये इन्दराज किसी भी अभिलिखित मामलों के विवाद में साक्ष्य रूप से ग्रहण किये जा सकेंगे और जब तक कि उनके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय, वह सम्पूर्ण परिकल्पित होंगे (shall be presumed to be true)।

आभार तथा दायित्वों का विसर्जन । (Discharge)

२४—(१) धारा २२ के अधीन आख्या में निर्दिष्ट लाभार्थी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे—

(क) इस योजना के अन्तर्गत निर्मित अथवा व्यवस्थित निर्माण-कार्यों की अपनी लागत पर रक्षा और मरम्मत करना, और

(ख) योजना के अधीन लगाये गये अन्य आभारों और दायित्वों का विसर्जन (discharge)।

(२) यदि लाभार्थी उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार निर्माण-कार्यों की रक्षा अथवा मरम्मत न करे अथवा अपने दायित्व उत्सर्जित न करे तो कलेक्टर निर्माण की रक्षा अथवा मरम्मत करवा सकता है और ऐसे दायित्वों को विसर्जित करा सकता है और ऐसे रक्षा, मरम्मत अथवा विसर्जन की लागत सम्बद्ध लाभार्थी से वसूल कर लेगा।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

शास्ति।

२५—यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियम अथवा दी गयी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह अर्थदंड का भागी होगा जो ५०० रुपये से अधिक न होगा।

सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा।

२६—सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना में किया गया हो या जिससे इस प्रकार करने का उद्देश्य हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार (सूट, प्रासिक्यूशन आर अदर लीगल प्रोसीडिंग) निविष्ट (इंस्टीट्यूट) नहीं किये जा सकेंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

२७—(१) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये उक्त नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी—

(क) मंडल तथा जिला समिति की स्थापना तथा संगठन से सम्बद्ध विषय,

(ख) मंडल तथा जिला समिति द्वारा कार्यवाही के संचालन, कर्त्तव्यों के विसर्जन तथा कार्यों के किये जाने की प्रक्रिया और रीति,

(ग) धारा ८ के अधीन आख्या का आकार तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले ब्योरे,

(घ) धारा १४ के अधीन जिले में योजना के प्रकाशन की रीति,

(ङ) धारा २१ के अधीन प्रगति आख्या का आकार तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले ब्योरे,

(च) इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आवश्यक रूप से रखे जाने वाले विवरणों, नक्शों, रजिस्टरों तथा अन्य आकार-पत्रों के आकार,

(छ) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों का आकार और रीति,

(ज) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन तामील किये जाने वाले नोटिसों के आकार और उसके तामील किये जाने की प्रक्रिया,

(अ) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन की जाने वाली बातों के लिये कालावधि का निर्धारण जिसके भीतर वे बातें अवश्यमेव हो जानी चाहिये तथा उसके अन्तर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के इन लगाई गयी कालावधियों के बढ़ाने का अथवा बढ़ा न सकने का उन दशाओं में अधिकार जिनकी यहां पर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है,

(आ) उन मामलों में जिनके लिये यहां पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन प्रार्थना-पत्र और अपील प्रस्तुत करने का समय,

(ट) उन मामलों में जिनके लिये यहां पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन आपत्तियों और अपीलों का प्रस्तुत किया जाना और निस्तारण तथा कार्यवाहियों, में, जिनके [जिसके] अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र भी हैं, [तथा आपत्तियों का प्रस्तुत करना और निस्तारण भी है,] अनुसरण की जाने वाली [क्रिया] प्रक्रिया,

(ठ) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रतिक्रिया,

(ड) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को मिले अधिकारों का अन्य किसी प्राधिकारी, अधिकारी अथवा व्यक्ति को सौंपा जाना,

(ढ) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से अन्य किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के पास कार्यवाहियों का संक्रमण,

(ण) ऐसे विषय जिन्हें नियत करना है या जो नियत किये जायं ।

अनुसूची

देखिये धारा ६ (२) (ख)

भूमि-संरक्षण योजना के अधीन व्यवस्थित किये जाने वाले विषय

१—परत कटाव (sheet erosion), वायु कटाव (wind erosion), जलमार्गों और दरों का बनाना (Gully and ravine formation), किनारों का कटाव और बाढ़ें—

(क) किसी भूमि को, यदि उसमें खेती किये जाने से उस भूमि अथवा अन्य-भूमि को नुकसान पहुंचता हो खेती से विश्राम,

(ख) कटाव से अथवा, अन्य किसी भूमि की रक्षा के निमित्त किसी भूमि पर वन लगाना अथवा उसे पशुचर बनाना,

(ग) किसी भी क्षेत्र में जहां वायु अथवा जल से कटाव होता हो, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(घ) बंधियों का निर्माण,

(ङ) भूमि को समतल करना,

(च) कन्टूर कल्टीवेशन (परिधि रेखा कृषि),

(छ) आंशिक कृषि (स्ट्रिप क्रापिंग),

(ज) जल्दी पकने वाली फलीदार फसलें तथा वर्षा की ऋतु में सघन उगने वाली फसलें लगाना,

(झ) हरी खाद देना और भारी आर्गनिक खादों जैसे कम्पोस्ट, फार्मयार्ड, मैन्योर इत्यादि का प्रयोग,

(ञ) कच्ची फसलों (राक्राप्स) की मनाही,

(ट) चरवाही पर नियंत्रण,

(ठ) उन क्षेत्रों में जहां भूमि के कटाव का तत्काल भय न हो, जोत के दशमांश क्षेत्र में फल के वृक्षों का लगाना,

(ड) अन्य किसी उपाय का प्रयोग जिससे भूमि का परत कटाव, वायु, कटाव और जल-मार्गों तथा दर्रों के बनने और बाढ़ों से बचाव ।

२—जलवेष्टन और अवरुद्ध जलनिष्कासन (water-logging and impeded drainage)—

(क) जलवेष्टन प्रधान क्षेत्रों का सामूहिक तालाबों (community ponds) में परिवर्तन, जिन्हें गहरे पानी के धान तथा मत्स्य संवर्धन के लिये प्रयुक्त किया जा सके,

(ख) जल निष्कासन नालियों (opening of drainage cuts) को खोलना,

(ग) अन्तस्तल के जल का निष्कासन (pumping out the sub-soil water) और उसका रक्षित स्थान में उत्सर्जन,

(घ) पुलियों और नीचे से जाने वाले जल-मार्गों (acqueducts) की संख्या बढ़ाना अथवा रेलपथ, नहर अथवा सड़क के पास के वर्तमान पुलियों इत्यादि का चौड़ा करना,

(ङ) अन्य उपाय जिससे जलवेष्टित अर्थात् कठिनता से जल निकलने वाले क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति बढ़ने की संभावना हो ।

३—भूड़ (रेतीले) क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना—

(क) ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(ख) बंधियों का निर्माण,

(ग) भूमि का समतल किया जाना,

(घ) हरी खाद देना और कम्पोस्ट अथवा फार्मयार्ड, मैन्योर इत्यादि जैसी भारी आर्गनिक खादों का प्रयोग,

(ङ) फलीदार फसलों (leguminous) का उगाना,

(च) चरवाही पर नियंत्रण,

(छ) अन्य कोई उपाय जिससे इन क्षेत्रों की उत्पादन-शक्ति बढ़ने की संभावना हो ।

४—ऊसर भूमि का उद्धार और ऊसर होने से रोकना—

(क) तल और अन्तस्तल दोनों का जल निष्कासन जहां जल-तल उच्च हो,

(ख) उन क्षेत्रों में जहां जलतल निम्न हो हानिकर नमकों को निकालने के लिये बंधियों का निर्माण और बरसाती तथा नहरी पानी का बंधान,

(ग) जहां जलतल उच्च हो जल निष्कासन प्रणाली खोलने की व्यवस्था करना,

(घ) सिंचाई के जल द्वारा अवशिष्ट क्षारता (alkalinity) पर प्रतिक्रिया के हेतु तीन या चार वर्ष में एक बार जिप्सम का प्रयोग,

(ङ) अन्य कोई उपाय जिससे ऊसर बनना रुक सके,

५—अन्य विषय जो नियत किये जायं ।]

अनुसूची

[धारा ८ देखिये]

भूमि संरक्षण योजना के अधीन व्यवस्थित किये जाने वाले विषय—

१—वायु कटाव और जल कटाव (परत कटाव, जलमार्गों और दर्रों का बनना, किनारों का कटाव और बाढ़ें) के विरोधी उपाय यथा—

(क) मेंड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकंडा अथवा अन्य भूमिबंधक घासों और पौधों का लगाना ,

(ख) भूमि को समतल करना,

(ग) कन्टूर कल्टीवेशन (परिधि रेखा कृषि),

(घ) किसी भी क्षेत्र में जहां कटाव होता हो, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(ङ) श्रेणी फसलें उगाने की मनाही,

(च) आंशिक कृषि (strip cropping),

(छ) वर्षा ऋतु में जल्दी पकने वाली फलीदार फसलों का तथा सघन उगने वाली अन्य फसलें लगाना,

(ज) हरी खाद देना, और भारी प्राणिक (आर्गेनिक) खादों, जैसे कम्पोस्ट, फार्मयार्ड, मैन्योर इत्यादि का प्रयोग,

(झ) भूमि का खेती से विश्राम, यदि उस पर खेती होते रहना उस भूमि के लिये अथवा अन्य भूमि के लिये हानिकारक हो,

(ञ) चरवाही पर नियंत्रण,

(ट) किसी भूमि पर कटाव से बचाव के लिये अथवा अन्य किसी भूमि के बचाव के लिये वनरोपण अथवा फलवृक्ष लगाना अथवा पशुचर बनाना,

(ठ) वायु परावर्तन (wind break) के तौर पर काम करने के लिये वृक्ष और झाड़ियां लगाना,

(ड) वृक्षों को गिराने, छांटने (lopping) तथा झाड़ियों का सफाया करने पर नियंत्रण,

(ढ) कृषीय प्रयोजनों के लिये पार्श्विक और उपपार्श्विक (marginal and sub-marginal) भूमियों को तोड़ने की मनाही ।

२—जल-वेष्टन और अवरुद्ध जल-निष्कासन के विरोधी उपाय यथा—

(क) जल-वेष्टित क्षेत्रों का पोखरों में रूपान्तर,

(ख) जल-निष्कासन नालियों का खोलना,

(ग) अन्तस्तल के जल का निष्कासन,

(घ) पुलियों और नीचे से जाने वाले जलमार्गों (acqueducts) की संख्या बढ़ाना अथवा रेलपथ, नहर अथवा सड़क के बांध के पास के वर्तमान पुलियों इत्यादि का चौड़ा करना ।

३—भूड़ (रेतीले) क्षेत्रों को सुधारने के उपाय यथा—

(क) मेड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकंडा अथवा अन्य भूमि बंधक घासों और पौधों का लगाना,

(ख) भूमि का समतल किया जाना,

(ग) ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(घ) फलीदार (leguminous) फसलों का उगाना,

(ङ) हरी खाद देना और कम्पोस्ट, अथवा फार्मयार्ड मैन्योर इत्यादि जैसी भारी प्राणिक (आर्गेनिक) खादों का प्रयोग,

(च) चरवाही पर नियंत्रण ।

४—ऊसर भूमि का उद्धार और ऊसर होने से रोकने के उपाय, यथा—

(क) तल और अन्तस्तल दोनों का जल निष्कासन जहां जलतल उच्च हो,

(ख) उन क्षेत्रों में जहां जलतल नीचा हो हानिकर नमकों को निकालने के लिये बंधियों का निर्माण और बरसाती तथा नहरी पानी का बंधान,

(ग) जहां जलवेष्टन हो जल निष्कासन नालियों की व्यवस्था करना,

(घ) जिप्सम का प्रयोग ।

५—अन्य उपाय जो नियत किये जायं ।

उद्देश्य और कारण

भूमि का असावधानतापूर्ण प्रयोग तथा उसके सुधार की उपेक्षा एवं उसके क्रमिक ह्रास को रोकने के उपायों में उपेक्षा से वे क्षेत्र जो कुछ दिन पहिले उपजाऊ थे बंजर हो गये हैं। राज्य के सामने, बढ़ती हुयी जनसंख्या को खिलाने की समस्या है, अतः यह आवश्यक है कि उत्पादनशील भूमि का प्रत्येक एकड़ नियोजित रूप से प्रयुक्त किया जाय और उसे हीनत्व और पतन से रक्षित किया जाय। यद्यपि भूमि की उत्पादनशीलता को ह्रास से तथा भूमि को कटाव से बचाने के लिए कुछ उपाय सफलतापूर्वक व्यक्तियों द्वारा अपनाये जा सकते हैं तथापि अन्य ऐसे निरोधक उपाय हैं जिन्हें समन्वित रीति से बलपूर्वक अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक कृषक की नियोजित अभिरक्षा तथा भूमि संरक्षण के प्रति उपेक्षा से न केवल उसकी जोत की उत्पादनशीलता कुप्रभावित होती है बल्कि पास-पड़ोस की जोतों का भी ह्रास होता है। इसे रोकना है। यह सब केवल विधायन द्वारा ही हो सकता है। अतएव उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
कृषि मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १३१ एल० ए०—१९५४—८५०।